# लोक-सभा

## वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

( खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है )

लोक-सभा सचिवालय ,

नई दिल्ली ।

603 LSD

# विषय-सूची

## खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)


अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . . १६९९—१७४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से ११:१७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ . १७४०—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . . १७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ . १७७७—१८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ . १८२५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३ १८४९—८२

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७–२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८–२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———



GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

## लोक-सभा

बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

—

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**निष्क्रान्त व्यक्तियों के घरों का नीलाम**

*१४७६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दी हुई हों ;

(क) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में निष्क्रांत व्यक्तियों के कितने प्लाट तथा घर खुले नीलाम द्वारा बेचे जाने थे ;

(ख) सरकार अब तक कितने प्लाट और घर बेच चुकी है ; और

(ग) ये नीलाम कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**सरदार हुक्म सिंह** : क्या ऐसे मामलों का कोई अभिलेख रखा जा रहा है जिन में विस्थापित व्यक्ति जिन के पास निष्क्रांत





व्यक्तियों के घर हैं उन्हें खरीद नहीं सके हैं और उन्हें वे मकानादि खाली करने पड़ेंगे ?

**श्री जे० के० भोंसले** : हम इस प्रकार के अभिलेख रखेंगे ?

**अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति**

*१४७७. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के दो उच्च शक्ति प्राप्त पदाधिकारियों ने अपनी अपनी सरकारों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है और उन के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया गया है ; और

(ग) अपहृत व्यक्तियों की पुनः प्राप्ति के प्रश्न के सम्बन्ध में किये गये निश्चयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). दोनों देशों ने तथ्य जानने के आयोग के दो पदाधिकारीयों चुने

हैं । विशेष आश्रम खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही है । इस के अतिरिक्त पुनः प्राप्त किये गये व्यक्तियों को सुविधायें दी जा रही हैं और न्यायाधिकरण के निर्णयों को शीघ्र कार्यान्वित करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

**श्री एस०एन० दास**: क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करते समय दोनों ओर से इस संगठन को भी सुदृढ़ बनाया गया है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह**: यदि इस प्रश्न से माननीय सदस्य का अभिप्राय उन की संख्या बढ़ा कर उन्हें सुदृढ़ बनाने से है, तो कर्मचारियों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ?।

**श्री एस० एन० दास**: क्या सभी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के काम में कोई तेजी आई है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह**: जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम पुनःप्राप्ति के लिये बड़ी तेजी से काम करते रहे हैं । यह बात नहीं है कि इस के परिणामस्वरूप हम ने अपने प्रयत्नों को बड़ा दिया है ; हम ने सदा ही भरसक प्रयत्न किया है और हमारा यह प्रयत्न निरन्तर जारी है ।

**सरदार हुक्म सिंह**: क्या सरकार ने समाचारपत्रों में एक पाकिस्तानी प्रवक्ता के इस वक्तव्य को देखा है कि उन्होंने सभी अपहृत व्यक्तियों को पुनः प्राप्त कर के लौटा दिया है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह**: समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसे मैं ने देखा है। इस विषय में इस से अधिक कुछ सहकारी तौर पर हमें नहीं सूचित किया गया है ।

**सरदार हुक्म सिंह**: क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि पाकिस्तान के कराची स्थित सचिवालय के पदाधिकारियों के अधिकार में जो २,००० अपहृत लड़कियां थीं और जिन के विषय में सारा ब्यौरा बता दिया गया था क्या उन में से कोई पुनः प्राप्त की गई है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह**: मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

**दूसरी पंचवर्षीय योजना**

*१४७८. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन भाग 'ख' तथा 'ग' राज्यों में व्यय की जाने वाली धन राशि के प्राक्कलन सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो किस आधार पर तैयार किये जाते हैं ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: (क) जी, हां ।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी**: मैं यह जानना चाहता था कि 'ख' तथा 'ग' राज्यों के अधिकांश पिछड़े हिस्से ऐसे थे जो कि भूतपूर्व शासकों के शासन के अन्दर थे, क्या सरकार इन की तरक्की के लिये कोई विशेष प्रोग्राम बनायेगी, यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में किस से राय ली जायगी ?

**श्री एस० एन० मिश्र**: जी हां, यह बहुत जरुरी है कि इन हिस्सों पर काफी ध्यान दिया जाये ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी**: मैं यह जानना चाहता हूं कि भाग 'ख' और 'ग' राज्यों का जो विकास किया जा रहा है उस के सम्बन्ध में राज्यों की जो सलाह ली जा रही है, क्या प्लानिंग कमिशन में उस पर विशेष ध्यान देने की बात चल रही है ?

**श्री एस० एन० मिश्र :** मेरी समझ में नहीं आता कि विशेष अनुसन्धान की बात क्या है इस में, लेकिन जो हमारा तरीका है इन सबों से परामर्श करने का वह बहुत मुनासिब तरीका है और उस से काफी फायदा होता है ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि भाग 'ख' तथा भाग 'ग' राज्यों में योजना को क्रियान्वित करने में अधिक प्रतिशत कमी रही है । क्या इन राज्यों के लिये शिल्पिक कर्मचारियों की उपलब्धता आदि के प्रश्नों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ?

**श्री एस० एन० मिश्र :** यह सच है कि इन क्षेत्रों में विकास की गति धीमी रही है और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है इस का एक कारण शिल्पिक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी भी है। इस की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है । वास्तव में, योजना आयोग ने एक केन्द्रीय विकास पदालि की सिफारिश की है जिस से इन क्षेत्रों को लाभ होगा ।

**श्री एम० एल० द्विवेदी :** इस मौजूदा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैं ने यह देखा कि भाग 'ख' तथा 'ग' राज्यों का क्षेत्रफल भाग 'क' राज्यों के आधे से अधिक है और वहां की जनसंख्या भी एक तिहाई से अधिक है, फिर भी इस अनुपात से वहां डेवलपमेंट के लिये कोई रकम रक्खी गयी है या नहीं, और किस तरह से वहां पर काम चला, मैं जानना चाहता हूं कि इस नई योजना में इस बात का क्या ध्यान रक्खा जायगा कि क्षेत्रफल और उस की जनसंख्या के हिसाब से वहां पर उन्नति करने का अधिक विचार किया जायेगा ?

**श्री एस० एन० मिश्र :** जी हां, सन्तुलित अनुपात में इन सारी बातों का ध्यान रक्खा जाता है ।

**श्री राधेलाल व्यास :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो योजनायें पार्ट 'बी' और 'सी' स्टेट्स से योजना आयोग को भेजी जाती हैं, उन की जांच-पड़ताल करने के लिये और जिन स्थानों पर जो योजनायें कायम की जानी हैं, उन के मुकाबले में दूसरे स्थान पर ज्यादा काम कम खर्चे में किया जा सकता है, इस की जांच-पड़ताल के लिये क्या व्यवस्था है ?

**श्री एस० एन० मिश्र :** यह कोई खास इन राज्यों से इस का ताल्लुक रखना हो, ऐसी बात नहीं है । दूसरे राज्यों में भी इस तरह के सवाल उठते हैं और हमारा जो तरीका है कि जिस जगह पर ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचें उन्हीं जगहों में उन योजनाओं को होना चाहिये, वही तरीका यहां भी काम में लाया जाता है ।

## तीर्थ यात्रा

*१४७९. **श्री कण्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीयों की कुल संख्या क्या है जो १९५४ में यात्रा करने विदेशों को गये ; और

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कितना धन व्यय करना पड़ा ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना से यह ज्ञात होता है कि १९५४ में लगभग १३,५६६ भारतीय यात्रा करने विदेशों को गये ।

(ख) कोई १२,७५४ रुपये ।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यात्रा एक धार्मिक कृत्य है, यात्राओं पर धन व्यय करना राज्य की धर्म-निरपेक्ष-नीति से किस सीमा तक संगठित है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हम ने जो धन व्यय किया है वह प्रायः सब का सब चिकित्सीय सुविधाओं पर व्यय किया है ताकि संक्रामक रोग आदि न फैलें। यदि इलाहाबाद में माघ मेला होता है तो हम धार्मिक बातों पर धन व्यय नहीं करते हैं अपितु उसे उचित रूप से संगठित करने पर व्यय करते हैं ताकि दुभार्गग्यपूर्ण दुर्घटनायें न होने पायें।

**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : उन सिखों को जो पाकिस्तान जाते हैं और हज पर जाने वाले मुसलमानों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कदाचित् सभा को उन स्थानों तथा उन विदेशों के नाम, जहां भारतीय यात्रा करने जाते हैं, जानने में रुचि होगी। एक वर्ग हज, साऊदी अरब, ईराक़, ईरान, सीरिया, जौर्डन, लैबनान को जाता है; दूसरा वर्ग फ़िलिस्तीन, मिश्र, टर्की, इज़राईल, फ़ारिस की खाड़ी को जाता है ; तीसरा वर्ग पाकिस्तान, ब्रह्मा, लंका और तिब्बत को जाता है, एक और वर्ग इटली और फ्रांस को जाता है।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि इस वर्ष कैलाश और मानसरोवर को जो भारतीय यात्री गये थे उन के साथ डकैती व कत्ल आदि की कई घटनायें हुई हैं, और क्या मैं जान सकता हूं कि चीन और तिब्बत की सरकारों ने भारतीय यात्रियों की रक्षा के लिये जो प्रबन्ध किया है उस से माननीय प्रधान मंत्री सन्तुष्ट हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, कुछ ऐसी इत्तला डकैती वगैरह की एक दो दफा आई है, और उन की तरफ हम ने चीनी हुकूमत की तवज्जह दिलाई है। यह बात ठीक है कि अभी तक वहां बाज हिस्सों में ठीक इन्तजाम देखभाल करने का नहीं है।

## भारतीय चलचित्र

*१४८० **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पाकिस्तान को निर्यात की गई भारतीय चलचित्रों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) इस वर्ष भारत में आयात की गई पाकिस्तानी चलचित्रों की संख्या क्या है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारे चलचित्रों सम्बन्धी आयात तथा निर्यात व्यापर के आंकड़े संख्या के अनुसार नहीं रखे जाते हैं।

**श्री डी० सी० शर्मा** : चलचित्रों के आयात तथा निर्यात के आंकड़े किस रूप में रखे जाते हैं ?

**श्री करमरकर** : मूल्यानुसार, रुपयों के रूप में।

**श्री डी० सी० शर्मा** : जो चलचित्र पाकिस्तान को निर्यात किये गये उन का रुपयों में क्या मूल्य है ?

**श्री करमरकर** : चालू वर्ष के प्रथम दस मासों में पाकिस्तान को निर्यात किये गये सिनेमा चलचित्रों का मूल्य ९३,००० रुपये था।

**श्री डी०सी० शर्मा**: भारत में पाकिस्तान से आयात किये गये चलचित्रों की मूल्य क्या है ?

**श्री करमरकर** : प्रथम आंकड़े की तुलना में बहुत कम है ।

**श्री कासलीवाल** : क्या अब पाकिस्तान ने भारतीय चलचित्रों पर से प्रतिबन्ध हटा दिया है ?

**श्री करमरकर** : अब उसका एक आयात अत्यंश है, और यह अभ्यंश बहुत कम है ।

**श्री भागवत झा आजाद** : पाकिस्तान में भारतीय चलचित्रों के आयात पर लगाया गया प्रतिबन्ध भारत में आयात किये जाने वाले पाकिस्तानी चलचित्रों की संख्या की तुलना में कैसा है ?

**श्री करमरकर** : जैसा कि मैंने निवेदन किया, पाकिस्तानी चलचित्रों का आयात बहुत ही कम है । वह कोई १९,००० रूपये के लगभग था । मैं प्रश्न के पहले भाग को भूल गया हूं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : वह पाकिस्तान को हमारे चलचित्रों के निर्यात की तुलना में कैसा है ?

**श्री करमरकर** : तुलना १९,००० हजार और ९३,००० हजार की है।

**प्राक्कलन समिति की सिफारिशें**

*१४८१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट मे की गयी सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने की प्रस्थापना है :—

(१) ग्राम्य प्रकाशन की गति को बढ़ाने के लिये केन्द्र तथा राज्यों के अधिकारियों के सावधिक सम्मेलन करने ;

(२) चलचित्र विभाग को वाणिज्यिक स्तर पर संगठित करने ; और

(३) समुचित लेखे रखने ?

**सुचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) उक्त रिपोर्ट अक्टूबर, १९५४ में प्राप्त हुई थी और सिफारिशें विचराधीन हैं ।

(ख) (१) सितम्बर, १९५३ में सूचना मंत्रियों और सूचना संचालको के मध्य एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था । संचालकों का ऐसा ही एक और सम्मेलन ६ और ७ जनवरी, १९५५ के लिये निश्चित किया गया है । इस सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार, सहयोजन के हेतु राज्यों के सूचना संचालकों की और अधिक बैठकें करने की प्रस्थापना है ।

(२) समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने से पूर्व ही उत्पादन-व्यय का लेखा रखने कीं एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है । स्वीकृत निजी उत्पादकों की एक सूची भी तैयार की जा रही है ।

(३) लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी

को इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के प्राप्त होने से पहले ही नियुक्त कर दिया गया है और जब भी कभी उसकी सिफारिशें प्राप्त होती हैं उन को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

**श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या प्रश्न के भाग ( ख ) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि गत सितम्बर, में हुए सम्मेलन में क्या महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये थे ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किये जाते हैं ।

**डा० केसकर** : हम ने सामान्य परिणामों की घोषणा करने वाली एक प्रेस विज्ञप्ति उस समय जारी की थी । परन्तु कार्यवाही निस्संदेह गोपनीय है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह प्रेस विज्ञप्ति में उन को भिजवा सकता हूं ।

**श्री नागेश्वर प्रसद सिंह** : मैं निश्चित रुप से यह जानना चाहता था कि जो संकल्प पारित किये जाते हैं क्या उन को वास्तव में कार्यरूप में परिणत किया जाता है, ग्रामीण जनता की प्रतिक्रियायें क्या हैं, क्या ऐसे तिवदन सरकार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, अथवा नहीं और यदि किये जाते हैं, तो वह क्या हैं ?

**डा० केसकर** : ऐसे सम्मेलनों में सकल्प पारित नहीं किये जाते हैं । वह कुछ कार्यों के लिये व्यवहारिक कार्यवाहियों का निश्चय करते हैं और उन को कार्यान्वित करने के प्रयत्न करते हैं । संभव है कि सफलता आंशिक हो, अतः हम कह सकते हैं कि वह प्रायः सफल होते हैं । जहां तक ग्रामीण जनता द्वारा प्रसारण के सुने जाने का सम्बन्ध एक मुख्य निर्णय सामुदायिक रेडियो सेटों की संख्या बढ़ाये जाने और इस ध्येय में अग्रेतर वृद्धि करने के लिये सभी संभव कार्यवाहियां करने के सम्बन्ध में था ।

**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने बताया कि, प्राक्कलन समिति द्वारा सिफारिशें किये जाने से पूर्व ही एक अधिकारी को इस मामले की जांच करने के लिये नियुक्त कर दिया गया था और उस ने समस्या का अध्ययन कर के अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी हैं । ग्रामीण प्रकाशन के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशें किस प्रकार की हैं ?

**डा० केसकर** : मैं विशिष्ठ सिफारिशें तो बता नहीं सकूंगा । उक्त अधिकारी बम्बई राज्य का उप-महालेखापाल है । वह लेखा प्रणाली तथा व्यय और राजस्व से सम्बन्धित सभी बातों की जांच करता रहा है और उस ने लेखांकन तथा व्यय की प्रणाली में सुधार करने के लिये कुछ निश्चित सिफारिशें की हैं । इस सब बात को यहां ब्यौरेवार बताना बहुत कठिन है ।

**श्री जयपाल सिंह** : ऐसे महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों की कार्यवाही को गोपनीय रखने के क्या कारण हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियमित वाद विवाद गोपनीय हो सकता है परन्तु संकल्प अथवा अन्त में किये गये निर्णय गोपनीय नहीं हैं—क्या मैं इसे यही समझूं ?

**डा० केसकर** : हम ने किये गये निर्णय प्रेस विज्ञप्ति में दे दिये हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय**: और क्या भविष्य में यह ध्यान रखा जायेगा कि ऐसे सभी निर्णय और जिन सम्मेलनों की कार्यवाही निश्चित रूप से गोपनीय नहीं हैं उनकी कार्यवाहियों की प्रतियां यहां पुस्तकालय को

दे दी जायें ? क्योंकि मैं देखता हूं कि जो सामग्री उपलब्ध है, तथा जो जनता को गज़ट अधिसूचनाओं अथवा प्रेस विज्ञप्तियों के द्वारा उपलब्ध होनी चाहियें, उस के सम्बन्ध में यहां पुस्तकालय में सूचना न होने के कारण ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भविष्य में ऐसा न किया जाये।

**डा० केसकर** : ऐसा किया जायेगा, श्रीमान्।

### सीमेन्ट

*१४८२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५४ की अन्तिम दो तिमाहियों के लिये विभिन्न राज्यों को कितना सीमेंट दिया गया ; और

(ख) प्रत्येक राज्य को १९५३ में कुल कितना सीमेंट दिया गया था ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [ **देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५]।

**श्री विभूति मिश्र** : इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि जिस राज्य की आबादी कम है वहां ज्यादा सीमेन्ट दिया गया है, और जिस राज्य की आबादी ज्यादा है वहां कम सीमेन्ट दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो सीमेन्ट का बंटवारा किया है उस में कौन सा सिद्धान्त अपने दिमाग में रखा है ?

**श्री करमरकर** : सिद्धान्त तो सहूलियत का होता है। जहां सीमेन्ट बनता है वहां से लाया जाता है और जहां चाहिये वहां भेज दिया जाता है।

**श्री विभूति मिश्र** : मंत्री जी ने सवाल को समझा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सीमेन्ट के बंटवारे का कौन सा सिद्धान्त है ? पापुलेशन बेसिस पर होता है या किसी दूसरे बैसिस पर होता है ?

**श्री करमरकर** : जहां जैसी जरुरत होती है वह हम से कहते हैं कि इतनी जरूरत है। लेकिन चकि हम को सारे देश में बांटना होता है इसलिये सारा सीमेन्ट हम एक ही जगह नहीं दे सकते है। जरूरत के हिसाब से हम जैसा ठीक समझते हैं देते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : स्पष्टत : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जन संख्या के आधार पर अथवा मांग तथा पूर्ति के अनुसार कोई नियमित मासिक अथवा वार्षिक बंटवारा होता है अर्थात् जो भी मांगें की जाती है उन को एक मासिक विवरण में एकत्र कर लिया जाता है और तब बंटवारा किया जाता है। उत्तर से प्रश्न का समाधान नहीं हो रहा है।

**श्री करमरकर** : अब मैं प्रश्न को समझा हूं। सीमेन्ट इस सिद्धांत पर वितरित किया जाता है कि सर्व प्रथम राज्यों की मुख्य आवश्यकताओं जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये आवश्यकातायें प्राय: पूरी तौर से पूरी की जाती हैं। तब केन्द्रीय जनवास्तु विभाग की आवश्यकतायें ७० से ८० प्रतिशत तक पूरी की जाती हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी विशिष्ट राज्य के सम्बन्ध में ?

**श्री करमरकर** : साधारणतया जनवास्तु विभाग की। यह एक ही संगठन है जो विभिन्न राज्यों में और मुख्यत: दिल्ली और उस के आस पास क्रियाशील है। उसकी आवश्यकतायें

भी हम ७० से ८० प्रतिशत तक पूरी कर सके हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या विभिन्न राज्यों को वितरित करने का कार्य उन पर छोड़ दिया जाता है ।

**श्री करमरकर :** उस के लिये मैं सूचना चाहता हूं । विभिन्न राज्यों से मांगों के सम्बन्ध में,—हमारे पास कमी है—हम ने उन की आवश्यकताओं का केवल ५० से ६० प्रतिशत तक ही पूरा कर सके हैं। मेरे माननीय मित्र जो बात सामने रखने का प्रयत्न कर रहे थे वह यह थी कि यदि किसी विशेष राज्य में उत्पादन अधिक होता है तो क्या उसे कम दिया जाता है और जिस राज्य में उत्पादन कम होता है, उसे अधिक दिया जाता है ? हम समस्त उत्पादन को विचाराधीन रखते हैं और इस तथ्य के अनपेक्ष भी कि कुछ कारखाने दक्षिण भारत में स्थित हैं, वहां कुछ थोड़ी सुविधा होती है परन्तु उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी भारत में संभरण उतना यथेष्ट नहीं है जितना कि होना चाहिये था ।

**श्री ए० एम० थामस :** अब हमारा वार्षिक उत्पादन कितना है, और अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कितना और उत्पादन आवश्यक है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री करमरकर :** मेरे मित्र को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि १९५२ में कुल मांग ५४ लाख टन होने पर हमारा वार्षिक कुल उत्पादन ३५ लाख टन था और अब १९५४ में हम इस दशा पर पहुंचे हैं कि हमारा वार्षिक उत्पादन ४२ लाख टन है जब कि मांग ७२ लाख टन है । हम आशा करते हैं कि १९५६–५७ में उत्पादन ६९ लाख टन होगा जो कि हमारे पास न केवल हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा वरन् कुछ अधिक भी रहेगा ।

**श्री आर० एन० सिंह :** क्या सरकार बाढ़ वाले क्षेत्रों को भी सीमेन्ट देने का विचार कर रही है ?

**श्री करमरकर :** जहां कहीं भी ऐसा अतिरेक है जो वितरित नहीं किया जा सकता है हम उस का थोड़ा थोड़ा निर्यात कर रहे हैं ।

**श्री विभूति मिश्र :** रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि सरकार सीमेन्ट को अपने कार्य के लिये छांट कर के जैसे डिफेंस, रेलवेज और पब्लिक वर्क्स उस के बाद जो इस का बंटवारा किया गया है उस को पापुलेशन के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि डिमान्ड के आधार पर किया गया है जिस के कारण जिस स्टेट को ज्यादा मिलना चाहिये था उस को कम मिला है और जिस को कम मिलना चाहिये था उस को ज्यादा मिला है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने बताया है कि वह जन संख्या के आधार पर नहीं है, किन्तु अखिल भारतीय मांग के आधार पर है और प्रत्येक राज्य की मांग के अनुसार शेष प्रत्येक राज्य को राज्य के आधार पर दिया जाता है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि इस वर्ष तथा पिछले वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ से नष्ट हो गया था और क्या सरकार ने बिहार को अधिक सीमेन्ट दे कर कोई सहानुभूति दिखायी है और क्या सरकार यह सोचती है कि सीमेन्ट बाढ़ में बह जायेगा और इस लिये कम सीमेन्ट दिया गया था ।

**श्री करमरकर :** जहां तक मुझे स्मरण है हम ने बिहार को अधिक सीमेन्ट दिया है । सामान्य वर्षों के सम्बन्ध में, जब कि बाढ़ नहीं आती है, सामान्य क्रम जारी है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा यह सुझाव है कि विभिन्न भागों से आने वाले माननीय सदस्य राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित करें और किसी सरकार द्वारा यह शिकायत किये जाने पर कि बाढ़ के बावजूद भी पर्याप्त सीमेन्ट नही दिया गया है, तब वे प्रश्न पूछें । अन्यथा ऐसे ही प्रश्न कि क्या सीमेन्ट बाढ़ में बह जायेगा और क्या प्रयोग अगली बाढ़ में किया जायगा और अभी नहीं, किये जायेंगे । अतः माननीय सदस्य स्वतः इस बात का पता लगाये कि क्या राज्य सरकार ने नियतन की मांग की थी और उसे नियतन नहीं दिया गया है और उस के बाद वे यहां मंत्री से उसका स्पष्टीकरण करने को कह सकते हैं ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** बिहार की क्या मांग थी ? उस का कितना हिस्सा पूरा किया गया ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य की क्या जानकारी है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** मेरी जानकारी यह है कि संभरण कम हुआ है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** सामान्य रूप से, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है जहां के सदस्य उसी हद तक अपने आप को जनता के प्रतिनिधि कह सकते हैं जिस हद तक कोई संसद् सदस्य कह सकता है । जहां तक राज्यों की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, वे उस विषय पर विचार कर सकते हैं । यदि किसी माननीय सदस्य को यह जानकारी प्राप्त हुई हो कि राज्यों को संभरण नहीं दिया गया है और केन्द्रीय सरकार अपने काम में ढीली है तो वह स्वयं अपना समाधान कर लें और तब प्रश्न पूछें । मैं इस बात के लिये अनुमति नहीं दूंगा कि आगे जिरह करने के उद्देश्य से केवल जानकारी के लिये प्रश्न पूछे जायें ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** तथ्य यह है कि गत वर्ष से पिछले वर्ष बाढ़-पीड़ित स्थानों के लिये कुछ बंटवारा दिया गया था । इस वर्ष बाढ़-पीड़ित स्थानों के लिये मैं देखता हूं कोई बंटवारा नहीं किया गया है । बिहार सरकार को जो कुछ दिया गया है उस से कहीं अधिक उस की मांग थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न निश्चित होना चाहिये । पिछली बाढ़ के लिये क्या सीमेन्ट के संभरण की कोई मांग की गई थी और कितना संभरण किया गया है ?

**श्री करमरकर :** किसी विशेष बाढ़ के बारे में मुझे सूचना चाहिये ।

**मशीनरी**

*१४८३. **श्री गिडवानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली का सामान बनाने वाले कितने कारखाने इस समय भारत में काम कर रहे हैं ;

(ख) इन कारखानों में कुल कितना धन विनियोजित है ; और

(ग) उन में से कितने भारतीय स्वामित्व के अधीन हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) और (ग). केन्द्रीय सूची में रखे

गये कारखानों की संख्या कोई ११७ है और उन में से १०१ भारतीयों के स्वामित्व के हैं ।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन अनुज्ञप्त अथवा पंजीबद्ध कारखानों में लगभग १८·४७ करोड़ रुपये विनियोजित हैं । अन्य कारखानों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**राष्ट्रीय भवन संगठन**

*१४८८. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संगठन की प्रशासनिक रचना पूरी हो गयी है ; और

(ख) वह संगठन अभी इस समय क्या विशेष कार्य कर रहा है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) आवश्यक पद मंजूर कर दिये गये हैं और उपयुक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस समय संचालक तथा प्रविधिक सचिव और कुछ अनुसचिवीय कर्मचारी वर्ग कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उपयुक्त प्रविधिक कर्मचारी-वर्ग प्राप्त करने के लिये प्रयत्नों के अतिरिक्त, (१) प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य, (२) भवन विज्ञान तथा शैली के सम्बन्ध में एक आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना और (३) समुन्नत भवन-निर्माण पद्धतियों, कौशल और सामग्री आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा आंकड़े एकत्र करन और उन को उचित से ज्ञात कराने के विषय में कार्य किया जा रहा है । भारत तथा विदेशों में स्थित इसी प्रकार के संगठनों और गवेषणा संस्थाओं के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि सारे देशों में काम करने वाले मिस्त्रियों की ठीक ठीक संख्या जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह :** नहीं । इस संगठन ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

**पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि भवन-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह :** अभी हाल में दिल्ली में प्रशिक्षण कक्षायें प्रारम्भ की गयी थीं । कुछ राज्य सरकारों ने, विशेष कर उत्तर प्रदेश ने मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिये योजनायें प्रारम्भ की हैं ।

**राजकीय वाणिज्यालय**

१४८९. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी की वस्तुओं के लिये विक्रय सम्बन्धी सुविधायें देने के हेतु काई राजकीय वाणिज्यालय खोलने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रादेशिक वाणिज्यालय खोलने का सुझाव दिया है जहां देश के सभी भागों में बनायी गयी दस्तकारी की वस्तुयें पारस्परिक आधार पर संचित की जायें ।

केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में स्वीकृत योजनाओं को वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी ।

**श्री संगण्णा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं ?

**श्री करमरकर :** हां, श्रीमान् । मैं देखता हूं कि कुछ राज्यों ने उत्तर दिया है ।

**श्री संगण्णा :** योजना की अधिकतम लागत क्या है ?

**श्री करमरकर :** लागत प्रस्तुत की गयी योजनाओं पर निर्भर होगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ?

**श्री करमरकर :** हां श्रीमान् । उन के द्वारा योजनायें प्रस्तुत किये जाने पर, हम उन का परीक्षण करेंगे, और अन्त में वे चालू की जायेंगी ।

**श्री कासलीवाल :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि दिल्ली में कितने राज्यों के अपने वाणिज्यालय हैं ?

**श्री करमरकर :** मुझे कोई सरकारी जानकारी नहीं है । जहां तक मैं जानता हूं, काश्मीर सरकार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यालय हैं ।

**श्री अच्युतन :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी ऐसे कोई राज्य हैं जिनकी राजधानियों में उन की दस्तकारियों की चीज़ों के विक्रय के लिये उन के अपने वाणिज्यालय हैं ?

**श्री करमरकर :** हां, श्रीमान् ।

**श्री अच्युतन :** वे कौन से राज्य ह ?

**श्री करमरकर :** मैं इस के लिये सूचना चाहता हूं । वास्तव में, मैं जानता हूं कि सभी बड़े राज्यों के अपने अपने वाणिज्यालय हैं ।

**श्री स.रंगधर दास :** क्या हम यह समज कि यहां केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यालय में सुविधाओं की कमी होने के कारण उत्तर प्रदेश, काश्मीर और कुछ अन्य सरकारों ने दिल्ली में अपने वाणिज्यालय खोले हैं ?

**श्री करमरकर :** मेरे विचार से वह सुविधाओं की कमी के कारण नहीं है । केन्द्रीय सरकार के वाणिज्यालय की अपनी कुछ सीमायें हैं । राज्य सरकारें अपनी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बहुत अधिक बढ़ाना चाहती हैं । यह बहुत अच्छी बात है कि उन के अपने वाणिज्यालय हैं ।

**श्री हेडा :** क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है कि अपने राज्यों में स्थित और दिल्ली में स्थित राज्य सरकारों के वाणिज्यालय सारे भारत की सभी दस्तकारियों के वाणिज्यालयों में परिणत कर दिये जायें ?

**श्री करमरकर :** विचार यह है कि कुछ राज्य अपने स्वयं के वाणिज्यालयों में अपनी ही वस्तुयें प्रदर्शित करते हैं । हम ने उन्हें इस बात का सुझाव दिया है कि अन्य राज्यों की वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शन के लिये पर्याप्त क्षेत्र देना अपेक्षित है जिस से कि वाणिज्यालय में बिक्री भी बढ़ेगी और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे राज्यों को और सम्पूर्ण दस्तकारी उद्योगों को सहायता पहुंचेगी ।

## राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन

***१४९०.श्री जी० पी० सिन्हा : क्या प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन की आगामी

बैठक की कार्य सूची में क्या क्या विषय रखे गये हैं ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : प्रधान मंत्री सम्मेलन की कोई कार्य सूची प्राप्त नहीं हुई है। कोई औपचारिक कार्यसूची जारी करने की प्रथा नहीं है।

**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या वहां उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में, जो कि दक्षिण अफ्रीका तथा अफ्रीका के अन्य भागों के भारतवासियों को उठानी पड़ती है, चर्चा की जायगी ?

**प्रधानमंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री श्री (जवाहरलाल नेहरु)** : नहीं।

**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या प्रधन मंत्री पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से भेंट करेंगे तथा पारस्परिक समस्यायों पर चर्चा करेंगे ।

**श्री जवाहरलाल नेहरु** : दक्षिण अमरीका की पारस्परिक समस्याओं पर ?

**श्री जी० पी० सिन्हा** : इंगलिस्तान में ।

**श्री जवाहरलाल नेहरु** : मैं निस्संदेह उनसे भेंट करुंगा, इस की संभावना भी है। हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे यह मैं अभी नहीं बता सकता हूं। यह तो परिस्थितियों पर निर्भर है ; किन विषयों पर वह चर्चा करना चाहते हैं और किन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं ।

**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री राष्ट्र मण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में भाग लेने के बाद तुरन्त ही रूस के लिये रवाना हो जायेंगे ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, मैं भारत वापस आऊंगा। प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के सम्बन्ध में मैं यह बता दूं कि माननीय सदस्य ने भारतवासियों के सामने अफ्रीका में जो कठिनाइयां हैं उन के सम्बन्ध में चर्चा करने के विषय में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उस से प्रकट होता है कि उस सम्मेलन के कृत्यों के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियां हैं जिन के कारण यह प्रश्न पूछा गया है। हम ऐसी बातों पर चर्चा नहीं करते हैं। मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वहां उन पर चर्चा करने का मतलब प्रधान मंत्री सम्मेलन को एक प्रकार का अधिराज्य बना देना है। हम ऐसा नहीं समझते हैं। यदि मुझे उन की चर्चा करनी पड़ी, तो मैं तत्सम्बन्धी देश के साथ चर्चा करता हूं न कि प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में। हम वहां राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय इत्यादि सामान्य समस्याओं पर चर्चा करते हैं, दो देशों के बीच की विवादास्पद समस्याओं की चर्चा नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री वहां होंगे, जैसा कि मेरा अनुमान है कि वे वहां होंगे, तो हम भारत तथा पाकिस्तान के बीच की किसी समस्या पर प्रधान मंत्री सम्मेलन में चर्चा नहीं करेंगे। वैयक्तिक रूप से कोई किसी भी विषय पर भी चर्चा कर सकता है।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : अभी अभी प्रधान मंत्री ने बताया कि विवादास्पद समस्याओं पर चर्चा नहीं की जाने को है ? यदि इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करना है, जो विवादास्पद नहीं है या जिन पर सब देश एकमत हैं तो फिर ऐसे सम्मेलन म भाग लेने का प्रयोजन ही क्या है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरु** : मैं ने यह कहा था कि राष्ट्र मण्डल के सदस्य दो देशों के बीच की विवादास्पद समस्याओं पर वहां चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि प्रधान मंत्री सम्मेलन कोई अधिराज्य नहीं है और न उन समस्याओं का निपटारा करने वाला

कोई संगठन है । उन का निपटारा तो दोनों तत्सम्बन्धी देशों द्वारा किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा बहुत सी ऐसी समस्याओं पर चर्चा की जाती है जो विभिन्न देशों के आपसी तनाव को बढ़ा रहे हैं तथा इस बात पर विचार किया जाता है कि इस तनातनी को कम करने के लिये क्या किया जा सकता है इत्यादि । मान लीजिये हमारी बैठक जकार्ता में हो तो हम वहां उन्हीं समस्याओं पर दूसरे प्रसग में चर्चा करते हैं । जब कभी कहीं राष्ट्रों की बैठक होती है तो सब से महत्त्वपूर्ण प्रश्न संसार में शान्ति को बनाये रखने और जो शान्ति की राह की अड़चने हैं उन पर चर्चा होती है । इस प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं पर वार्ता होती है और इस सम्मेलन में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किये जाते हैं । यह केवल चर्चा ही होती है, सम्मति इस प्रकार ज्ञात की जाती है कि विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जाते हैं और कोई प्रस्ताव नहीं पारित किये जाते हैं ।

**श्री जौकीम आल्वा** : क्या प्रधान मंत्री को ज्ञात है कि जर्मन शस्त्रीकरण तथा पेरिस प्रस्थापनाओं का फ्रांस तथा इंगलिस्तान दोनों के द्वारा अनुसमर्थन किये जाने के पश्चात् रूस के द्वारा एक घोषणा की गई है । हिन्द चीनी मोर्चे पर जो भी भलाई की गई हो क्या प्रधान मंत्री उक्त सम्मेलन में हमारी इस चिन्ता को अनौपचारिक रूप से व्यक्त करेंगे कि भावी युद्ध के बादल क्षितिज पर मंडराते जा रहे हैं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरु** : इस प्रश्न का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उस से बिलकुल भिन्न है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न :

**श्री जवाहरलाल नेहरु** : प्रधान मंत्री कभी भी किसी भी विषय के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करना नहीं चाहता है ।

**नदी घाटी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार**

*१४९२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में अभी तक भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गये हैं तथा किन श्रेणियों के अफसर उन में लिप्त हैं ; और

(ख) कुल कितनी राशि का गोल माल किया गया है तथा अपराधियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**भारत-पाकिस्तान विवाद**

*१४९३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच की विवादास्पद समस्याओं का मैत्रीपूर्ण समझौता करने के लिये निकट भविष्य में भारत तथा पाकिस्तान के बीच किसी उच्चस्तरीय वार्ता के होने की संभावना है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की ओर से सरकारी स्तर पर कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) से (ग). पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के बीच की विवादास्पद समस्यायों पर चर्चा करने के

लिये भारत के प्रधान मंत्री से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट की है । भारत के प्रधान मंत्री ने इस का स्वागत किया है और उत्तर में कहा है कि वह इस प्रकार की चर्चा करने के लिये सदैव तैयार हैं । और निकट भविष्य में ही । परन्तु निकट भविष्य में ऐसी बैठक का आयोजन करना कठिन होगा क्योंकि बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्बन्ध में अधिकतर उन्हें दिल्ली के बाहर रहना पड़ेगा । फिर भी उन्होंने सुझाव दिया है कि कुछ विवादास्पद समस्याओं के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर वार्ता की जा सकती है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात पर ध्यान देते हुए कि निकट भविष्य में भारत तथा पाकिस्तान में प्रत्यक्ष वार्ता पुनः आरम्भ होने वाली है, क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा काश्मीर समस्या के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने रखने के अपने विनिश्चय का पुनरीक्षण किये जाने की सभावना है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मत्री (श्री जवाहरलाल नेहर)** : हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार किसी काल्पनिक आकस्मिकता में क्या करेगी ?

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : चूंकि भारत-पाकिस्तान की प्रत्यक्ष वार्ता में जिन विषयों पर वार्ता की जायेगी उन में से यह एक महत्त्वपूर्ण विषय होगा, इस लिये मैं जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या रुख अख्तियार करेगी ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या का प्रश्न है कि पाकिस्तान सरकार क्या करने वाली है । मैं किसी सूरत में भी यह नहीं कह सकता कि वह क्या करने वाली है । इस का उत्तर वही दे सकती है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ विषयों पर सरकारी स्तर पर वार्ता की जायेगी किन विषयों पर सरकारी स्तर पर वार्ता की जायेगी और कौन से विषयों को उच्च-स्तरीय वार्ता के लिये छोड़ दिया जायेगा ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दोनों पक्षों की ओर से उठाये गये किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता है, परन्तु साधारणतः अधिक महत्त्वपूर्ण तथा कठिन प्रश्नों पर सरकारी स्तर पर विचार नहीं किया जाता है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की गई इस भारतीय प्रस्थापना के सम्बन्ध में, कि दोनों देश संयुक्त रूप से एक युद्ध न करने की घोषणा जारी करें, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो बहुत पुरानी बात है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह कई मास कोई एक वर्ष पहले की बात है । उस समय पाकिस्तान इस के लिये तैयार नहीं था । उस सम्बन्ध में फिर दुबारा कोई प्रयत्न नहीं किया गया, इस लिये मैं नहीं कह सकता कि इस विषय में उस का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है ।

**सरकार हुक्म सिंह** : भारत सरकार ने इस प्रतिकर योजना को इस विचार से आरम्भ किया था कि निष्क्राम्य सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से बातचीत करना व्यय था । अब फिर यह सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान इस विषय पर वार्ता करना चाहता है, और संभवतः भारत सरकार इस के लिये तैयार भी हो गई है । क्या इस सूचना में कोई सच्चाई है ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस जानकारी के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूं। कोई प्रयत्न किया गया है इस की मुझे कोई जानकारी नहीं है परन्तु यह सच है कि हम ने स्वयं सुझाव दिया है कि शरणार्थियों, निष्क्रमणार्थियों से सम्बन्धित प्रश्नों पर तथा इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों पर जो बहुत समय से निपटाये नहीं गये हैं बातचीत की जाये और हम ने यह भी सुझाव दिया है कि इस कार्य के लिये हमारे पुनर्वास मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि कराची भेजा जाये। हो सकता है कि स्वयं मंत्री को भी जाना पड़े। चल सम्पत्ति, बैंक इत्यादि से सम्बन्धित अन्य बहुत सी बातें हैं जिन के सम्बन्ध में आंशिक रूप से और कभी कभी तो पूर्ण रूप से निपटारा किया जा चुका है परन्तु उस समझौते का परिपालन नहीं किया गया है। इसलिये यह सब काम बाकी हैं?

**डा० राम सुभग सिंह**: पाकिस्तान में जनतन्त्रात्मक संगठनों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार अब भी पाकिस्तान की सरकार के साथ काश्मीर में जनमत संग्रह करने के विषय पर वार्ता करने के लिये वचनबद्ध है?

**श्री जवाहरलाल नेहरू**: इस प्रश्न का उत्तर मैं एक या दो वाक्यों में नहीं दे सकता हूं। इस के लिये तो मुझे कम से कम एक घंटा समय चाहिये।

**मैसूर ग्राम्य औद्योगीकरण योजना**

*१४९४. **श्री एन० राचय्या**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने सर एम० विश्वेश्वरैय्या की ग्राम्य औद्योगीकरण योजना को अनुमोदन के लिये भेजा है;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिये किसी आर्थिक सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक उसे किस प्रकार की सहायता दी गई है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). जी - हां, श्रीमान्, मैसूर सरकार से सर एम० विश्ववेश्वरैय्या की ग्राम्य औद्योगीकरण योजना १९५० में प्राप्त हुई थी और १९५१ में भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिये उस सरकार को २,५०,००० रुपये स्वीकृत किये। १९५२-५३ में उसी योजना के अन्तर्गत पांच केन्द्रों के लिये २५,००० रुपये की अग्रेतर स्वीकृति दी गई।

**श्री एन० राचय्या**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे एक आदर्श योजना समझती है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों से इस योजना के अन्य राज्यों में लागू किये जाने की सिफारिश करेगी?

**श्री करमरकर**: यह योजना अपने ढंग की अच्छी है और जब हम सामान्य रूप से समस्या पर विचार करेंगे तब निस्संदेह इस योजना पर विचार किया जायेगा।

**श्री राचय्या**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस योजना की प्रतियां संसद् सदस्यों में वितरित करेगी?

**श्री करमरकर**: मेरे विचार से मैसूर सरकार अवश्य ही ऐसा करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, उस ने अपने क्षेत्र में इस योजना को प्रकाशित कर दिया है।

**श्री तिम्मय्या**: क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति वर्ष दिया जाने वाला यह धन भारत की संचित निधि में से दिया जाता

है या पंच वर्षीय योजना के लिये निश्चित धन में से ?

**श्री करमरकर:** मेरे विचार से यह धन हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की बजट-राशि में से दिया जाता है ।

**सरकारी क्वार्टरों के लिये पानी कर की दर**

*१४९६. **डा० सत्यवादी:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी मकानों में रहने वाले भिन्न भिन्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों से एक सी दर पर पानी कर नहीं लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो ये दरें किस आधार पर निश्चित की जाती हैं ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) नहीं, श्रीमान्, सरकारी कर्मचारियों के श्रेणी के अनुसार दरों में विभिन्नता नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

**डा० सत्यवादी:** क्या यह बात ठीक है कि गोल मार्केट, चित्रगुप्त रोड और लोदी रोड चमरीज़ आदि में क्लर्कों के पास काफी तादाद में ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं जिन में मीटर नहीं लगे हैं, अफसरों के पास जो गवर्नमेंट के बंगले हैं उन में मीटर लगे हुए हैं और मीटर न होने की वजह से क्लर्कों से फ्लैट रेट के हिसाब से दस, दस और ग्यारह ग्यारह रुपये किराया लिया जा रहा है जब कि उन जगहों पर जहां पर मीटर लगे हैं उन की बड़ी तनख्वाह वालों पर पांच या छै रुपया ही किराया पड़ता है ?

**सरदार स्वर्ण सिंह:** यह ठीक है कि कई क्वार्टरों में अलहिदा अलहिदा मीटर नहीं लगे हुए हैं । कोशिश की जा रही है कि जिन जिन जगहों पर अलहिदा अलहिदा मीटर नहीं हैं वहां पर भी लगा दिये जायें । जहां तक रेट का ताल्लुक है, कोई फ्लैट रेट नहीं लगाया जाता है बल्कि जो कुछ खर्चा होता है उस को सब क्वाटेरों पर फैला दिया जाता है मगर बदस्किस्मती से होता यह है कि जिस वक्त इकट्ठा मीटर हो तो लोग किफायत से पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि जाया करते हैं और इसलिये खर्चा ज्यादा पड़ता है।

**नन्दिकोडा परियोजना**

*१४९७. **श्री रघुरामैया:** क्या **योजना** मंत्री १८ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दिकोंडा परियोजना की प्राविधिक समिति के प्रतिवेदन पर आंध्र सरकार की राय अब तक प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस परियोजना के प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). आंध्र राज्य के राज्यपाल को यह वक्तव्य जारी करने का प्राधिकार दिया गया है :

> "भारत सरकार इन शर्तों के अन्तर्गत नन्दिकोंडा परियोजना की स्वीकृति देने को तैयाह है :
>
> (१) आंध्र तथा हैदराबाद सरकारों द्वारा भेजे गये प्रतिवेदनों में वह परिवर्तन यदि कोई किये

जा सकेंगे जो भारत सरकार आंध्र तथा हैदराबाद सरकारों के उस से सम्बन्धित निर्णयों तथा प्रविधिक समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए करना उचित समझे ।

(२) आंध्र सरकार कोई विधान बनाकर अथवा किसी अन्य कार्यवाही के द्वारा, दोनों राज्यों द्वारा भेजे गये परियोजना के वित्तीय आधार को अथवा परियोजना को किसी परिवर्तित रूप में जैसा कि भारत सरकार शर्त १ के अन्तर्गत करने का निश्चय कर स्वीकार करती है तथा कार्यान्वित करने को सहमत होती है ।

(३) उपरोक्त (२) में निर्दिष्ट वित्तीय आधार में यह सम्मिलित होगा—

(क) लेवी तथा पानी दरों में सुधार ।

(ख) पड़ती जमीनों के विक्रय से आय; और

(ग) भू राजस्व की साधारण वसूली ।"

**श्री रघुरामैया :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अभी बताई गई शर्तें, जैसे लेवी तथा पानी कर में सुधार तथा पड़ती जमीनों का विक्रय आदि प्रायः प्रत्येक उस परियोजना के साथ लगाई जाती है जो सम्मिलित किये जाने के लिये स्वीकृत की जाती हैं अथवा केवल नन्दिकोंडा परियोजना के विषय में ही यह विशेषता है ?

**श्री हाथी :** जहां तक पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली उन पांच नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है ये शर्तें चम्बल और कोसी परियोजनाओं के साथ भी लगाई गई हैं । यह तीसरी है, जिस का नाम कृष्णा-पेन्नार परियोजना है । अन्य दो, जिनके नाम रिहन्द और कोयना परियोजनायें हैं, विद्युत् परियोजनायें हैं, अतः उन दोनों के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता है । किन्तु शेष तीन के सम्बन्ध में ये शर्तें लगाई गई हैं ।

**श्री रघुरामैया :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि इन शर्तों के पूरा होने पर, इस परियोजना पर कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है और क्या इसे प्रथम पंच वर्षीय परियोजना में सम्मिलित किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक इस के सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है ?

**श्री हाथी :** मैं वह ठीक ठीक दिन तो नहीं बता सकता कि कब यह काम प्रारम्भ होगा, किन्तु भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि इन शर्तों के साथ इस परियोजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जायगा । ज्योंही हमें आंध्र सरकार की राय विदित होगी, योजना आयोग दोनों राज्य सरकारों का एक सम्मेलन बुलायेगा और यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा ।

**श्री हेडा :** जहां तक इन शर्तों का सम्बन्ध है, आंध्र और हैदराबाद सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**श्री हाथी :** हमें अभी आंध्र सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई है ।

**श्री हेडा :** हैदराबाद सरकार ने क्या किया है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आंध्र सरकार का संचालन इस समय राष्ट्रपति के आदेशानुसार वहां के राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। अतः इस समय तो हमें अपने आप से ही राय लेनी है और हम दूसरों से भी पूछताछ कर सकते हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाने और शीघ्र समाप्ति को महत्व देती है।

**श्री टी० बी० विट्ठलराव** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद सरकार ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया है, या उन्हें केवल आंध्र सरकार को ही स्वीकार करना है ?

**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नंदा)** : हैदराबाद सरकार द्वारा इन शर्तों के स्वीकार करने या न करने का कोई प्रश्न नहीं था ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या इस सम्बन्ध में उसे निदेश नहीं किया गया था ?

**श्री नन्दा** : इस से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

**डा० सुरेशचन्द्र** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो प्राजेक्ट है यह इंडिपेंडेंटली, स्वीकार किया गया है, दूसरा जो हैदराबाद का पूर्ना प्राजेक्ट है और जो कि इस पंच वर्षीय योजना में रखा गया है और जो कि बहुत जरूरी है, उस स्कीम के आधार पर उस को तो रद्द नहीं किया जायेगा ?

**श्री हाथी** : पूर्ना योजना के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की है। योजना आयोग की प्रविधिक समिति इस के सम्बन्ध में जांच कर रही है।

**जिला योजना तथा विकास समितियां**

*१४९९ **श्री एल एन० मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् तथा राज्यों की विधान सभाओं के कुछ सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में बनाई गई ज़िला योजना तथा विकास समितियों में काम करने से इसलिये मना कर दिया है कि ऐसी समितियों में एक अफसर को सभापति होने के कारण काम करने योग्य उपयुक्त वातावरण नहीं रह जाता है ; और

(ख) रदि हां, तो क्या सरकार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को सभापति बना कर ऐसी समितियों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव करती है ?

**योजना उपमंत्री श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख) . प्रत्येक राज्य सरकार ने यह प्रतिवेदन दिया है, कि संसद्-सदस्यों अथवा राज्य विधान-सभाओं के सदस्यों से ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

**श्री एल० एन० मिश्र**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को समिति का सभापति बनाने में कोई आपत्ति है ?

**श्री एस० एन० मिश्र**: आपत्ति यह है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत काम करने में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है।

**श्री एस० एन० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि आम तौर से इन विकास कार्य सम्बन्धी समितियों का सभापति जिलाधीश होता है, और क्या सरकार यह उचित समझती है कि एक अफसर के ऊपर इतना उत्तरदायित्व लाद दिया जाय कि वह अपना कार्य सुचारु रूप

से न कर सके और इस का परिणाम यह होता है कि समिति के सदस्य काम नहीं करते हैं और समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं ?

**श्री एस० एन० मिश्र**: प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि जिलाधीश के ऊपर इतना उत्तरदायित्व नहीं हाना चाहिये, तो निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ही होगा। किन्तु इन परामर्शदात्री समितियों के, जिन्हें जिला विकास समितियां कहते हैं, सभापतित्व में उस का अधिक समय नहीं लगता है।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच नहीं है कि इस समिति का सभापति जो कि जिला दण्डाधिकारी भी होता है, समिति की बहुत कम बैठकें बुलाता है, क्योंकि कभी कभी समय उस के लिये अनुपयुक्त होता है और कभी कभी संसद् सदस्यों के लिये ? यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन समितियों का पुनर्निमाण करना चाहती है जिस से इसका दायित्व अफ़सर के स्थान पर जनता के हाथ में आ सके ?

**श्री एस० एन० मिश्र** : जहां तक विकास कार्य का सम्बन्ध है सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों के मध्य का कोई भेदभाव करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि सब एक ही उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं।

**पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि ज़िला दण्डाधिकारी को समय नहीं मिलता है और जो सदस्र यहां हैं और जो विकास-समितियों के सदस्य हैं उन्हें कोई सूचना नहीं भेजी जाती है ?

**श्री एस० एन० मिश्र** : इस प्रकार की कोई शिकायत किसी ज़िला विकास समिति से प्राप्त नहीं हुई है।

**पंडित डी० एन० तिवारी** : किन्तु जो सदस्य यहां हैं उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है।

**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का निश्चय है कि इन विकास समितियों के सभापतियों के दफ्तरों में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, और क्या यह भी पता है कि कुछ राज्यों में इन समितियों के जो किसान सदस्य हैं उन के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है ?

**श्री एस० एन० मिश्र**: हमारे पास इस प्रकार की भी कोई शिकायत नहीं आई है।

**ठा० युगल किशोर सिंह** : क्या यह बात सही है कि एडवाइज़री कमेटी से जो भी फैसला होता है, उस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं किया जाता है और जो काम किया जाता है उन के सुपरविज़न का, कंट्रोल का या देखरेख का कोई भी सरोकार एडवाइजरी कमेटी के मेम्बरों से नहीं रखा गया है ? और क्या सरकार....

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न, इतने उप-प्रश्नों से और अधिक लम्बा नहीं किया जा सकता है।

**श्री एस० एन० मिश्र** : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा कि ये समितियां परामर्शदात्री हैं, इसलिये इनके द्वारा निरीक्षण का कोई सवाल नहीं उठता है उन कामों के ऊपर। इन के परामर्शों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का प्रयत्न किया जाता है।

**ठाकुर युगल किशोर सिंह:** मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : १९५३-५४ के सम्बन्ध में पंच वर्षीय योजना के प्रगति प्रतिवेदन पर चर्चा होने के समय इस पर विचार किया जायेगा ।

**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत धन राशि को काम में लाया जा रहा है, अथवा उस का अधिकतर भाग अभी काम में नहीं लाया गया है?

**श्री एस० एन० मिश्र** : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न से बिल्कुल ही भिन्न है । इस के लिये हमें पूर्व सूचना चाहिये ।

**सिन्दरी उर्वरक कारखाना**

*१५००. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा नगर के प्रबन्ध पर सिन्दरी उर्वरक कारखाने द्वारा व्यय किया गया धन कितने समय में बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा ?

**उत्पादन मंत्री श्री (के० सी० रेड्डी)** : इस कार्य के लिये लाभ की उपलब्धता के अनुसार कुछ वर्षों के समय में यह विकास व्यय बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा । उस समय के सम्बन्ध में जिस में कि इस लेखे पर हुआ सम्पूर्ण व्यय बट्टे खाते में डाला जायेगा कोई भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है ।

इस प्रकार व्यय हुए धन तथा अब तक बट्टे खाते में डाले गये धन को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६ ] . पिछले दो सम्पूर्ण वर्षों में लगभग इस व्यय का दो तिहाई भाग बट्टे खाते में डाल दिया गया है ।

**श्री के० सी० सोधिया** : इस ३९ लाख रुपये में से कितना भाग कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय हुआ है तथा कितना भाग नगर के प्रबन्ध पर व्यय हुआ है ?

**श्री के० सी० रेड्डी**: मुझे खेद है कि मेरे पास यहां अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

**श्री के० सी० सोधिया** : क्या नगर की व्यवस्था किसी औद्योगिक उपक्रम पर समुचित प्रभार हैं ?

**श्री के० सी० रेड्डी** : जी हां । मैं नहीं जानता कि यह क्यों नहीं होना चाहिये ।

**श्री पी० सी० बोस** : मैं नहीं समझता कि उद्योग से सम्बन्धित किसी बस्ती के प्रबन्ध का व्यय किस प्रकार बट्टे खाते में डाला जा सकता है क्योंकि यह तो एक आवर्तक व्यय है तथा इस को उत्पादन लागत के लेखे में रखा जाना चाहिये ।

**श्री के० सी० रेड्डी** : यह रकम जनवरी, १९५२ से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में है अर्थात इस के कम्पनी को दिये जाने से पूर्व की अवधि की है, इसलिये इस के सम्बन्ध में एक अन्य आधार पर व्यवहार करना पड़ा ।

**बागान जांच योजना**

*१५०२. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान जांच आयोग ने त्रिपुरा के चाय उद्योग का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग तथा श्रम की कठिनाइयों के सम्बन्ध में उस की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के चाय बागानों के श्रमिकों को कोई चिकित्सकीय सुविधायें, बीमारी की छुट्टी, प्रसूती

भत्ता अथवा शिक्षा सुविधायें नहीं दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार त्रिपुरा में श्रम कल्याण योजना लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां ।

(ख) आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) और (घ). त्रिपुरा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में १६ चाय बागानों में निःशुल्क प्रारम्भिक स्कूल हैं तथा अन्य बागानों में बच्चों को इन बागानों के समीप स्थित स्कूलों में शिक्षा सुविधायें प्राप्त हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत आदर्श नियम बनाये गये हैं तथा राज्य सरकारों से यथा सम्भव शीघ्र, जब इस अधिनियम में कल्पित सुविधायें दी जा सकें, ऐसे ही नियम बनान की प्रार्थना की गई है ।

## बाढ़ चेतावनी पद्धति

*१५०४ **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेषण लाइनों के भिन्न भिन्न हो जाने के कारण टेलीफोन तथा तार द्वारा दी जाने वाली बाढ़ की चेतावनी की प्रणाली तेज बाढ़ों तथा तूफानों के अवसर पर अधिकतर भिन्न भिन्न हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के नदी बेसिनों में स्वयं चलित बाढ़ चेतावनी यंत्र तथा रेडियो-चालित वर्षामापक यंत्र लगाने का विचार कर रही है,

(ग) इस प्रकार के यंत्रों तथा मापकों के कब तक लगाये जाने की संभावना है ; और

(घ) जिन क्षेत्रों में यह लगाये जायेंगे उन के नाम क्या हैं ?

**सिंचाई और विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्थापना विभिन्न राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

(ग) प्रविधिक सहकारिता मिशन योजना के अधीन कुछ यंत्र लेने का विचार है । इन के लगभग है अथवा सात मास में प्राप्त होने की संभावना है ।

(घ) सामान्यतः बाढ़ ग्रस्त नदीतलों में लगाने के प्रबन्ध अभी पूर्ण नहीं हुए हैं ।

**डा० राम सुभाग सिंह** : क्या मैं इन स्वयं चालित बाढ़ चेतावनी यंत्रों तथा रेडियो चालित वर्षा मापकों के अनुमानित मूल्य जान सकता हूं ।

**श्री हाथी** : प्रत्येक यन्त्र का मूल्य ३,००० डॉलर है । हम २० यन्त्र खरीदने का विचार कर रहे हैं, इसलिये मूल्य ६०,००० डालर होगा ।

**श्री के० पो० त्रिपाठी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि उत्तरी आसाम लगभग ३ अथवा चार मास तक शेष भारत से अलग कर जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां टेलीफोन तथा तार के यन्त्रों के स्थान पर रेडियो चालित यन्त्र प्रतिस्थापित करने का विचार कर रही है ?

**श्री हाथी** : इस समय के टेलीफोन तथा तार के यन्त्रों के स्थान पर उन स्वयं चालित यन्त्रों को लगाने का विचार नहीं है । वे तो

इनके अतिरिक्त होंगे। वे भी उन नदी बसिनों में लगाये जायेंगे ?

**श्री के० पी० त्रिपाठी :** इस कार्य के लिये क्या उस क्षेत्र पर भी विचार किया जायेगा ?

**श्री हाथी :** जी हां ।

**डा० राम सुभग सिंह :** भाग (क) के उत्तर में माननीय उपमत्री ने 'जी हां' कहा था । क्या हाल ही में आई बाढ़ों में भी वर्तमान पद्धति भिन्न भिन्न हो गयी थी ?

**श्री हाथी :** कुछ स्थानों पर यह भिन्न भिन्न हो गई थी ।

**श्री एल० एन० मिश्र :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष दल काठमाडूं भेजा गया है ? यदि हां, तो इस दल के वहां जाने का मुख्य आशय क्या है ?

**श्री हाथी :** कोई भी दल नहीं भेजा गया है । परन्तु एक दल जनवरी में आ रहा है तथा तभी ये यन्त्र लगाये जायेंगे ।

## चीनी मिट्टी

*१५०५. **श्री देवगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बनाया गया चीनी मिट्टी का अयस्क देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त होता है ;

(ख) देश में आयात की गई चीनी मिट्टी की मात्रा क्या है ; और

(ग) उस के आयात करने के क्या कारण है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां जहां तक सामान्य चीनी मिट्टी का सम्बन्ध है ।

| (ख) | हंडरवेट |
|---|---|
| १९५१-५२ | १२७,४६९ |
| १९५२-५३ | २१६,६९८ |
| १९५३-५४ | १९३,४७४ |

(ग) कुछ विशेष कार्यों के लिये उपयुक्त मिट्टी न मिलने के कारण ।

**श्री देवगम :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश की चीनी मिट्टी विदेशी चीनी मिट्टी से घटिया होती है ?

**श्री करमरकर :** किसी सीमा तक हमारी चीनी मिट्टी भी काफी अच्छी होती है । परन्तु इस मिट्टी की कुछ किस्में ऐसी हैं जो यहां प्राप्त होती हैं। उन को हमें आयात करना पड़ता है ।

**श्री वी० पी० नायर :** भारतीय भू-तत्वीय परिमाप के संस्मरणों से मुझे ज्ञात हुआ है कि त्रावनकोर-कोचीन के कुन्डारा स्थान पर एक वर्ग मील से लगभग १४०० लाख टन शुद्ध अत्युत्तम किस्म की मिट्टी मिलती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस चीनी मिट्टी को जो कि अनुमानतः कुंडारा में ३० से ४० वर्ग मील में तथा वर्कला में ३० से ४० वर्ग मील में में प्राप्त होती है काम में लाने की कोई योजना बनाई है ?

**श्री करमरकर :** जी हां। चीनी मिट्टी की यह किस्म बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है । त्रावनकोर-कोचीन में स्थित कुंडार ही सब से महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसे काम में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है इस के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री वी० पी० नायर :** माननीय मंत्री ने अभी बताया कि कुछ मात्रा आयात की जाती है । इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भी है कि त्रावनकोर-कोचीन में प्राप्त होने वाली चीनी मिट्टी उन सभी कार्यों के लिये,

जिन के लिये चीनी मिट्टी काम में लाई जाती है, उपयुक्त होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चीनी मिट्टी की अधिक से अधिक परिमात्रा के भारत में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में तुरन्त ही कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

**श्री करमरकर :** संभरण अधिक नहीं है । मूल प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

**श्री कासलीवाल :** क्या सरकार को ज्ञात है कि राजस्थान के बूंदी तथा सवाई माधोपुर के ज़िलों में अत्युत्तम किस्म की चीनी मिट्टी प्राप्य है, यदि हां, तो इस को निकालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

**श्री करमरकर :** यदि ऐसा है, तो मैं इस की जांच करूंगा, तथा इस के पश्चात् यदि सम्भव हुआ तो, हम यह विचार करेंगे कि उस को किस काम में लाया जा सकता है।

**श्री नेसवी :** क्या मैं जान सकता हूं कि बम्बई राज्य के बेलगाम ज़िले में भी यह मिट्टी प्राप्य है ?

**श्री करमरकर :** यह बहुत से भागों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्राप्य है । मुझे निश्चय है कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि धारवाड़, बेलगाम तथा कर्नाटक से प्राप्त होने वाली मिट्टी अन्य कार्यों के लिये काम आने योग्य है ।

## भारतीय नौवहन

*१५०६. **श्री सारंगधर दास :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटीय व्यापार के लिये विज़ाग में बना ७,००० पूर्ण टन भार का सिन्धिया किस्म का मोटर पोत ८५ लाख रुपये का कूता गया है ;

(ख) क्या इसी प्रकार के ब्रिटेन में बने पोत का मूल्य बहुत कम है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ;

(घ) क्या तटीय व्यापार की भाड़ा दर निश्चित करते समय भारत में निर्मित जलपोतों के मूल्य को भी ध्यान में रखा जाता है ?

**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) :** (क) सिंन्धिया कम्पनी ने ७,००० पूर्ण टन भार वाले पांच मियरफार्म जलपोतों के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड को आदेश दिया है तथा पहले जलपोत का मूल्य ८५ लाख रुपये तथा अन्य चार जलपोतों का मूल्य ८४ लाख रुपये घटा बढ़ी सम्बन्धी इस शर्त के आधार पर, कि इस्पात लकड़ी तथा यंत्रों के मूल्य में कमीबेशी होने से परिणामस्वरूप इन मूल्यों में कमीबेशी की जा सकती है, निश्चित किया गया था ।

(ख) और (ग). जी नहीं मियरफार्म जलपोत के ब्रिटेन के वास्तविक मूल्य निश्चित करना बहुत कठिन है, परन्तु जो मूल्य, अर्थात् पहले जलपोत के ८५ लाख रुपये तथा अन्य चार के ८४ लाख रुपये, क्रेता से परामर्श कर के निश्चित किये गये थे । वह इस आधार पर निश्चित किये गये थे कि निर्धारित मूल्य इंगलैंड में प्रचलित समस्त मूल्य के, जितना कि उन्हें ज्ञात किया जा सका है, तुल्य है ।

(घ) जलपोत की पूंजी लागत की भाड़ा दरें निश्चित करने में एक सहायक कारण होती हैं । हालांकि सरकार को तटीय व्यापार की भाड़ा दर निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु तट पर लिये जाने

वाले भाड़े की इस समय की दर तटीय सम्मेलन के द्वारा, जो नौवहन समवायों का एक सम्मेलन है, निश्चित की गयी है ।

**श्री सारंगधर दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में खरीदे गये एक विदेश में बने जलपोत के लिये कम्पनी को ६२ लाख रुपये मूल्य देना पड़ा है ? यदि ऐसा है, तो क्या यह मूल्य ब्रिटेन के समतुल्य मूल्यों से कम हैं ?

**श्री अ र० जी० दुबे**: जी नहीं । सरकार को ऐसी किसी बात के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है । परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब शिपयार्ड की मूल्य समिति ने इस समस्या पर विचार किया था, तो इस प्रश्न पर भी विचार किया गया था । जैसे सिन्धिया कम्पनी ने एक जर्मन जहाज बनाने वाले सार्थ को एक आर्डर दिया था, तथा उस का मूल्य १०५ लाख रुपये कूता गया था । जर्मन पुर्जों से इंगलैंड में उसी प्रकार के जलपोत निर्माण करने की लागत को निश्चित करना कठिन है । श्री डांडेकर से, जो अपने द्वैध रूप में उस समय वहां उपस्थित थे, परामर्श किया गया था । इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया गया था कि इंगलैंड के समतुल्य मूल्य कोई ८३ लाख रुपये तथा ८५ लाख रुपये के बीच होंगे ।

**श्री सारंगधर दास**: नार्वे के जलपोत का क्या मूल्य है ?

**श्री आर० जी० दुबे**: हमें कोई सूचना नहीं है ।

**श्री जोकिम आल्वा**: हम में से कुछ के द्वारा की गई इस निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए कि हमें टैकर खरीदने चाहियें, हम ने एक इटालियन टैन्कर ४८ लाख रुपये पर खरीदा था । क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि ८,००० टन के एक टैन्कटर की लागत केवल ४२ लाख रुपये होती है तो फिर क्या कारण है कि हमारे यार्ड में निर्मित एक जलपोत की लागत इस से दुगुनी होती है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : माननीय सदस्य जानते हैं कि टैन्कर तथा जलपोत विभिन्न श्रमताओं के होते हैं ।

**बटन**

*१५०७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के बोर्ड ने नारियल के खोपरे के बटन बनाने की योजना को हाथ में लिया है ; तथा

(ख) यदि हां तो देश में सांल भर में कितनी मात्रा में बटन बनाये जायेंगे ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत के एक दो क्षेत्रों में ग्रामों में नारियल के खोपरों से ये बटन तैयार किये जाते हैं ? क्या सरकार इस कार्य में उन्हें सहायता प्रदान करने का विचार रखती है ?

**श्री करमरकर** : अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड ने, वास्तव में, अभी तक, नारियल के खोपरों से बटन बनाने का कार्य हाथ में नहीं लिया है परन्तु उनका विचार है कि निकट भविष्य में यह काम प्रारम्भ किया जाय ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## रेडियो लायसेन्स फीस

*१४८४. **ठाकुर लक्ष्मणसिंह चाड़क** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई ऐसी प्रस्थापना है कि दुकानों के रेडियो सेटों की लायसेन्स फ़ीस कम कर दी जाये ;

(ख) क्या लायसेन्स फ़ीस में कमी करने के बारे में व्यापारियों का कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ग) यदि हुआ है तो इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) तथा (ख). ऐसे रेडियो सेटों की लायसेन्स फ़ीस कम करने के बारे में, कुछेक व्यापारियों की ओर से, अभिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## विद्युत् शक्ति

*१४८५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरों तथा गांवों में बिजली की तुलनात्मक प्रति व्यक्ति, खपत कितनी है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : नगरों और गांवों में बिजली की खपत के पृथक पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

## फोर्ड प्रतिष्ठान दल

*१४८६. **श्री झुलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के बारे में दिये गये उत्तर, तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में फोर्ड प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन दल द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्ध रखने वाले, सरकार के ७ जून, १९५४ के संकल्प के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दल द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है, तथा इस दिशा में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अन्य सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

## दूसरी पंचवर्षीय योजना

*१४८७. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्यों द्वारा, विभिन्न योजनायें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये, योजना आयोग को भेजने, तथा उन पर संसद् द्वारा विचार करने के बारे में कोई तिथि निश्चित की गई है ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस०एन० मिश्र)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना को बनाने का कार्यक्रम अभी योजना आयोग के विचाराधीन है।

## जनसंख्या का स्थानान्तरण

*१४९१. **श्री सी० आर० अय्युण्णि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग का विचार है, कि कुछ लोगों को, घने आबाद क्षेत्रों से कम आबाद क्षेत्रों में बसाया जाये, ताकि घने क्षेत्रों की भीड़-भाड़ कम हो सके ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)**: लोगों को घनी आबादी के क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में बसाने का कार्य कुछ अंश तक प्रारम्भ कर दिया गया है। इस समय इसके विषय में दो योजनायें हैं :

(१) त्रावणकोर-कोचीन के ५०० परिवारों को भोपाल के केन्द्रीय फार्म पर, जहां यंत्रों से खेती की जाती है, बसाना, और

(२) त्रावणकोर-कोचीन के ८,००० परिवारों को उस राज्य की ५०,००० एकड़ हरी भूमि पर बसाना ।

**ब्रह्मपुत्र नदी**

*१४९५. **श्री एल० जोगेश्वरसिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने सरकार को, ब्रह्मपुत्र नदी के नियंत्रण के लिये स्थापनाओं वाला कोई ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि किया है, तो मुख्य सुझाव क्या क्या हैं ; तथा

(ग) इस बारे में भारत सरकार ने कितना धन देने का वादा किया है तथा आसाम सरकार कितना अंश देगी ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**कांगड़ा में चाय-उद्योग**

*१४९८. **श्री भीखाभाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये, तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने, केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी अपनी योजना के अधीन कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; तथा

(ख) यह वित्तीय सहायता किन किन मदों के लिये मांगी गयी है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) ७५,१७१ रुपया ।

(ख) यह योजना मुख्य रूप से, एक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में है, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक उपायों से चाय की उत्पत्ति के अनुसन्धान कार्य के लिये एक प्रयोगशाला के रूप में काम करेगा ।

**एजेंसियों द्वारा बिक्री की योजना**

*१५०१. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एजेंसियों द्वारा बिक्री की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; जिस के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने सरकार से अनुदान प्राप्त किया है ;

(ख) कितने समय से, यह योजना लागू हो रही है ; तथा

(ग) किन किन राज्यों में, यह योजना लागू की जा रही है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**].

**कैलिफोर्नियां व्यापार-मेला**

*१५०३. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५४ में ए, कैलिफोर्निया राज्य व्यापार मेले में किस किस वस्तु की अधिक बिक्री हुई थी ; तथा

(ख) उस मेले में बेची गयी वस्तुओं की कुल कीमत कितनी थी ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). इस वर्ष सैकेरेमटों में हुए कैलीफोर्निया व्यापार मेले में, कोई भी वस्तु नहीं बेची गयी, क्योंकि बिक्री को अनुमति नहीं थी

**संसद् सदस्यों के लिये नये फ्लैट**

*१५०८. **श्री पी० एल० बारूपाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जब दिल्ली में पिछले दिनों में वर्षा हुई थी उस समय संसद् सदस्यों के लिये बनाये गये नये फ्लैटों की छतें चूने लगी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह दोष ठेकेदारों द्वारा लगाये गये घटिया सामान के कारण है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). ३० सितम्बर, तथा पहली अक्तूबर को होने वाली भारी तथा लगातार वर्षा के परिणाम स्वरूप, अभी हाल ही में बने नये फ्लैटों की पूर्वी तथा उत्तरी दीवारों में कुछ नमी पैदा हो गयी है। प्रमुख इंजीनियर को इस बात का निश्चय हो चुका है कि यह घटिया प्रकार के सामान के प्रयुक्त होने के कारण से नहीं हुआ है।

**जहाज़ निर्माण का प्रशिक्षण**

*१५०९. **सरदार इकबालसिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या कुछ छात्रों अथवा इंजीनियरों को, जहाज़ निर्माण में विशेष अध्ययन करने के लिये विदेशों में भेजा गया है, यदि हां, तो उन के नाम क्या क्या हैं ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८].

**कैला सहर की मछली चारा बस्ती**

*१५१०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कैलासहर की मछली चारा बस्ती के विस्थापित लोगों से, सहायता ऋण की अदायगी के समय बाज़ार बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक से ऋण में से पचास रुपये लिये गये है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो किन सिद्धांतों के अनुसार ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; तथा

(घ) यदि हुई है, तो स बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

**मान नगर में मकान**

*१५११. **श्री नेसवी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान नगर में कुल कितने मकान हैं और उन का निश्चित किराया क्या है ;

(ख) इन में से कितने मकान प्रतिमास १००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को दिये गये हैं ;

(ग) ५०० और १००० रुपये के बीच वेतन वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें मकान नहीं दिये गये हैं ; और

(घ) इन मकानों को ५०० रुपये से कम वेतन वाले अधिकारियों को न देने के क्या कारण हैं ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) /११२; एफ० आर० ४५-क के अधीन प्रत्येक मकान का औसत निश्चित किराया ७३ रुपये मासिक है।

(ख) ७५ ।

(ग) ३९८ ।

(घ) यदि मकान ५०० रुपये से कम वेतन वाले अधिकारियों को दिये जायें, तो इन मकानों में उपलब्ध आवास और इन मकानों की लागत के कारण इन व्यक्तियों के आवास के लिये सहायता देने में सरकार को अनावश्यक व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि इन व्यक्तियों से उन के वेतन का १० प्रतिशत ही किराये के रूप में वसूल किया जा सकता है ।

**विदेशी विनियोग**

*१५१२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस बात पर विचार कर लिया है कि सुरक्षा पूर्वक, किस सीमा तक विदेशी विनियोग को भारत में आने की अनुमति दी जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो वह सीमा क्या है ;

(ग) क्या भारत में नवीन विदेशी विनियोग के विपरीत वर्तमान विदेशी विनियोग का भारतीयकरण करने या न करने की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है, और उस निर्णय का क्या स्वरूप है ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) तथा (ख). जी हां । किसी देश के आर्थिक विकास के लिये वांछनीय विदेशी विनियोग की राशि का निश्चय अन्तिम रूप से या पहले से ही नहीं किया जा सकता । यह पूंजी की सीमा निश्चित करने का प्रश्न नहीं है, अपितु वे शर्तें और निबन्धन निश्चित करने का प्रश्न है जिस के आधार पर विदेशी पूंजी देश में लगाई जा सकती हैं ।

(ग) तथा (घ). पिछले कुछ वर्षों से विदेशी वाणिज्यिक और औद्योगिक आस्तियों का भारतीयों के पास स्वेच्छापूर्वक हस्तान्तरण हो रहा है। नवीन निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

**कैलास-मानसरोवर को जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्री**

*१५१३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में कैलास-मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर आते हुए तीन भारती साधुओ की ताकलाकोट और राक्षसताल के बीच हत्या कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** (क) तथा (ख). पूछताछ की गयी थी जिस के परिणामस्वरूप यह मालूम हुआ है कि जून, १९५४ में रक्षा स्थल के समीप एक मृत साधु पाया गया, परन्तु कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह कैसे मरा था । किसी अन्य यात्री की मृत्यु या हत्या की सूचना, व्यापार अभिकर्ता को नहीं मिली। व्यापार अभिकर्ता ने इस मामले के सम्बन्ध में चीनी अधिकारियों से पूछताछ की, जिन्होंने यह उत्तर दिया कि साधु भूख और ठंड़ के कारण मर गया था और उस की हत्या नहीं की गई थी ।

**ब्लास्ट भट्टियां**

*१५१४. **श्री निरंजन जेना** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी साथ ने वर्नपुर में दो ठलास्ट भट्टियां बनाने की सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है ;

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की स्थापित क्षमता क्या है ; और

(ग) इस में कितनी पूंजी लगाई गई है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). सरकार ने किसी विदेशी सार्थ को अपनी इच्छा से भारत में ब्लास्ट भट्टियां बनाने की अनुमति नहीं दी है, किन्तु सरकार ने हाल ही में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी उन के इस्पात विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जिस का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है बर्नपुर में ऐसी दो भट्टियां बनाने के लिये इंगलैंड से सामान मंगवाने की एक आयात अनुज्ञप्ति दी है । प्रत्येक भट्टी की दैनिक क्षमता लगभग १,२०० टन होगी और इन पर लगभग २ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया जाता है ।

## रूई

*१५१५. **डा० जे० ऐन० पारिख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५३-५४ में कपड़ा मिलों और अन्य सूत्रों द्वारा कुल कितनी भारतीय रुई की खपत हुई ;

(ख) चालू मौसम में रुई की कितनी गांठें बचीं ;

(ग) १९५३-५४ में बंगाली, मठिया तथा धोलेरा रुई का कितना निर्यात हुआ ; और

(घ) छोटे रेशे वाली और धोलेरा रूई के निर्यात की अनुमति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९]

(घ) नीति यह है कि ऐसी रूई के निर्यात की अनुमति दी जाये, जो देश की आवश्यकता से अधिक होती है ।

## केन्द्रीय

*१५१६. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री निम्न जानकारी देने वाला विवरण सभा पलट पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मध्य प्रदेश के विस्थापित व्यक्तियों से केन्द्रीय ऋण के लि कितने प्रार्थना पत्र मिले हैं ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को केन्द्रीय ऋण दिये गये हैं ;

(ग) कितने व्यक्तियों को केन्द्रीय ऋण देने से इन्कार किया गया है और उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) अभी कितने मामले विचाराधीन हैं और उन के अन्तिम निपटारे में कितना समय लगेगा ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) पुनर्वास वित्त प्रशासन को मध्य प्रदेश के विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दिये गये ऋण प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) ३१ अक्टूबर, १९५४ तका ६४८ प्रार्थियों को ऋण देना मंजूर किया गया था ।

(ग) पृथक आंकड़ नहीं रखे जाते ।

(घ) ३१ अक्टूबर, १९५४, को मध्य प्रदेश के विस्थापित व्यवितयों से प्राप्त ऋण के २८ प्रार्थनापत्र विचाराधीन थे । तद्-पश्चात् इन में से ऋण के २७ प्रार्थनापत्रों का नवम्बर, १९५४ में निबटारा हो गया था । अब केवल एक प्रार्थनापत्र विचाराधीन

है और यह संभावना है कि जनवरी, १९५५ में होने वाली प्रशासन की आगामी बैठक में इस प्रार्थनापत्र का निबटारा हो जायगा ।

**पहाड़ी जिलों का विकास**

*१५१७. **श्रीमती खोंगमेन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना के अधीन आसाम के स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों के विकास के लिये आसाम सरकार ने कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं, यदि हां, तो उन योजनाओं का क्या स्वरूप है ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये भी इन जिलों के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्टट ६, अनुबन्ध संख्या ३०]

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**सलाहकार इंजीनियर**

*१५१८. **श्री बी० बी० गांधी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रूवर ब्रादर्स को, जो पहले दामोदर घाटी निगम के सलाहकार इंजीनयर थे, स देश में अन्य किसी परियोजना में नियुक्त किया गया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**राज्य द्वारा व्यापार**

*१५१९. **श्री कासलीवाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य द्वारा व्यापार की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यापार आन्तरिक व्यापार या विदेशी व्यापार तक ही सीमित रहेगा या दोनों इस में शामिल होंगे ; और

(ग) इस योजना के अधीन किन किन वस्तुओं का व्यापार होगा ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

**चन्द्रनगर**

*१५२०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम अवधि के बीच पश्चिम बंगाल विधान सभा में चन्द्रनगर के प्रतिनिधान के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : चन्द्रनगर (विलय) अधिनियम, १९५४ की धारा ६ के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा, राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया है कि चन्द्रनगर अपने आप पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिये एक पृथक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बना सकता है ।

संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (पश्चिम बंगाल ) परिसीमन आदेश, १९५१ में संशोधन करने के लिये आवश्यक अधिसूचना भारत गजट असाधारण भाग २—धारा ३, दिनांक १६ दिसम्बर, १९५४ में प्रकाशित हुई थी ।

निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिये प्रतिनिधि निर्वाचित करने के निमित्त चन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन करवाने के लिये यथा समय आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

**ऊन**

*१५२१. **श्रीमती कलेंदुमति शाह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष तिब्बत से टिहरी और गढ़वाल ज़िलों के लिये बहुत थोड़ी ऊन मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) से (ख). जून से अक्टूबर, १९५४ तक टिहरी तथा गढ़वाल जिलों में लगभग २,०६,३९४ पौंड तिब्बती ऊन मंगवाई गई है । इस में उत्तर देश के कुटीर उद्योग के लिये दो लाख पौंड तिब्बती ऊन की अनुमानित आवश्यकता सम्मिलित है । इन क्षेत्रों में तिब्बती ऊन के अभाव के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

**रेडियो मास**

*१५२२. **श्री तुलसीदास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का प्रतिवर्ष रेडियो मास मनाने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ।

**अम्बरनाथ वुलन मिल्ज़**

*१५२२-क. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बरनाथ वुलन मिल्ज़, कल्याण, बम्बई के ३,००० मजदूरों को सहसा बेकारी और भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले):** (क) तथा (ख). बताया जाता है कि अम्बरनाथ की निष्क्रांत मिलों में इन के बन्द हो जाने के कारण लगभग १,००० मजदूर इस समय बेकार हैं ।

**गया काटन ऐंड जूट मिल्ज़ लि०**

*१५२३. **श्री वी० मिश्र :**
**श्री आर० एन० सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष अन्य मिलों की तरह गया काटन ऐंड जूट मिल्ज लि० बिहार को रुई का कोटा नहीं दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ;

(ग) क्या यह सच है कि सामान्य कोटा न मिलने के कारण मिल बन्द की जाने वाली है ; और

(घ) यदि मिल बन्द हो जाये तो कितने मजदूरों के बेकार हो जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) मिल को अपना सामान्य कोटा दिया गया है ;

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**भारत-भूटान संधि**

*१५२४. **श्री विमला प्रसाद चालिहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४९ की भारत-भूटान संधि को संशोधित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूपभेद सुझाये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा) :** (क) तथा (ख). सरकार

को इस प्रकार की किसी मांग को ज्ञान नहीं है ।

### विदेशों में सूचना केन्द्र

*१५२५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कुल कितने ऐसे सूचना केन्द्र हैं जिन्हें नई दिल्ली स्थित विदेशी प्रचार विभाग द्वारा चलाया जाता है ;

(ख) क्या इन में से कोई १९५४ में खोले गये थे ; और

(ग) क्या स्विट्जरलैंड, मारीशस और फिजी में ऐसे केन्द्र हैं ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) ३४ केन्द्र ।

(ख) तथा (ग). इस वर्ष बर्न और सान फ्रांससिस्को में सूचना केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गई है । मारीशस और फिजी में कोई सूचना केन्द्र नहीं हैं ।

### दूतों को रियायतें

*१५२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का विचार है जिस में दौत्य सम्बन्धी हिदायतें दी गई हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस में क्या क्या मुख्य हिदायतें और प्रलेख होंगे ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) तथा (ख). सरकार का इस विषय में आम जानकारी के लिये कोई पुस्तक प्रकाशित करने का विचार नहीं है । विदेशों में स्थित कर्मचारियों के मार्ग-दर्शन के लिये वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने दौत्य सम्बन्धी कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में विभिन्न हिदायतों के संकलन का काम आरम्भ किया है । और चीजों के अतिरिक्त, इन में इस प्रकार के सामान्य दौत्य सम्बन्धी विषयों की चर्चा की गई है : (१) विदेशों में रहने वाले उन व्यक्तियों का पंजीयन जो भारत के नागरिक हैं (२) पारपत्र तथा वीसा (३) सम्पदाओं और आस्तियों को निपटाने की प्रक्रिया (४) भारतीय राष्ट्रजनों के धन की अभिरक्षा (५) मृत भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पदा (६) फीस (७) मुद्रा विनिमय नियन्त्रण (८) वैवहन (९) जाम तथा मरड का पंजीयन (१०) विवाह (११) प्रत्यर्पण और (१२) लेख्य प्रमाणक अधिनियम ।

### स्कूलों के लिये प्रसारण

*१५२७. **श्री डी० सी० शर्मा :**
**श्री बहादुर सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से स्कूलों के लिये होने वाले प्रसारणों में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब कितने स्कूलों में सारण सुनने का प्रबन्ध है ;

(ग) स्टेशनों की संख्या पर ध्यान न देते हुए वास्तविक श्रोताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) स्कूल प्रसारण की जांच करने के लिये किस अभिकरण से काम लिया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). १९५१ से आकाशवाणी के लखनऊ/इलाहाबाद, पटना नागपुर, मैसूर, हैदराबाद और अहमदाबाद स्टेशनों से स्कूल प्रसारण शुरू किये गये हैं ।

इसी अवधि में अर्थात् १९५१ से ३१ जुलाई, १९५४ तक स्कूलों द्वारा लिये गये

लाइसेंसों की कुल संख्या २३८२ से बढ़कर ४४४० हो गई है।

(ग) "वास्तविक श्रोताओं" के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कोई पृथक अभिकरण स्थापित नहीं किया गया। जांच सलाहकारों और तालिकाओं द्वारा और सुनने वाले स्कूलों और राज्य सरकारों के शिक्षा सम्बन्धी प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

**तम्बाकू से निकाला जाने वाला तेल**

*१५२८. { **श्री विभूति मिश्र:**
**श्री झूलन सिंह:** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस देश में, वर्जीनिया तम्बाकू के बीजों से तेल निकाला जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रति मन कितना तेल निकलता है; और

(ग) क्या तम्बाकू के बीज का तेल खाने के काम में आ सकता है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी हां।

(ख) औसतन ३० प्रतिशत।

(ग) जी हां।

**फौलाद का कारखाना**

*१५२९. { **श्री गिडवानी:**
**श्री आर० एन० एस० देव:** }

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में फौलाद का कारखाना लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितने कर्मचारी भर्ती किये गये हैं; और

(ग) ३१ अक्टूबर, १९५४ तक कितनी राशि खर्च की गई है?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी):** (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१].

(ख) १ दिसम्बर, १९५४ तक हिन्दुस्तान स्टील, लिमिटिड द्वारा कुल १०५ कर्मचारी भर्ती किये गये हैं। इन में से १७ टेकनीकल कर्मचारी हैं और ८८ गैर-टेकनीकल कर्मचारी हैं। इन में प्रशिक्षण के लिये चुने गये व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं।

(ग) ३१ अक्टूबर, १९५४ तक हिंन्दुतान स्टील लिमिटेड ने कुल ४६,३५,६०५ रुपये खर्च किये हैं।

**वायदा बाजार आयोग**

*१५३०. **श्री एस० एन० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायदा बाजार आयोग ने भारतीय रुई संविदा को संशोधित करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार किया है, ताकि उन सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को, जो कि हाल में देखने में आई हैं, दबाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां।

(ख) वायदा बाजार आयोग की सिफारिश पर, अक्टूबर, १९५४ में ईस्ट इंडिया काटन ऐसोसियेशन लिमिटेड बम्बई के

उपनियमों में, जो कि भारतीय रुई संविदा पर लागू होते हैं, अन्य संशोधनों के अतिरिक्त, ये संशोधन भी किये गये हैं :

(१) कुछ खुली सीमा से अधिक सदस्यों की दैनिक शुद्ध आय पर कुछ शर्तें लगाना ;

(२) सदस्य फर्मों के साझीदारों के व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने पर प्रतिबन्ध ;

(३) सदस्यों द्वारा तीन वर्षों तक सौदों का रिकार्ड रखा जाना ; और

(४) सदस्यों द्वारा दैनिक सौदों का ब्यौरा दिखाने वाला साप्ताहिक विवरण प्रस्तुत किया जाना ।

## पेच और नट

*१५३१. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेचों और नटों की मांग देशी उत्पादन से पूरी हो जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). यह मांग बहुत हद तक देशी उत्पादन से पूरी हो जाती है । कुछ विशेष प्रकार के पेच और नट जो कि देश में नहीं बनते या जिन का स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है, आयात किये जाते हैं । स्थानीय उद्योग को इन चीज़ों का उत्पादन यथासम्भव अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये कहा गया है ।

## हालैण्ड और भारत की रुकी हुई आस्तियां

*१५३२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :**
**डा० रामसुभग सिंह :**
**श्री इब्राहीम :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हालैण्ड की रुकी हुई आस्तियों की राशि कितनी है ?

(ख) ये आस्तियां क्यों रुक गयीं ;

(ग) क्या हालैण्ड में भारत की आस्तियां रुकी हुई हैं ; यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) क्या इन रुकी हुई आस्तियों के प्रश्न पर बातचीत हुई है और इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) लभगभग १२ लाख रुपये ।

(ख) दूसरे विश्व युद्ध में हालैण्ड पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद हालैण्ड शत्रु देश गिना जाने लगा और भारत में हालैण्ड की जितनी आस्तियां थीं वे शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक, बम्बई को सौप दी गयीं ।

(ग) अब तक की जानकारी नहीं मिलती परन्तु शत्रु-सम्पत्ति के अभिरक्षक के पास भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा रजिस्ट्रर कराये गये दावों के अनुसार, भारतीय आस्तियां लगभग सवा लाख रुपये की थीं जिस में से १ लाख रुपये के दावों का निबटारा कर दिया गया है ।

(घ) जी हां, अस्थायी करार हो गया है ।

**सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण**

*१५३३. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डा० जे० पी० नियोगी द्वारा कलकत्ता नगर का सामाजिक एवं आर्थिक सवक्षण करने के लिये ३,७८,००० रुपये का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रयोगात्मक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और प्रश्नावली को अन्तिम रूप दे दिया गया है । जिन घरों का अध्ययन किया जाना है उन की सूची बना ली गई है और मुख्य अनुसन्धान आरम्भ हो गया है ।

**हीराकुड योजना**

*१५३५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध योजना के प्रतिवेदन की कंडिका ५७ में लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार बड़े बड़े कार्यों और अहत्त्वपूर्ण योजनायों के लिये सरकार ने मुख्य टेक्नीकल परीक्षकों की नियुक्ति का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का कार्य क्या है ?

**सिंचाई और बिद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क ) और (ख). दामोदर घाटी योजना, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, तुंगभद्रा, रिहन्द, चम्बल आदि बड़ी बड़ी योजनाओं के प्रभारी अधिकारियों के परामर्श से प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**बाढ़ नियंत्रण**

*१५३६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षा ऋतु के पहले उत्तर बंगाल में बाढ़ के खतरे को रोकने के लिये कैसी कार्यवाहियां की जा रही हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि तिस्ता तथा अन्य नदियों के किनारों पर निर्माण कार्य गत वर्ष बहुत देर बाद आरम्भ किया गया था और समय में पूरा न होने के कारण तेज बाढ़ के परिणामस्वरूप केवल निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ही लगभग ७ लाख रुपये की हानि हुई ?

**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) सिलिगुरी, जलपायगुरी, अलीपुरदुआर्स, मठबंग और कूच बिहार नगरों की बाढ़ और मिट्टी के कटाव से रक्षा करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अल्प कालीन उपाय किये गये हैं। जलपायगुरि और कूचबिहार के कामों का अधिकांश भाग और अन्य तीन स्थानों का सम्पूर्ण निर्माण-कार्य आगामी वर्षा ऋतु के पहले पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) जी, नहीं । पश्चिमी बंगाल की सरकार ने प्रतिवेदित किया है कि सुरक्षा के लिये निर्मित्त व्यवस्था बाढ़ का सामना नहीं कर सकी क्योंकि इस वर्ष बाढ़ असामान्य रूप से प्रखर और गम्भीर थी । जलपायगुरि और कच बिहार जिलों में बाढ़ सुरक्षा-कार्यों की क्षति के परिणाम-स्वरूप लगभग २ लाख २५ हजार रुपये की हानि हुई ।

**कोरियाई शान्ति समझौता**

*१५३७. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पश्चिमी राष्ट्रों को कोई अनौपचारिक प्रस्थापना करके यह सिफारिश की है कि कोरियाई शान्ति समझौते के मामले पर आगे वार्ता जारी की जाये ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : जब इस महीने के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कोरिया का प्रश्न आया, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने एक संकल्प रखा जिस से और बातों के साथ उन्होंने यह आशा प्रकट की कि कोरियाई समझौते के प्रश्न पर और प्रगति की जायेगी, और सम्बद्ध राष्ट्रों से भी यह प्रार्थना की कि वे इस बात का ध्यान रखें। १५ राष्ट्रों ने भी जिन्होंने कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई कार्यवाही में भाग लिया था, एक संकल्प रखा जो बुनियादी रूप से भारतीय संकल्प से भिन्न नहीं था, किन्तु अन्तर केवल इतना था कि वह अप्रैल से जून, १९५४ में जेनेवा में हुई कोरियन राजनैतिक सम्मेलन के प्रतिवेदन का अनुमोदन करता था। महासभा ने इन १५ राष्ट्रों के संकल्प का अनुमोदन किया।

**त्रिपुरा में बेलोनिया के विस्थापित व्यक्ति**

*१५३८. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में बेलोनिया के २०० से अधिक विस्थापित व्यक्तिओं को अभी तक पंजीवद्ध होने के प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि उन्होंने सम्बन्द्ध विभाग को अपने शपथ पत्र दे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रत्यर्पण सन्धि**

*१५३९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री २२ मई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के गणराज्य बन जाने के बाद, भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई प्रत्यर्पण सन्धि सम्पन्न हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) उन व्यक्तिओं की कुल संख्या क्या है जिन्हें भारत चाहता है और जो भारत से पाकिस्तान भाग गये हैं और प्रत्यर्पण सन्धि के न होने के कारण वहां से वापस नहीं लाये जा सके ; और

(घ) इसी प्रकार भारत से पाकिस्तान कितने व्यक्ति चाहता है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं और इसलिये भारत सरकार इस समय पाकिस्तान सरकार से इस प्रकार की सन्धि के लिये बातचीत आरम्भ करना उचित नहीं समझती।

(ग) और (घ). आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

**टसर के कोये**

*१५४०. **श्री देवगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतर कच्चे टसर रेशम के कोये किस प्रदेश में पैदा होते हैं ;

(ख) उस क्षेत्र में पैदा किये जाने वाले टसर के कोयों की मात्रा क्या है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में माल तैयार करने की कोई संस्था है अथवा वस्तु निर्माण के लिये कोई प्रशिक्षण केन्द्र है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) बिहार तथा मध्य प्रदेश ।

(ख) २३००·४ लाख कोये ।

(ग) भागलपुर में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी रेशम संस्था है जहां टसर रेशम बुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

**शिमला में निष्क्रान्त व्यक्तियों के घर**

*१५४१. **डा० सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में विस्थापित व्यक्तियों को किराये पर दिये गये निष्क्रान्त व्यक्तियों के घरों की संख्या क्या है ;

(ख) उन से कुल कितना मासिक किराया वसूल किया जाता है ;

(ग) जिन्हें ये घर दिये गये हैं उन में से ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, जिन्होंने छः महीने या इससे अधिक का किराया नहीं दिया है ; और

(घ) नवम्बर, १९५४ में कुल कितने अ.वंटन रद्द किये गये ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) ९०० (नौ सौ ) ।

(ख) और (ग). जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ९ (नौ) ।

**उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण**

*१५४२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उत्तरी सीमान्त प्रदेशों की विकास योजनाओं में सामंजस्य और सहयोग लाने के लिये जो विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया था उस ने अभी तक कितनी प्रगति की है ?

**प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : विशेष पदाधिकारी २७ सितम्बर, १९५४ को नियुक्त किया गया था और उस ने सीमान्त क्षेत्रों के, जिन में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित हैं, कई दौरे किये हैं । दूसरे भागों में सर्दी के कारण अभी जाया नहीं जा सकता । पिछले दो मास में वह वहां की समस्याओं का अध्ययन कर सका है और विकास तथा कल्याण की योजनाओं की तैयारी तथा केन्द्र में उन की मंजूरी और समन्वय के बारे में सहायता कर सका है । किन्तु इस विषय में एक व्यापक प्रतिवेदन तैयार होने में कुछ समय लगेगा । अतः यह स्वाभाविक है कि समन्वय आदि के परिणाम आगामी ऋतु अर्थात् १९५५ के ग्रीष्म तक स्पष्ट न हो सकें ।

**दामोदर घाटी निगम**

*१५४३ .**श्री वी० दी० गांधी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम ने समझौते के भाग २ की कंडिका ४ को ध्यान में रखते हुए मैसर्स हिन्द-पटेल लिमिटेड की कम से कम महत्त्वपूर्ण मदों की दरों को कम करना आरम्भ कर दिया है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : हां, श्रीमान् । दामोदर घाटी निगम ठेकेदारों से बातचीत कर रहा है ।

**रूस के साथ व्यापार**

*१५४४. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** सभा पटल पर

यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी–सितम्बर, १९५४ में वस्तुवार रूस को कितने मूल्य की एवं कितनी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात किया गया और वहां से कितना तथा कितने मूल्य का आयात किया गया ; और

(ख) क्या व्यापार की यह मात्रा भारत-रूस व्यापार करार को दृष्टि में रखते हुए, संतोषजनक है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जनवरी–सितम्बर, १९५४ और १९५३ के उसी समय के जब कि भारत और रूस के मध्य कोई व्यापार करार नहीं हुआ था, भारत में रूस से आयात और यहां से रूस को निर्यात दिखाने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]**. विवरणों से यह पता लगेगा कि दोनों देशों के कुल व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है। ज्यों ज्यों सम्पर्क बढ़ेगा, त्यों त्यों व्यापार में और वृद्धि की पर्याप्त गुंजाइश है ।

### उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

***१५४५. श्री विमलाप्रसाद चालिहा** : क्य **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में, उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में विमानों के पैट्रोल की कमी के कारण संभरण की जाने वाली सामग्री नहीं गिराई जा सकी ; और

(ख) यदि हां, तो विमानों द्वारा संभरण न हो सकने के कारण वहां के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

**प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका)** : (क) और (ख). विमानों के पैट्रोल की अस्थाई कमी के कारण हमारे विमानों द्वारा सामग्री गिराने के कार्यक्रम में थोड़ी बाधा पहुंची थी, किन्तु इस से हमारी चौकियों की संभरण स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन के पास राशन दिसम्बर के अन्त तक चलने के लिये पर्याप्त था ।

### टायरों की लागत के सम्बन्ध में जांच

***१५४६. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ३१ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में बनाये जाने वाले टायरों की लागत के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्राप्त होने की संभावना है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अगले वर्ष किसी समय ।

### दृष्टांक

***१५४७. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत में अल्प-कालीन दृष्टांकों से आये हैं ; और

(ख) कितने व्यक्ति उसी समय के अन्दर पाकिस्तान लौट गये ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा)** : (क) ६,६५,६५८ ।

(ख) ६,१८,४०७ ।

**लोहे के पाइपों की फिटिंग्स (अनुज्ञप्ति)**

*१५४८. श्री गिडवानी :
श्री वी० पी० नायर :
श्री सारंगधर दास :
श्री आर० एन० सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ के उत्तरार्ध के लिये लचीले (मैलेबल) पाइपों की फिटिंग्स का अभ्यंश १२–१½ प्रतिशत निश्चित किया गया था, और इस की सूचना १६ जून, १९५४ को दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वदेशी उत्पादकों तथा आयात करने वालों की एक बैठक २२ जुलाई, १९५४ को बुलाई गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उस बैठक में इन वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक विशेष सार्थ को, १३ जुलाई, १९५४ को एक अनुज्ञप्ति दी गयी थी, जब कि अन्य सारे आवेदनपत्र पूर्ण प्रतिबन्ध के आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) नहीं, श्रीमान् । ऐसी बैठकों में इस प्रकार की कोई घोषणायें नहीं की जातीं ।

(घ) १३-७-५४ को एक सार्थ को एक आयात अनुज्ञप्ति दी गई थी जो महत्व-पूर्ण सरकारी तथा अर्ध सरकारी आर्डरों के लिये थी । किसी भी आवेदनपत्र को पूर्ण प्रतिबन्ध के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया था ।

**रूरकेला इस्पात सयंत्र को जल संभरण**

*१५४९. **श्री संगण्णा** : क्या उत्पादन मंत्री १८ नवम्बर, १९५४ को रूरकेल के परियोजित इस्पात संयंत्र को ब्राह्मणी नदी से जल संभरण करने के लिये वहां की सम्भरण शक्ति को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निश्चय का स्वरूप क्या है ?

**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी :)** (क) हिन्दुस्तान स्टील, लिमिटेड, के टेकिनीकल सलाहकारों ने, हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई प्रस्थापनाओं की परीक्षा की है । उन्होंने कुछ और प्रस्थापनायें की हैं । जिन का आशय संयंत्र को जल संभरण के "न पुनः परिचालन" तथा "पुनः परिचालन" के ढंगों में मितव्ययता के लिये बीच का मार्ग निकालना है । सलाहकारों के कहने पर उन के सुझाव हीराकुड बांध परियोजना के मुख्य इंजीनियर को उन की राय जानने के लिये भेज दिये गये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**खालें**

*१५५०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कच्ची खालों और चमड़े के निर्यात पर, भी अब प्रतिबन्ध है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** हां, श्रीमान् । गाय और भैंसों की कच्ची

खालों के निर्यात पर अब भी प्रतिबन्ध है।

**कनाडा**

*१५५१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय के एक भारतीय विद्यार्थी को वैनकूवर में सेंट हेलेम होटल में प्रवेश नहीं करने दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि उस के चार श्वेत साथियों को भी होटल में खाना दने से इंकार कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कनाडा स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के चन्दा)** : (क) से (घ). भारत सरकार ने कनाडा स्थित भारतीय उच्चायुक्त से इस विषय में आवश्यक जांच करने को कहा है । इन जांचों के पूरे होते ही सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

**दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय**

*१५५२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिणी अफ्रीका के नये प्रधान मंत्री ने जो नई नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया है , उस को ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि वहां के भारतीयों की दशा और अधिक खराब हो जायेगी ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : दक्षिणी अफ्रीका के नये प्रधान मंत्री; श्री स्त्रिजडम ने हाल के अपने एक भाषण में कहा है कि "दक्षिणी अफ्रीका में ही नहीं, अपितु उस के बाहर भी रंगभेद की नीति को शीघ्रता से बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।" जाति समस्याओं के सम्बन्ध में श्री स्त्रिजडम के इन उग्र विचारों के साथ साथ इस वक्तव्य से यह डर पैदा हो गया है कि दक्षिणी अफ्रीका में जाति सम्बन्ध और खराब हो जायेंगे । किन्तु नये प्रधान मंत्री ने अपनी एक हाल के प्रसारण में यह भी कहा है कि दक्षिणी अफ्रीका में गैर-यूरोपीय लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जायेगा ।

वर्तमान स्थिति में यह भविष्य वाणी करना कठिन है कि दक्षिणी अफ्रीका में घटनाओं का क्रम क्या होगा तथा दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों की हालत अच्छी होगी या बुरी ।

**पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी**

*१५५३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के पांच महा खंडों का पश्चिमी बंगाल सांख्यकीय विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था, क्या उस के परिणामों को सारणीबद्ध किया जा चुका है और क्या वे सरकार के पास भेजे दिये गय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के विशेष रूप से बेरोजगार के सम्बन्ध में, क्या परिणाम निकले हैं ।

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल सरकार से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर दे दी जायेगी ।

**दक्षिणी अफ्रीका**

*१५५४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने लिडेन्बर्ग, ट्रान्सवाल के किराया बोर्ड के विघटन की अनुमति दे दी है, ताकि कुछ भवनों से भारतीय किरायेदार हटाये जा सकें ;

(ख) इस कार्यवाही का कितने भारतीय किरायेदारों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उस का करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** (क) जी हां ।

(ख) जहां तक हमें मालूम है, लगभग ७५ भारतीय उद्भव के व्यक्तियों पर इस का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

(ग) सरकार इस विषय में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकती । फिर भी, हम ने लिडेन्बर्ग किराया बोर्ड के विघटन, का विशेष निर्देश करते हुए दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में राष्ट्र संघ के पास एक विशेष प्रतिवेदन भेजा है । दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहार का सामान्य प्रश्न भी राष्ट्र संघ के समक्ष है ।

**त्रिपुरा में विस्थापितों की भूख के कारण मृत्यु**

*१५५५. **श्री दशरथ देव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९५४ में त्रिपुरा में बिलोनिया की बाथम्बाडो बस्ती में कुछ विस्थापित व्यक्ति भूख से मर गये ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय**

*१५५६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** उन भारतीयों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो कि दक्षिणी अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप उस सरकार द्वारा अभी तक दण्डित हुए हैं ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) :** अफ्रीका में गैर योरोपीय लोगों द्वारा अन्तिम सविनय अवज्ञा आन्दोलन दो साल पूर्व किया गया था । तब से कोई सक्रिय आन्दोलन नहीं हुआ है । हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि उस आन्दोलन के सम्बन्ध में भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान १६ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

**उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण**

*१५५७. **श्री विमला प्रसाद चालिहा :** क्या **प्रधान मंत्री** १९ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण प्रशासन के मानव-विज्ञान परामर्शदाता, डा०

वेरियक एल्विन को आदिम जाति के लोगों से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मामलों पर कौन सी विशिष्ट सिफारिशें की हैं ?

**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (१) सभी प्रकार के धर्म परिवर्तन के कार्यों को निरुत्साहित करना चाहिये और इस प्रकार का कोई प्रचार नहीं होना चाहिये कि एक धर्म दूसरे से ऊंचा है ।

(२) आदिम जाति के लोगों की कला, सांस्कृति, दस्तकारी तथा अन्य विशेषताओं की यथा संभव रक्षा होनी चाहिये ।

(३) बुनियादी शिक्षा आरम्भ की जानी चाहिये ।

(४) हिन्दी को यथा शीघ्र आरम्भ करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

(५) पदाधिकारियों और अध्यापकों का सावधानी पूर्वक चुनाव होना चाहिये और उन्हें आदिम जाति के लोगों की भाषा तथा रीति रिवाजों का अध्ययन करना चाहिये ।

**अमरीकी वस्तुएं खरीदो अधिनियम**

८९२. **श्री एन० बी० चौधरी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के अमरीकी वस्तुयें खरीदो अधिनियम का किसी रूप में उस देश के साथ हमारे व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). इस विषय की परीक्षा की जा रही है ।

**उर्वरक व सीमेंट के कारखाने के लिये ऋण**

८९३. **मुल्ला अब्दुला भाई**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में एक उर्वरक व सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता अथवा ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ऋण या अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धन राशि मंजूर की है

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) नहीं. श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**जस्ता गलाने का संयंत्र**

८९४. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ सितम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक जस्ता गलाने का संयंत्र लगाने के प्रश्न की जांच करने के लिये जो समिति बनाई गई थी उस के प्रतिवेदन पर विचार करने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं और उस के पूरे हो जाने की कब तक संभावना है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जस्ता गलाने के संयंत्र की स्थापना का विचार करने से पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक है कि प्रतिदिन कम से कम कुछ निश्चित मात्रा में कच्ची धातु का उत्पादन हो सके । कच्ची धातु के इस न्यूनतम उत्पादन की प्राप्ति के लिये सरकार सम्बद्ध खानों के विकास के लिये कुछ प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ।

**राजस्थान को सहायता**

८९५. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल—दिसम्बर, १९५४ में निम्नलिखित उद्योगों के लिये अनुदान या ऋण के रूप में राजस्थान को दी गई सहायता की राशि कितनी है ;

(१) ग्रामोद्योग ;

(२) खादी ;

(३) ऊन उद्योग ;

(४) हाथ करघा और

(५) मधुमक्खी पालन ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : आवश्यक सूचना नीचे सारणी में दी जाती है :—

| उद्योग का नाम | मंजुर धन राशि | | |
|---|---|---|---|
| | अनुदान | ऋण | टिप्पण |
| | रुपये | रुपये | |
| (१) ग्राम उद्योग . . | १५,३७५ | ४०,८७५ | नवम्बर, १९५४ तक की सूचना उपलब्ध है । |
| (२) खादी . . | अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी । | | |
| (३) ऊन उद्योग . . | शून्य | शून्य | |
| (४) हाथ करघा . . | ८७,२४० | ३,१९,५०० | |
| (५) मधुमक्खी पालन . | शून्य | शून्य | |

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी**

८९६. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३१ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से ऐसा कोई निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये अस्थायी रूप से रखे गये कर्म-

चारी वेतन तथा भत्तों के मामले में नियमित सरकारी स्थापनाओं के कर्मचारियों के समान ही समझे जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन है ।

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के लिये अस्थायी रुप से रखे गये कर्मचारी (चौकीदार)**

८९७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०६५ दिनांक ११ जुलाई, १९५१ के अनुसार नियत की गई मंजूरी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों की स्थापना में चौकीदारों पर लागू होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि न्यूनतम मंजूरी नियमों के अनुसार किसी भी श्रमिक से एक दिन में ९ घंटे और एक सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक काम करने के लिये नहीं कहा जा सकता ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन नियमों के विरुद्ध चौकीदारों को १२ घंटे काम करने के लिये बाध्य किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस विषय को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). यह प्रश्न किये चौकीदार इस अधिसूचना के अन्तर्गत आते हैं या नहीं और आते भी हैं तो किस हद तक, सरकार के विचाराधीन है ।

**उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण**

८९८. **श्री विमला प्रसाद चालिहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से अब तक उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में हुई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या कितनी है जिन के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) मारे गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक दशा में ऐसी घटनाओं के कारण क्या थे ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**मोम**

८९९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक भारत में कुल कितना मोम तैयार किया गया है ;

(ख) इसी अवधि में कितनी मात्रा की खपत देश में हुई और कितनी मात्रा निर्यात की गई है ; और

(ग) उस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). पेट्रोल से बन हुए उत्पादों के उत्पादन और उन की खपत सम्बन्धी सूचना प्रकट करना लोक हित में नहीं है। जून, १९५४ के अन्त तक निर्यात की गई मोम की मात्रा और उस के निर्यात के मूल्य के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट, ६ अनुबन्ध संख्या ३३).**

**संभरण विभाग के भाण्डार**

९००. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संभरण तथा उत्सर्जन महा निदेशक द्वारा १ जनवरी, से ३० नवम्बर, १९५४ तक सरकारी माल मंगाने वालों को कितने पुस्त मूल्य के भाण्डार दिये गये; और

(ख) ऐसे अतिरिक्त भाण्डारों का मूल्य क्या है जो कि सरकारी माल मंगाने वालों अथवा अन्य प्राथमिकता वाले माल मंगाने वालों द्वारा नहीं लिया गया है वरन (१) टेंडरों और (२) सार्वजनिक नीलाम के द्वारा बेचा गया ?

**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) ०·७० करोड़ पये ।

(ख) (१) ५·९७ करोड़ पये (पुस्त मूल्य) ।

(२) ६·३९ करोड़ पये (पुस्त मूल्य)

**अन्तरिम सहायता योजना**

९०१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिम सहायता योजना के अन्तर्गत १९५४ में डाक प्रमाण पत्रों तथा डाक घर बचत बैंक में धन जमा करने वाले उन लोगों को कितनी तात्कालिक सहायता दी गई है जिनके लेखे पाकिस्तान से स्थानान्तरित नहीं किये जा सके ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के दावे सत्यापित किये गये हैं ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) १,१६,५२९ रुपये ।

(ख) १३,६३,९१० रुपये ।

**विस्थापित व्यक्तियों को ऋण**

९०२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) इस काल में उनसे कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)**: (क) तथा (ख). सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

**पंजाब को अनुदान**

९०३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५४–५५ में अब तक छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति के लिये दी गई राशि बताने की कृपा करेंगे ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : ७,११,११२ रुपय

**भारतीय चल चित्र समारोह**

९०४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुछ देशों में भारतीय चलचित्र समारोह मनाये जाने वाले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : (क) तथा (ख). जी हां, अमरीका में ।

**पाकिस्तान में बन्दी बनाये गये भारतीय सिपाही**

९०५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक दर्जन भारतीय सिपाही जिन्हें पाकिस्तानी पुलिस ने राजस्थान की सीमा में गिरफ्तार कर लिया था और बाद में १५ मास तक बन्दी बनाये रखा था अब छोड़ दिये गये हैं और १ अक्टूबर, १९५४ को पुनः भारत वापस भेज दिये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की जेल में उन्हें यातनायें दी गई थीं ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु)** : ३० जुलाई, १९५२ को पाकिस्तानी पुलिस ने भारतीय राज्य क्षेत्र में राजस्थान में दो हेड कांस्टेबिलों और १० कांस्टेबिलों पर अचानक धावा बोल दिया था और वे उन्हें पाकिस्तान ले गये थे । उन में से प्रत्येक को एक दोष के लिये एक वर्ष का कठोर कारावास और ५०० रुपये का अर्थ दण्ड तथा दूसरे दोष के लिये सात वर्ष का कठोर कारावास और २,००० रुपये का अर्थ दण्ड दिया गया था । भारत सरकार द्वारा अभ्यावेदन करने के परिणामस्वरूप उन्हें २३ सितम्बर, १९५४ को मुक्त कर दिया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

**इंजीनियर**

९०६. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी बहुमुखी परियोजनाओं पर विभिन्न वर्गों के इंजीनियरों के मंजूर पदों की संख्या कितनी है ;

(ख) मंजूर पदों में से कितने पद रिक्त हैं ;

(ग) इसका क्या कारण है ; और

(घ) इन रिक्तियों की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: केन्द्र द्वारा नियंत्रित बहुमुखी परियोजनाओं जैसे हीराकुड, दामोदर घाटी निगम तथा भाखरा-नांगल के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

(क) एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा उनसे ऊंचे पद के वरिष्ठ इंजीनियरों की संख्या २४३
एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के पद से नीचे के कनिष्ठ इंजीनियर ८७०

(ख) वरिष्ठ इंजीनियर १७
कनिष्ठ इंजीनियर ७९

(ग) (१) उपयुक्त योग्यता प्राप्त और अनुभवी इंजीनियरों की सामान्य कमी ; और

(२) पदों की मंजूरी तथा सीधे अथवा राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये पदाधिकारियों की भर्ती के बीच समय का अन्तर ।

(घ) (१) नये इंजीनियरिंग के स्नातकों तथा राज्यों के कार्य नियुक्त इंजीनियरों के प्रशिक्षण की योजनायें आरम्भ की गई हैं;

(२) संगठन के उपयुक्त पदाधिकारियों की पदोन्नति की जा रही है ;

(३) परियोजना पर कुछ कार्यों के पूरे हो जाने के कारण डिविजनों के बन्द हो जाने से जो पदाधिकारी फालतू हो जाते हैं उन का स्थानान्तरण परियोजना के अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिये कर दिया जाता है ;

(४) सिंचाई तथा विद्युत् शक्ति इंजीनियरों की एक अखिल भारतीय सेवा निर्माण करने के लिये एक योजना बनाई जा रही है ; और

(५) दीर्घकालीन योजना के लिये एक समिति की नियुक्ति देश में उपलब्ध होने वाली टेक्निकल जनशक्ति का पता लगाने और इस समय चालू तथा भविष्य में आरम्भ की जाने वाली सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं को लागू करने के लिये आवश्यक टेक्निकल कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के सम्बन्ध में उपायों की सिफारिश करने के लिये की गई है ।

**गृह-अर्थ व्यवस्था में महिलाओं का प्रशिक्षण**

९०७. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में गृह-अर्थ व्यवस्था विभाग खोले गये हैं और उन विभागों में कितनी महिलायें प्रशिक्षित की जा सकती हैं ;

(ख) क्या गृह-अर्थ व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्रों में काम करने वाली महिलाओं को कोई वेतन दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) से (ग). मांगी गई सूचना के लिये सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखे गये थे । आंध्र, बिहार, दिल्ली, त्रावनकोर-कोचीन और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों के अतिरिक्त अन्य सभी के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं । उन के उत्तरों से ज्ञात होता है कि उनमें से किसी ने भी अब तक गृह-अर्थ व्यवस्था विभाग नहीं खोले हैं ।

**विदेशी चल-चित्र**

९०८. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी चल-चित्रों की संख्या कितनी है जिन को जांच समितियों द्वारा पहले ही देख लिया गया है और १९५४ में जिन्हें क्रय करने के लिये स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) उन के क्रय पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**चाय**

९०९ { **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** :
**श्री नवल प्रभाकर** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चाय को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) चालू वर्ष में ऐसे आन्दोलन पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) किन किन देशों में यह कार्यवाही की गई है और अब तक क्या परिणाम निकला है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) चाय व्यापार के सहयोग से कुछ प्रमुख चाय उत्पादक देशों में संयुक्त चाय संवर्धन परिषदों अथवा निगमों की स्थापना करना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेना उपयुक्त प्रचार के सामग्री तथा इश्तहारों का वितरण और चलचित्रों को दिखाने आदि ।

(ख) १९५४ में लगभग ३३ लाख रुपये ।

(ग) अमरीका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, आयर तथा नीदरलैंड में संयुक्त चाय संवर्धन परिषदें बनाई गई हैं । सूचना मिली है कि अमरीका में परिणाम अच्छा निकला है । अन्य देशों का परिणाम बता सकना समय से बहुत पूर्व होगा ।

**टेक्निकल सहायता**

९१०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना अथवा चतुर्थ सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत की चलचित्र उद्योग के लिये किसी देश से उपकरण और जनशक्ति के रूप में टेक्निकल सहायता के लिये कोई प्रस्थापनायें अथवा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या अब तक किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि कोई सहायता मिले तो उसे उद्योग को किस प्रकार उपलब्ध कराने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क ) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**क्वार्टरों के आबंटन संबंधी नियम**

९११. **श्री तिम्मय्या** : क्या **निर्माण आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के ५०० रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को जब उन के पद के अनुरूप क्वार्टर उपलब्ध नहीं होते तो उन के स्तर से निम्न श्रेणी के क्वार्टर दे दिये जाते हैं । और

(ख) यदि हां, तो यही रियायत ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले पदाधिकारियों को क्यों नहीं दी जा सकती ?

**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां ।

(ख) उन लोगों के विपरीत जिन को ५०० रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन मिलता है और जिन के मामले में प्राथमिकता की तिथि उस तिथि से ही लगाई जाती है, जब कि किसी विशिष्ट श्रेणी के मकान के अधिकारी हो जाते हैं, ५०० रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले को यह अनुमति है कि वे इस बात का ख्याल किये बिना कि समय समय पर वे किस श्रेणी के मकान के अधिकारी बने, आवटन हेतु अपनी सारी अर्हता प्राप्त सेवा की गणना कर सकते हैं । अगली निम्न श्रेणी के क्वार्टर देने की रियायत के बजाय अधिकांश ऐसे पदाधिकारियों के लिये यह रियायत अधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है ।

कुछ भी हो, ५०० रुपये से कम वेतन पाने वाले पदाधिकारियों के मामलों पर विशेष क्वार्टर देने के लिये भी जो कि उन की श्रेणी के नियमित क्वार्टरों से कुछ निचली श्रेणी के होते हैं, विचार किया जाता है ।

**फालतू भांडारों का विक्रय**

९१२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अक्टूबर, १९५४ तक उत्सर्जन निदेशालय को फालतू भांडारों के विक्रय से कितनी धन राशि प्राप्त हुई ;

(ख) इन भांडारों का कुल पुस्त मूल्य क्या था ;

(ग) इसी अवधि में उत्सर्जन निदेशालय को कितने मूल्य के फालतू भंडार दिये गये और किन विभागों द्वारा दिये गये; और

(घ) इसी अवधि में उपयोग हेतु अन्य विभागों को कितने मूल्य के फालतू भंडार दिये गये ?

**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ३.१० करोड़ रुपये ।

(ख) १०.५९ करोड़ रुपये ।

(ग) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]** :

(घ) ०.५७ करोड़ रुपये (पुस्त मूल्य)

**विद्युत विसंवाहक**

९१३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र में गुड़र के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सरकारी करखाने को विद्युत विसंवाहक बनाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी)** : (क) नहीं, श्रीमान, आन्ध्र सरकार को यह सलाह दी गई है कि वह इस काम के लिये वर्तमान तथा परियोजित क्षमता का ध्यान रखते हुये विद्युत विसंवाइकों के बनाने के लिये अपनी योजना की पुनः जांच करे तथा सफाई इत्यादि का सामान बनाने के लिये जिनकी कमी है, आयातित उपकरण का प्रयोग करे ।

(ख) उच्च शक्ति के विसंवाहकों को तैयार करने के लिये देश में वर्तमान और परियोजित क्षमता देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त से अधिक समझी जाती है ।

**वंशधर परिपोजना**

९१४. **श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री आंध्र राज्य की वंशधर परियोजना के बारे में १५ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से इस परियोजना के सम्बन्ध में उड़ीसा और आंध्र सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का क्या रूप है ?

**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) और (ख). अभी तक वंशधर परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । यह ज्ञात हुआ है कि इस परियोजना के ब्यौरे

के बारे में उड़ीसा और आंध्र सरकारों के बीच परामर्श हो रहा है ।

**फिलिप्पाइन में भारत के दूत**

९१५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ नवम्बर, १९५४ को दिल्ली के एक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में शले नौवस ने फिलिप्पाइन स्थित भारत के दूत द्वारा इन शब्दों के कहे जाने का आरोप लगाया था कि "इस स्थान के बारे में मैं क्या सूचना दे सकता हूं ? यह एक अमरीकी उपनिवेश है, और फिली-प्पाइन निवासी इस के बारे में नहीं जानते ।"

(ख) क्या यह सच है कि फिलीप्पाइन के राष्ट्रपति ने इस आरोपित वक्तव्य पर आपत्ति की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) श्री बेग ने बताया है कि उन्होंने शले नौक्स को कोई ऐसी बात नहीं कही थी उस के बाद मनीला के समाचार पत्र में मि० नौक्स ने यह बक्तव्य जारी किया है । "अगर श्री बेग इस बात से इंकार करते हैं कि उन्होंने ऐसी बात कही थी तो मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि वही ठीक हो और मेरी स्मरण-शक्ति में कुछ खराबी आयी हो । भारत के मंत्री से जो फिर बातचीत हुई उस से यह मालूम हुआ कि उन में फिलिप्पाइन वालों के प्रति अमैत्री शक्ति बिल्कुल भी नहीं है ; उन्हें तो केवल राष्ट्र के भावी कल्याण की चिंता है ।"

**अभ्रक**

९१६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक का निर्यात-व्यापार करने वाले विदेशी सार्थों के क्या नाम हैं, एवं भारत-वर्ष में उन के व्यापारिक स्थान कौन से हैं ; और

(ख) वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ (३१ मार्च, १९५४ तक) में उन्होंने व्यापार में कितना धन लगाया था ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) तथा (ख). अभ्रक के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है और अभ्रक का निर्यात व्यापार करने वाले सार्थों के नाम पंजीबद्ध नहीं किये जाते । इसलिये जो जानकारी मांगी गई है वह इस समय उपलब्ध नहीं है ।

**राजस्थान को अनुदान**

९१७. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित कार्यों के लिये योजना काल में अब तक कितनी सहायता ऋण तथा अनुदान के रूप में राजस्थान को दी गई है :

(१) छोटे छोटे उद्योग ;

(२) छोटे छोटे बांध ;

(३) सड़कें ; तथा

(४) पुल ?

**योजना उपमंत्री श्री एल० एन० मिश्र)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**.

**वायदा बाजार**

९१८. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री उन मुख्य वस्तुओं के नाम

बताने की कृपा करेंगे जिन का हमारे देश में वायदा बाजार में सौदा किया जाता है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी)** : रुई (ईस्ट इंडिया कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड, बम्बई, में), अखाद्य तिलहन ; नारियल का तेल (केवल त्रावनकोर-कोचीन में ही जिस की अनुज्ञा है) ; मसाले (केवल त्रावनकोर-कोचीन में जिस की अनुज्ञा दी गई है) चांदी सोना, गुड, लाख, नकली रेशमी धागा, अलौह धातुएं , दालें, ज्वार, खली, तम्बाकू तथा काजू ।

## भूमि आवंटन

९१९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विचार किया है जिन की भूमि का आवंटन किया गया था और जिन की भूमि अभी हाल की बाढ़ में बह गई थी ;

(ख) क्या पंजाब तथा पेप्सू राज्यों में अब भी निष्क्रमणार्थियों की भूमि बाकी है जिस का आवंटन नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस भूमि को उन विस्थापित व्यक्तियों में आवंटन करने का विचार है जिन पर इस बाढ़ का प्रभाव पड़ा है ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) पंजाब सरकार को उन व्यक्तियों की ओर से जिन को कि भूमि का आवंटन किया गया था, कुछ अभ्यावेदन मिले हैं, जिस में कहा गया है कि हम को जो भूमि दी गई थी वह बह गई है । उन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जांच हो रही है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उन ज़िला प्राधिकारियों से, जो कि जांच कर रहे हैं, प्रतिवेदन मिलने के बाद ही उत भूमि के स्थान पर दूसरी भूमि देने के प्रश्न के बारे में राज्य सरकार विचार करेगी ।

## त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

९२०. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रिपुरा में अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को अपने ऋण के वापस करने के बारे में नोटिस मिले हैं ; और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों से पैसे वसूल हो गये हैं ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे०के० भोंसले)** : (क) ११,५१२ व्यक्ति ।

(ख) ७८१ व्यक्ति ।

## विस्थापित व्यक्तियों के लिए सरकारी क्वार्टर

९२१. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विस्थापित व्यक्तियों को जो दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से रह रहे थे, मकान खाली कराने से पूर्व रहने के लिये दूसरे स्थान दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल १९५३ के बाद से सरकार ने पुनर्वास क्वार्टरों का आवंटन करना बन्द कर दिया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उन विस्थापित व्यक्तियों को किस प्रकार बसायेगी जो सरकारी कर्मचारी के रूप में सरकारी क्वार्टर पाने के अधिकारी थे और अब पुनर्वास क्वार्टरों से वंचित हो गये ?

**पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले)** : (क) जी हां : उस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार

जो १३-८-४९ को जारी की गई थी और जिस की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६]।**

(ख) क्षतिपूर्ति योजना के आधार पर दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में अप्रैल १९५३ से मकानों, छोटे घरों की बिक्री बन्द कर दी गई थी। उन विस्थापित व्यक्तियों को जो मकान आदि पाने के अधिकारी हैं, और अब सड़कों पर रह रहे हैं अथवा अनधिकृत रूप से सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं, वैकल्पिक आवास की अब भी व्यवस्था की जा रही है।

(ग) अन्य विस्थापित व्यक्तियों की भांति विस्थापित सरकारी कर्मचारी भी पुनर्वास बस्तियों में मकान, छोटे घर तथा प्लाट खरीद सकतें। इस प्रकार के व्यक्तियों को किराये पर आवास देने की भी व्यवस्था की गई है, किन्तु उन को एस्टेट आफीसर (संपदा पदाधिकारी) द्वारा दिये गये ये स्थान त्यागपत्र देने, अवकाश पाने, नौकरी से अलग किये जाने, मृत्यु, आदि पर खाली करने होंगे बशर्ते कि उन के पास रहने का कोई और स्थान न हो।

**कावेरी नदी**

९२२. **श्री बूवराघ सामी**: क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी का कितने प्रतिशत पानी प्रति वर्ष सिंचाई के काम लाया जा रहा है ;

(ख) कावेरी नदी से कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ;

(ग) वर्ष में दूसरी तथा तीसरी फसलों के लिये कितना प्रतिशत पानी काम आ रहा है ; और

(घ) वर्ष में कितने प्रतिशत फालतू रहता है ?

**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्रता से सभा पटल पर रखी जायेगी।

**हीराकुड परियोजना**

९२३. **श्री सारंगधर दास**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हीराकुड परियोजना में कितने सुपरिन्टेंडिंग एक्जीक्यटिव तथा असिस्टेंट इजीनियर और सुपरवाइज़र हैं, और प्रत्येक श्रेणी में उड़ीसा के इंजीनियरों की संख्या कितनी है?

**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री हाथी)**:

| पद | कुल संख्या | उड़ीसा के इंजीनियरों की संख्या |
|---|---|---|
| सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर . . | ४ | शून्य |
| एक्जीक्यूटिव इंजीनियर . . | २४ | ८ |
| असिस्टेन्ट एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर . | ७ | — |
| असिस्टेंट इंजीनियर . . | ९७ | २१ |
| सुपरवाइज़र . . . | ३८२ | १२३ |

**सीमा की घटनायें**

९२४. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि ८ दिसम्बर, १९५४ को कुछ सशस्त्र पाकिस्तानी पुलिस-सिपाही सतलुज नदी पार कर फिरोजपुर से २२ मील दूर पट्टोक के निकट भारतीय सीमा में इस विचार से घुस आये थे कि भारतीय क्षेत्र के कुछ भाग पर जबरदस्ती से अधिकार करलें;

(ख) क्या यह सच है कि गत पखवाड़े में यह उन का दूसरा प्रयत्न था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). पंजाब (भारतवर्ष) सरकार से जानकारी मांगी गई है, और मिलने पर यह सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

**उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण**

९२५. **श्री विमलाप्रसाद चालिहा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के सुबांनसीरी डिवीज़न के पोलिटिकल आफिसर के कार्यालय की जब इस वर्ष लेखा-परीक्षा हो रही थी तो उन का रोकड़ खाता खोया हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष भी लेखा परीक्षा के समय आकस्मिक व्यय का खाता खो गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष लेखा परीक्षा के समय आय तथा व्यय में ३०,००० पये की भूल मिली थी और उसी रात को रहस्यपूर्ण अग्निकांड ने सारे आफिस को जला दिया ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच करने का है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (घ). सुबांससीरी डिवीज़न के पोलीटीकल आफीसर के कार्यालय में ६ मार्च, १९५४ को अर्द्धरात्रि को (१२ बजे) आग लगी थी । कार्यालय का भवन बिल्कुल जल गया और कार्यालय के सभी कागज तथा फर्नीचर जल गया । इस की पूरी जांच के आदेश दिये गये हैं और अभी जांच हो रही है ।

---

H.N.s.—594LsD—31-8-55—240

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 7/7/03
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

( खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

# विषय-सूची

## खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

---

### अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.


| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु . . . . | १२०५–०६ |
| स्थगन प्रस्ताव — | |
| बैंक कर्मचारियों की हड़ताल . . . . . | १२०७–१२ |
| राज्य-सभा से सन्देश . . . . . | — |
| ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . | १२१३–१४ |
| याचिका प्राप्त . . . . . | १२१४ |
| ारांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . | १२१४–१५ |
| भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति— | |
| छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १२१५–१६ |
| ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— | |
| खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . | १२१६–८६ |
| खंड ६६ से ८० . . . . . | १२१८–२७ |
| खंड ८१ से ८८ . . . . . | १२२७–५७ |
| खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . . | १२५७–८६ |


---

### अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.


| | |
|---|---|
| भा का कार्य— | |
| सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . . | १२८७–८८ |
| ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— | |
| खण्डों पर विचार—समाप्त . . . | १२८४–१३८७ |
| खण्ड २२ . . . . . | १२८८–१२९६ |
| खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क | |
| खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया | |
| खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . . | १२९६–१३७६ |
| संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . . | १३७६–७८ |


---

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४


| | स्तम्भ |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . . | १३७९–८ |
| विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें . | १३८०–८ |
| पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन . . . . . | १३८ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| याचिका उपस्थापित . . . . . . | १३८ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . . | १३८१ |
| तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . . | १३८२ |
| दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित | १३८२–१४३१ |
| श्री एम० ए० अय्यंगार . . . . . . | १३८३–८६ |
| श्री ए० एम० थामस . . . . . . | १३८६–९२ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी . . . . . . | १३९२–९७ |
| श्री एस० एस० मोरे . . . . . . | १३९७–९९ |
| श्री दातार . . . . . . . | १३९९–१४०७ |
| पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . . | १४०७–१३ |
| श्री एन० सी० चटर्जी . . . . . . | १४१३–१५ |
| श्री आर० डी० मिश्र . . . . . . | १४१५–२१ |
| डा० काटजू . . . . . . . | १४२३–३१ |
| हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक— | |
| संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . | १४३१–८८ |
| श्री पाटस्कर . . . . . . . | १४३१–४० |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . . | १४४०–४८ |
| श्री टेक चन्द . . . . . . . | १४४८–५२ |
| श्री बी० सी० दास . . . . . . | १४५२–५६ |
| श्रीमती जयश्री . . . . . . | १४५६–५७ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . . . | १४५७–५८ |


---

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . . | १४५९–६० |
| भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . . | १४६०–६१ |
| हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक— | |
| संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव . | १४६१–१५११ |
| श्री डी० सी० शर्मा . . . . . . | १४६१–६८ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्रीमती सुचेता कृपलानी . . . . . | १४६३–६६ |
| श्री एन० सी० चटर्जी . . . . . | १४६६–७२ |
| श्री बोगावत . . . . . | १४७२–७६ |
| पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . | १४७६–६८ |
| श्री पी० सुब्बा राव . . . . . | १४६२–६७ |
| श्रीमती उमा नेहरू . . . . . | १४६७–१५०० |
| सरदार इकबाल सिंह . . . . . | १५००–०२ |
| श्री पाटस्कर . . . . . | १५०२–१४ |
| निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)— | |
| विचार प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . | १५१६–४६ |
| डा० काटजू . . . . . | १५१६–४२ |
| श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी . . . . | १५४२–४६ |


---

**अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| पटल पर रखा गया पत्र— | |
| समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . | १५४७ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . | १५४७–८६ |
| श्री ए० के० गोपालन . . . . . | १५४८–५७ |
| श्री जी० एच० देशपांडे . . . . . | १५५७–६१ |
| श्री वीरस्वामी . . . . . | १५६१–६३ |
| श्री अशोक मेहता . . . . . | १५६३–६६ |
| श्री एम० पी० मिश्र . . . . . | १५६६–७६ |
| श्री वी० जी० देशपांडे . . . . . | १५७६–८५ |
| श्री टेक चन्द . . . . . | १५८५–८७ |
| श्री एन० एम० लिंगम . . . . . | १५८७–८६ |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति— | |
| पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १५८६ |
| सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . | १५६० |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)— | |
| पुरःस्थापित . . . . . | १५६१ |
| सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित | १५६१ |
| वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . | १५६१–१६०४ |
| श्री डाभी . . . . . | १५६१–६२ |
| डा० पी० एस० देशमुख . . . . . | १५६२–१६०४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)— | |
| प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित | १६०४–१७ |
| श्री यू० सी० पटनायक | १६०४–११ |
| डा० काटजू | १६११–१ |
| श्रीमती इला पालचौधरी | १६१२–१ |
| ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क | १६१३–१ |
| श्री कानावाड़े पाटिल | १६१५–१७ |
| महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त | १६१७–३४ |
| श्रीमती उमा नेहरू | १६१७–१९ |
| श्री पाटस्कर | १६१९–२२ |
| श्रीमती सुषमा सेन | १६२२ |
| श्रीमती जयश्री | १६२२–२३ |
| श्रीमती ए० काले | १६२३ |
| श्रीमती मायदेव | १६२३–२५ |
| श्री केशवैयंगार | १६२५ |
| श्रीमती इला पालचौधरी | १६२५–२६ |
| श्री डी० सी० शर्मा | १६२६–२८ |
| श्री टी० एस० ए० चेट्टियार | १६२८–३० |
| श्री धुलेकर | १६३१–३३ |
| विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)— | |
| पुरःस्थापित | १६३१ |


---

**अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी | १६३५–३८ |
| सभा का कार्य— | |
| रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन | १८३८–३९ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त | १८३९–१७३ |
| श्री एन० एम० लिंगम | १६३९–४१ |
| श्री एन० सी० चटर्जी | १६४१–४९ |
| श्री रामचन्द्र रेड्डी | १६४९–५० |
| श्री केशवैयंगार | १६५०–५२ |
| श्रीमती ए० काले | १६५२–५५ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्रीमती रेणु चक्रवर्ती | १६५४–६० |
| श्री कासलीवाल | १६६०–६२ |
| श्री भागवत झा आज़ाद | १६६२–६६ |
| डा० एन० बी० खरे | १६६६–७६ |
| श्री दातार | १६७७–६० |
| डा० कृष्णस्वामी | १६६०–६४ |
| श्री चट्टोपाध्याय | १६६४–६७ |
| श्री सी० आर० नरसिंहन | १६६७–६८ |
| श्री मूलचन्द दुबे | १६६८–१७०० |
| पण्डित के० सी० शर्मा | १७००–०२ |
| श्री राघवाचारी | १७०३–०५ |
| कुमारी एनी मैस्करीन | १७०५–०७ |
| श्री आर० सी० शर्मा | १७०७–१४ |
| श्री सारंगधर दास | १७१४–१७ |
| पण्डित ठाकुर दास भार्गव | १७१७–३२ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | १७३२ |

**अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.**

| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी | १७३३–३४ |
| न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना | १७३५–३८ |
| आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड | १७३८–३९ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| विमान निगम नियम | १७३९–४० |
| औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन | १७४० |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई | १७४० |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई | १७४० |
| मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध | १७४०–४५ |
| निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत | १७४५–१८०८ |
| श्री एच० एन० मुकर्जी | १७४५–५० |
| डा० एस० एन० सिंह | १७५०–५२ |
| ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क | १७५२–५५ |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | १७५५–५९ |
| आचार्य कृपालानी | १७५९–६१ |
| डा० काटजू | १७६१–७४ |
| खंड १ तथा २ | १७७४–९९ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १७९९–१८०८ |
| डा० काटजू . . . . | १७९९–१८०८ |
| श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . | १८००–०५ |
| श्री लक्ष्मय्या . . . . . | १८०५–०६ |
| श्री पुन्नूस . . . . . | १८०६–१८०८ |


---

**अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . . | १८०९–१० |
| रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट . | १८०९–१० |
| लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . . | १८०९–१० |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि . . . . | १८१० |
| सभा का कार्य— | |
| सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . . | १८१०–११ |
| चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८११–३० |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३, | १८२७–३० |
| श्री तुषार चटर्जी . . . . . | १८१४–१७ |
| श्री एन० एम० लिंगम् . . . . . | १८१७–१९ |
| श्री बर्मन . . . . . | १८१९–२० |
| श्री के० पी० त्रिपाठी . . . . . | १८२०–२३ |
| श्री ए० एम० थामस . . . . | १८२३–२४ |
| श्री रामचन्द्र रेड्डी . . . . | १८२४–२५ |
| श्री दामोदर मेनन . . . . | १८२५–२६ |
| श्री के० सी० सोधिया . . . . | १८२६–२७ |
| श्री पुन्नूस . . . . . | १८२७ |
| खण्ड १ और २ . . . . . | १८३०–३२ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . | १८३२ |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . | १८३२ |
| भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८३२–५५ |
| श्री कानूनगो . . . . . १८३२–३६, | १८४८–५५ |
| श्री वी० पी० नायर . . . . . | १८३७–४० |
| श्री तुलसीदास . . . . . | १८४०–४१ |
| डा० लंकासुन्दरम् . . . . . | १८४१–४३ |
| श्री झुनझुनवाला . . . . . | १८४३–४४ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री ए० एम० थामस . . . . . | १८४४–४६ |
| श्री कासलीवाल . . . . . | १८४६–४७ |
| श्री वी० बी० गांधी . . . . . | १८४७–४८ |
| खण्ड १ और २ . . . . . | १८५५ |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८५५–६२ |
| श्री कानूनगो . . . . . | १८५५–५६ |
| डा० लंका सुन्दरम् . . . . . | १८५६–५७ |
| श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . | १८५७–६२ |
| औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक— | |
| विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | १८६३–७७ |
| श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४, | १८७४–७७ |
| श्री अमजद अली . . . . . | १८६४–६५ |
| श्री बिमला प्रसाद चालिहा . . . | १८६५–६६ |
| श्री पुन्नूस . . . . . | १८६६–६८ |
| श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . | |
| श्री वेलायुधन . . . . . | १८६९–७० |
| श्री केशवैयंगार . . . . . | १८६८–६९ |
| श्री पी० सी० बोस . . . . . | १८७०–७१ |
| श्री के० पी० त्रिपाठी . . . . . | १८७१ |
| श्री एस० वी० रामस्वामी . . . . | १८७१–७३ |
| ठाकुर युगल किशोर सिंह . | १८७३–७४ |
| खण्ड १ से ३ . . . . | १८७८ |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . | १८७८ |
| श्री के० के० देसाई . . | १८७८ |


---

**अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.**


| | |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . . | १८७९–८३ |
| पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना . | १८८३–८५ |
| पटल पर रखे गये पत्र— . | |
| आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . . | १८८५–८७ |
| आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण . | १८८७–८८ |
| केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना . | १८८७ |
| दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन . . . . . | १८८८–८९ |

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . . १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम . . . . . १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . . . १९७४

---

**अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.**

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन . . . . १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

---

**अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.**

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना . . . . . २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन . . . . २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत . . . . २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . . . २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र . . . . २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया . . . . . २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर . . . . . २१९०–२२००
श्री बर्मन . . . . . २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . . . २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . २२२९–३६
श्री पाटस्कर . . . . . २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर . . . . . २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . . २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर . . . . . २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस . . . . . २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् . . . . . २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास . . . . २२४०–४२

## अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.


स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४


---

## अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.


विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य . . . . २३६५–६६

सभा का कार्य . . . . . २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २४५७–५८


---

## अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.


पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित . . . . . २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण . . . . . २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश . . . . २५५२

## अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४


| | स्तम्भ |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा . . . . | २५५३–५७ |
| यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . . | २५५७–६१ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण | २५६१–६२ |
| जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . . | २५६२–६३ |
| न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . . | २५६३ |
| रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन . | २५६३ |
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना . . . . . | २५६३–६८ |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत . . . . . | २५६८–७१ |
| समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . . | २५७२ |
| परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक— | |
| प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . | २५७२–२६१६ |
| श्री पाटस्कर . . . . . २५७२–७८, | २६०७–२६१६ |
| श्री एन० एम० लिंगम् . | २५७९–८ |
| श्री बी० एस० मूर्ति . . . | २५८१–८३ |
| श्री राघवाचारी . | २५८३–८४ |
| श्री साधन गुप्त . . . . | २५८४–८६ |
| श्री टी० एन० सिंह . . . . | २५८६–८९ |
| श्री भागवत झा आज़ाद . . . . | २५८९–९० |
| श्री जांगड़े . . . . . | २५९०–९३ |
| श्री एम० एल० अग्रवाल . . . | २५९३–९५ |
| श्री कासलीवाल . . . . . | २५९५–९६ |
| पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . . | २५९६–२६०० |
| श्री कजरोल्कर . . . . . | २६००–०१ |
| श्री नवल प्रभाकर . . . . . | २६०१–०४ |
| श्री कक्कन . . . . . | २६०४–०५ |
| श्री पी० एल० बारुपाल . . . . . | २६०५–०६ |

| | स्तम्भ |
|---|---|
| श्री गणपति राम . . . . . | २६०६–०७ |
| खण्ड १ और २— . . . . . | |
| पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . | २६१६–२६२५ |
| पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— | |
| असमाप्त . . . . . | २६२५–७२ |
| श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी . . . . . | २६७२ |
| राज्य-सभा से सन्देश . . . . . | २६७२–७४ |


---

**अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।**


| | |
|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती . | २६७५–७७ |
| पटल पर रखे गये पत्र— | |
| भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन | २६७७ |
| भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे . . . . . | २६७७ |
| भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे . | २६७७ |
| १९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण | २६७७–७८ |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४ . . . . | २६७८ |
| केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण . . . . | २६७८ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि | २६७८–७९ |
| प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . . | २६८० |
| पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . . . . | २६८०–२७०३ |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . | २७०३–४३ |
| गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित . . . . | २७४३–४८ |
| भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित . . . . . | २७४८ |
| भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित | २७४९–५२ |
| महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . . | |
| विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . | २७५३–६३ |
| श्री धुलेकर | २७५३–५७ |

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . २७६३

श्री टेक चन्द . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित . . . . . . . २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू . . . . . . . २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . . २७६७–६९

डा० एन० बी० खरे . . . . २७६७–६८, २७६९

श्री के० के० देसाई . . . . . . २७६८–६९

वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७६९

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर . . . . २७७६–७७, २७७८–७९

वाद-विवाद स्थगित . . . . . . २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा . . . . २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई . . . . . २७८२–८३

श्री आर० के० चोधरी . . . . . २७८७

राज्य-सभा से सन्देश . . . . . . २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

# लोक-सभा

बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

---

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

## प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

## पटल पर रखे गये पत्र

### प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं प्रैस आयोग की कतिपय सिफारिशों पर विचार करने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति को बताने वाला एक विवरण पटल पर रखता हूं । [**देखिये परिशिष्ट, अनबन्ध संख्या ३७**]

### समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा)**: मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत जैसा कि वह समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ के द्वारा जोड़ी गई है, समुद्र सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं संख्या ११६ तथा ११७ दिनांक २ अक्तूबर, १९५४ की एक, एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एम-५०५/५४**]

### अस्पृश्यता (अपराध) धेयक सम्बन्धी साक्ष्य

**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं २ नवम्बर, १९५४ को अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, १९५४ सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रतिलिपि पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एस-५११/५४**]

---

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

### सातवां प्रतिवेदन

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से, सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के सातवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

---

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### उन्नीसवां प्रतिवेदन

**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

## प्राक्कलन समिति

### कार्यवाही का विवरण

**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राकल्लन समिति की कार्यवाहियों के विवरण (जुलाई १९५२—जून १९५४) का तीसरा खंड प्रस्तुत करता हूं ।

---

## पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "पंच वर्षीय योजना के वर्ष १९५३–५४ के प्रगति-प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।"

यह वाद विवाद राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन करने के लिये एक उत्तम अवसर है । यह उचित ही है कि संसद् में जनता के प्रतिनिधि समय समय पर देश के आर्थिक विकास की दशा और प्रगति का पुनर्विलोकन करते हैं । इसी उद्देश्य से योजना आयोग सावधिक प्रगति-प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है । जो प्रतिवेदन हम ने इस समय सभा के समक्ष रखा है वह १९५३–५४ के सम्बन्ध में है । यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि यद्यपि वह वर्ष १९५३–५४ के लिये है किन्तु वह केवल उसी वर्ष के कार्यों तक सीमित नहीं है । योजना की अवधि के अन्तर्गत बीते तीन वर्षों का हवाला भी उस में है, जिस से माननीय सदस्य सारी स्थिति का, सारी अवधि में किये गये कार्यों का और इस अवधिमें प्रत्यक्ष अनुभव में आये झुकावों का व्यापक दर्शन कर सकें । मुझे विश्वास है कि इस सम्पूर्ण विषय पर अभी चर्चा होने को है ।

माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा होगा और इसे एक बहुत स्पष्ट प्रलेख पाया होगा । यह प्रलेख सामग्री, तथ्य और आंकड़ों से भरा हुआ है, और सारी सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गयी है तथा उस से निकलने वाले निर्णय भी उसी ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं । मेरे विचार से मैं यहां केवल योजना के कुछ मुख्य भागों, योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों और आर्थिक स्थिति के विकास की रीति पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं ।

माननीय सदस्यों ने अनेक न्यूनताएं इस अवधि में की गयी कार्यवाही के उल्लेख में पायी होंगी । हम जानते हैं कि कमी है और हम उस का महत्व कम नहीं करना चाहते हैं । उदाहरण के लिये, हमारे साधनों का प्रश्न है । पर्याप्त साधनों के बिना कोई विकास कार्य नहीं हो सकता है । उस के बिना न उत्पादन में और न ही उत्पादन-क्षमता में कोई वृद्धि हो सकती है । अतः हमें पर्याप्त पूंजी के आधार का अवश्य विकास करना चाहिये । मैं यह स्वीकार करता हूं कि भारी उद्योगों की स्थापना के विषय में हमारी गति बहुत धीमी रही है । किन्तु हम इस तथ्य पर विचार करें कि वह एक बहुत सामान्य आकार की योजना है । आगे हम लगभग २००० करोड़ रुपये खर्च कर सकेंगे । किन्तु उस स्तर पर व्यय करने पर भी, यह बहुत संभव है कि हमें लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये तक का घाटा हो और हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आकार को बहुत अधिक विस्तृत करने का विचार कर रहे हैं । अपेक्षित पैमाने पर उन साधनों का उपयोग करने और भविष्य के लिये अपेक्षित और अधिक बड़े पैमानें पर उन का उपयोग करने के रास्ते अभी हमें नहीं मिले हैं और इस विषय में

हमें बहुत कुछ करना है । हम सभी को इस विषय में विचार करना है ।

फिर रोजगार का प्रश्न है । यह पुनः स्पष्ट है कि रोजगार के विषय में हमने अब तक कोई सन्तोषजनक हल नहीं दिया है । योजना से सम्बन्धित सभी दशाओं और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह तथ्य सब को विदित है कि देश में बेरोजगारी को पूरी तौर से मिटा देना या अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवश्यक रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना कल्पित विनियोजन की सीमित राशि के कारण संभव नहीं होगा । साधनों के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं ।

शिक्षा-प्रणाली का भी प्रश्न है । हम शिक्षा प्रणाली का रोजगार के वर्तमान या भावी रूप के साथ समन्वय नहीं कर सके हैं जिससे कि रोजगार की आवश्यकतायें पूरी हों । वह बुनियादी शिक्षा के प्रश्न के साथ बंधा हुआ है । अभी तक इस विषय में हमारी कल्पनायें पूरी तौर से परिष्कृत नहीं हुई हैं । और इस समस्या के लिये शीघ्र ही कोई हल प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिये अपेक्षित स्तर पर हमने उन्हें लागू नहीं किया है ।

रोजगार के विषय में हमारी और एक कठिनाई है । आशा की जाती है कि कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा बहुत अधिक रोजगार दिया जा सकेगा । यद्यपि उस दिशा में हम ने कुछ किया है फ़िर भी हम ने उस समस्या का हल अभी नहीं पाया है जिस से विभिन्न प्रणालियों में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके । हमारे देश में यह अनिवार्य है कि कोई भी प्रौद्योगिकीय स्तर न हो । कतिपय उद्योगों में हम सर्वोच्च औद्योगिकीय स्तर, प्रणालियों और यांत्रिक सहायताओं का उपयोग करेंगे। इस के लिये पर्याप्त नवीन विचार, और नवीन संगठनात्मक रीतियां और उपाय आवश्यक हैं। इस विषय में हमें अभी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है । और इस से रोजगार के अवसरों की प्रगति और विस्तार में बाधा पहुंचेगी ।

यह तथ्य भी सर्वविदित है कि जब कि एक ओर बेरोजगारी है, दूसरी ओर उपयुक्त व्यक्तियों का अभाव भी है जिसे हम पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम अपने प्रशिक्षण-कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे हैं किन्तु फिर भी अभाव उसी प्रकार हैं । इस पहलू के बारे में अधिक कहने की आवश्यता नहीं है किन्तु एक और पहलू भी है जहां हमारे विचार से अब भी कमी है । नये प्रकार की अर्थ व्यवस्था के लिये जिस में, विस्तार की वह गतिशीलता हो जिस से निर्वाह के निम्नतर स्तरों से असन्तुष्ट राष्ट्र की आवश्यकतायें पूरी की जा सकें, यह आवश्यक है कि औद्योगिक ढांचे का पुनः समन्वय और पुनस्संगठन किया जाये और उस में सुधार हो । इस विषय में हम ने कुछ किया है किन्तु अभी बहुत अधिक करना शेष है । उदाहरण के लिये सहकारी प्रणाली का प्रश्न है । ग्रामीण ऋण सम्बन्धी प्रतिवेदन से, जो शीघ्र ही सदस्यों को प्राप्त होगा, यह बहुत स्पष्ट है कि इतने वर्षों के बाद भी सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने का हम कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ सके हैं जो हमारी अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य कर सके । सहकारी आन्दोलन के बारे में यह स्थिति है । भूमि सुधारों के बारे में, वह संस्थागत सुधार का एक भाग है जो हमारे कल्पित परिवर्तन की सारी क्रिया का एक आवश्यक अंग है । उस में विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन होना चाहिये खास कर इसलिये क्योंकि संस्थागत ढांचा उन नवीन दशाओं के अनुरूप हो जिन्हें हम निर्माण करना चाहते

[श्री नन्दा]

हैं। भूमि सुधार के बारे में अन्य अवसरों पर यह अधिक विस्तार से बनाया जा सकेगा। उस मोर्चे पर हम ने कुछ प्रगति की है किन्तु वह अपर्याप्त है और हमारा यह आग्रह है कि राज्यों के सामने निश्चित कार्यक्रम होना चाहिये और वे यथासंभव शीघ्र उसे कार्यान्वित करें। मुझे आशा है कि अगले दो वर्षों में प्रगति, जो मेरे विचार से पर्याप्त किन्तु असन्तोषजनक है, बहुत तीव्र होगी।

मैं ने न्यूनताओं का पूरा स्पष्ट लेखा-जोखा दिया है। अन्य न्यूनतायें भी हो सकती हैं। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम एक विशिष्ट स्थिति में कार्य कर रहे हैं और उस स्थिति में कुछ मूल कठिनाइयां हैं। अतः विभिन्न दशाओं में हम ने जो कुछ प्रगति की है उसे उन कठिनाइयों के प्रकाश में देखा जाना चाहिये। यह स्पष्ट है कि स्थिति में सुधार करने, चीजों को ठीक करने और कमियों को पूरा करने के लिये जो भी प्रयत्न किये जा रहे हैं वे सच्चे प्रयत्न हैं और इसलिये वे अवश्य सफलीभूत होंगे। इन सभी कठिनाइयों और न्यूनताओं के होते हुए भी हम ने जो कुछ किया है वह थोड़ा नहीं है और अब हम खाद्य सम्बन्धी संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकल गये हैं। आज हम उस सम्बन्ध में सभी चिन्ताओं से मुक्त हैं। इस का यह अर्थ नहीं है कि हमारे पास केवल खाद्यान्न ही हैं, किन्तु अब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में हैं। भविष्य में कहीं अधिक तीव्र गति विकास से विकास करने के लिये हम ने अनुकूल परिस्थितियों को बनाया है।

अब संगठन को लीजिये। हम अपने संगठन में सुधार कर रहे हैं, विभिन्न संस्थागत व्यवस्थायें स्थापित कर रहे हैं। और प्रक्रियाओं के दोषों को दूर कर रहे हैं। उदाहरण के लिये सामूहिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा को लीजिये। यह एक बहुत बड़ी संगठन-विषयक प्रगति है। केवल इस एक चीज से ही कृषि सम्बन्धी उत्पादन में बहुत प्रगति होगी और ग्रामीण समूहों को अन्य सुविधायें और लाभ प्राप्त होंगे। हम ऐसी पद्धति निर्माण कर रहे हैं जिस से हम अधिक प्रभावपूर्ण रीति से कार्य कर सकें।

दूसरी ओर लोकतन्त्रीय प्रणाली पर विकास करने के लिये हमें जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होना चाहिए। इस विषय में, स्थानीय कार्यों में तथा अनेक अन्य दिशाओं में हमारा अनुभव बहुत उत्साहजनक रहा है। अभी हाल में, माननीय सदस्यों को कोसी योजना के बारे में यह ज्ञात हुआ होगा कि हजारों लोग स्वयं अपनी सेवायें प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे हाल में ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी पुश्ते की ओर आठ मील लंबा बांध बनाने के लिये उन्हों ने अपनी सेवायें दी हैं। यह एक पहलु है। माननीय सदस्य इस प्रयत्न और प्रगति प्रतिवेदन की जांच योजना में निर्धारित कार्यों को दृष्टि में रखते हुए करें। उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रगति प्रतिवेदन की जांच करनी है। यह संभव है कि इस अवधि में प्राप्त परिणामों के आंकड़े अपर्याप्त कहे जायें किन्तु माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे दूसरे पहल को भी देखें। पंचवर्षीय अवधि के अनुपात में आज का कुल परिणाम संभवतः पर्याप्त न हो किन्तु हम इस तथ्य पर विचार करें कि योजना के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की स्थिति की तुलना में आज हम किस स्थिति में हैं। उन के परस्पर सम्बन्ध को बताने के लिये मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। केन्द्र के सम्बन्ध में, पहले वर्ष के लिये १०·५२ प्रतिशत और तीसरे वर्ष में १५·१७ प्रतिशत है। राज्यों के सम्बन्ध में १४·३७ प्रतिशत और २०·२२ प्रतिशत है। यदि हम इन दोनों को एक साथ

लें तो वह अब के १७·१९ प्रतिशत की अपेक्षा लगभग १२·४४ प्रतिशत होगा । चौथे वर्ष के आयव्ययक को लीजिये । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयव्ययक का पूर्ण आकार या परिमाण पूरी तौर से प्राप्त नहीं किये जाने को है किन्तु जैसा कि आयव्ययक है वह २७·६ प्रतिशत होगा । इस से यह स्पष्ट है कि हमारी व्यय-क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है, हमारी गति तीव्र हो गयी है । और यह तथ्य सब से अधिक महत्व का है । इस तथ्य से यह भी ज्ञात होता है कि यथा समय हम कुछ कर सकने में भी समर्थ हैं । अतः हम यह मान सकते हैं कि योजना के आकार के सम्बन्ध में हम ने जो निर्देश किया है यदि उन की पूरी राशि नहीं तो लगभग २००० करोड़ रुपये तक हम व्यय कर सकेंगे और उस २००० करोड़ रुपये में भी ६०० करोड़ रुपये या उस से अधिक की कमी होना संभव है । अतः साधनों का प्रश्न पुनः आता है जो स्वयं ही अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जिस की ओर हमें ध्यान देना है ।

मैं ने कार्य बता दिये हैं । वे कार्य क्या थे ? योजना के दीर्घकालीन उद्देश्यों का योजना आयोग के निर्देश पदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था । वे उद्देश्य भारत के संविधान से किये गये हैं और संक्षेप में उन्हें जीवन-स्तर को उच्च करना पूर्ण रोजगार दिलाना और अधिक समानता लाना कहा जा सकता है । योजना में यह उल्लेख किया गया था कि हमें बहुत से क्षेत्रों में प्रगति करनी है । यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया था कि कुछ प्रधानतायें देनी होंगी और योजना द्वारा विकास प्रक्रिया के आरम्भ होने, आधार बनाने और कुछ अल्पकालीन उद्देश्य प्राप्त करने के उपरान्त बहुत सी दिशाओं में प्रगति प्राप्त होगी । विद्यमान परिस्थितियों के कारण, हमें अपने तत्कालीन कार्यों के लिये योजना बनानी पड़ी । यह गम्भीर आर्थिक असमानता तथा अनिश्चितता की परिस्थिति थी । युद्ध तथा विभाजन के परिणामस्वरूप पैदा हुई आर्थिक स्थिति में कुसमायोजन को ठीक करने की आवश्यकता उस समय आवश्यक बताई गई थी । इस का सम्बन्ध विशेष कर खाद्य तथा कच्चे माल के अत्यधिक अभाव, जिसे महसूस किया जारहा था, और इन अभावों के कारण मूल्यों में वृद्धि होने, तथा उस समय विद्यमान मुद्रास्फिति के दबाव, से था । ये अभाव दूर करने थे और जीवन निर्वाह-व्यय के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना था ।

बड़े बड़े उद्देश्यों के सम्बन्ध में, पंच वर्षीय योजना, अधिक तीव्र विकास का आधार बनाने के लिये एक तैयारी थी । हम विभिन्न दिशाओं में व्यय की विस्तृत बातों, बहुत से शीर्षों के अधीन इस प्रगति या अभाव पर विचार-विमर्श कर सकते हैं । परन्तु इस काल में योजना की प्रगति की कठोर परीक्षा यह है कि हम इन दो दिशाओं में कितने आगे बढ़े हैं । हम उस आर्थिक स्थिति का ध्यान कर सकते हैं जिस ने हमारी प्रथम योजना का रूप तथा स्वरूप तीन या चार वर्ष पूर्व निर्धारित किया था । जिस समय योजना बनाई जा रही थी, उस समय खाद्य-संभरण की स्थिति वास्तव में गम्भीर थी । १९५० में खाने के अन्न की कुल उत्पादन मात्रा ४५५·२ लाख टन थी । हम ने २९·६ लाख टन आयात किया और इस प्रकार प्रति दिन प्रति वयस्क को औसत मान पर १३·६७ औंस दिया । इतन थोड़े उपयोग होने पर भी १९५६ तक अन्नों में ७० लाख टन का अभाव हो जाता । १९५१ में स्थिति यह थी कि २१६ करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात किया गया और आप को यह स्मरण होगा कि अनेक वर्षों तक खाद्यान्न के लिये हमें आर्थिक सहायता देनी पड़ी ?

औद्योगिक कच्चे माल के बारे में भी, अत्यधिक कठिनाइयां अनुभव की जा रही

[श्री नन्दा]

थीं। कपड़ा मिलों के पास पर्याप्त रुई नहीं थी और जूट मिलों के पास पर्याप्त जूट नहीं था। १९५१–५२ में १३८ करोड़ रुपये की रुई का आयात किया गया। स्वभावतः इस स्थिति की यह मांग थी कि कृषि की आवश्यकताओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय। ऐसा ही किया गया। छोटी-बड़ी सिंचाई के लिये बड़ी बड़ी राशियां दी गयीं और कृषि के विकास की अन्य योजनाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया गया। दीर्घकाल से अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना को लगभग ४० करोड़ रुपये और दिये गये। प्रकृति ने भी सहयोग दिया और देश के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी स्थिति रही। परिणामस्वरूप, खाद्य-उत्पादन में लगभग ११४ लाख टन, रुई उत्पादन में लगभग १० लाख गांठों और तिलहन में लगभग ५ लाख टन की वृद्धि हुई। इस प्रकार १९५३–५४ में, खाद्यान्न तथा तिलहन का उत्पादन लक्ष्य-उत्पादन से अधिक रहा। रूई में लक्ष्य का ८० प्रतिशत प्राप्त हो गया है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जूट तथा चीनी के बारे में स्थिति सन्तोष-जनक होने से बहुत दूर है। सम्भव है कि उन कारणों के उल्लेख करना, जिन से आर्थिक-उत्पादन के सुधार में सहयोग मिला है, लाभदायक हो।

कदाचित सिंचाई किये गये क्षेत्रों में वृद्धि का होना, परिस्थिति का महत्वपूर्ण कारक है। बड़ी सिंचाई से २८ लाख एकड़ और छोटी सिंचाई से, जिस में कुंएं और नलकूप सम्मिलित हैं, ५·३ लाख एकड़ भूमि की वृद्धि हुई। छोटी सिंचाई पर हम २८·५ करोड रुपये व्यय कर चुके हैं। केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कृष्यकरण से भी ध्यान देने योग्य सहायता मिली है। अब तक कुल १२·३ लाख एकड़ भूमि का कृष्य करण हो चुका है, जो कि लक्ष्य के आधे से कुछ अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उर्वरकों का उपयोग, जो योजना के पूर्व २ लाख टन था, गत वर्ष ४ लाख टन से अधिक हो गया, और इस वर्ष लगभग ६ लाख टन है। बहुत सी अन्य योजनायें भी हैं जिन में भूमि सुधार योजनायें, सुधारे हुए बीजों का संभरण, पौदा संरक्षण, आदि सम्मिलित हैं, जिनका वास्तव में कुछ प्रभाव पड़ा है। कृषकों को प्राप्य धन में वृद्धि कर के उन की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रयत्न किये गये हैं। अल्पकालीन और दीर्घ-कालीन ऋणों में पर्याप्त सुधार हुआ है। सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं से सहयोग मिला है, यद्यपि इस तथ्य की दृष्टि से कि यह हाल की ही एक घटना है, इस सहयोग का मापन वास्तविक मात्रा के रूप में प्रस्तुत संभावनाओं की अपेक्षा कम करना होगा। मैं कार्यक्रम निर्माता संस्था के हाल के निर्धारण से उल्लेख कर सकता हूं :—

> "नवीन कृषि की सफलता, जो उत्तम बीजों, कृषि के उत्तम ढंगों, उत्तम उरर्वकों और पानी के अधिक, पर्याप्त तथा निश्चित संभरण में निहित है, पहिले से ही मानी हुई बात है और समूचा प्रभाव इतना आकर्षक तथा स्पष्ट है कि इस में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि उत्पादन-वृद्धि का उद्देश्य दृढ़ता के साथ प्राप्त किया जा रहा है।"

औद्योगिक क्षेत्र में हम ने तीन वर्षों में मिल के बने सूती कपड़े और वनस्पति तेल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और सीमें

नमक, दियासलाई, ऊनी वस्तुयें, आदि के योजना लक्ष्यों की दिशा में सराहनीय प्रगति की है ।

फिर भी यह बात नहीं भूल सकते कि बहुत से उद्योगों में, जहां योजना में क्षमता के पूर्ण उपयोग की इच्छा थी, १९५५-५६ में जितना उत्पादन होना चाहिये था उस की अपेक्षा उत्पादन कम रहा है जैसा कि अधिभारचीय (सुपर-फास्फेट), शीशा, शुल्वारिक अम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड), जूट, मोटरें, बिजली के पंखे, रेडियो, यन्त्रों के औजार के मामले में । चीनी उद्योग की प्रगति में, जो १९५१-५२ में रिकार्ड की गई थी, तत्पश्चात् के वर्षों में अवनति हुई है, यहां तक कि क्षमता तथा उत्पादन में बड़ा अन्तर है ।

अतः जब हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्पादन में अधिकतर वृद्धि विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग के कारण हुई है, फिर भी कुछ वृद्धि अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता की स्थापना के परिणामस्वरूप भी हुई है ।

इस प्रकार जब कि रेल के इंजिन, डिब्बों आदि, बाल बीयरिंग, सीने की मशीनें, हरीकेन लालटेनों, शुष्क बैटरियों, बिजली के ट्रांसफार्मरों, सोडा ऐश (विक्षार भस्म), सूती कपड़ों, ऊनी कपड़ों, पावर अल्कोहल (शक्ति मद्यसार), और बनस्पति उद्योगों में रिकार्ड की उत्पादन वृद्धि मुख्यकर या पूर्णतया क्षमता, जो १९५०-५१ में विद्यमान थी, के उत्तम उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। ऐमोनियम सल्फेट (तिक्तातु शुल्बीय), बाइसिकलों तथा कास्टिक सोडा (दह विक्षार), उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि मुख्यकर नये उद्योगों के द्वारा प्राप्त हुई जिन में उत्पादन योजना काल में आरम्भ हो गया था । सीमेंट तथा बनावटी रेशम उद्योगों के मामले में उत्पादन-वृद्धि नये उद्योगों जिन्हों ने योजना काल में उत्पादन-कार्य आरम्भ कर दिया था, और १९५०-५१ में विद्यमान क्षमता के अधिक विस्तृत उपयोग के कारण हुई ।

पंचवर्षीय योजना में अनेकों दीर्घकालीन औद्योगिक योजनायें सम्मिलित हैं, विशेषकर पूंजी वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों की श्रेणी में, जिन में केवल आगामी पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण उत्पादन होने की आशा है । इन योजनाओं के पूर्ण लाभ केवल द्वितीय योजना काल में महसूस होंगे, यद्यपि इन योजनाओं पर वर्तमान योजना काल में पर्याप्त धन लगा दिया जायेगा । इस श्रेणी में टाटा आयरन एंड स्टील (लोह व इस्पात) कम्पनी का विस्तार, भारतीय लोहा व इस्पात कम्पनी के विस्तार की योजनायें, रूरकेला लोहा व इस्पात संयंत्र, भारतीय ऐल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटड द्वारा एक ऐल्यूमीनियम संयंत्र का लगाना, यान एकत्रीकरण कारखाना, टाटा लोको-मोटिव तथा इंजीनियरिंग कम्पनी का इस्पात बनाने का बड़ा कारखाना, बिजली की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना के विस्तार की योजना, बेंजीन (धूपेन्य), हेक्साक्लोराइड (षण्-नीरेय), पैंसलीन, स्ट्रेप्टोमाईसीन, आदि के उत्पादन के लिये सोडा ऐश (विक्षार भस्म) योजनाओं का विस्तार, इम्पीरियल रसायन उद्योग के साथ मिल कर बिहार राज्य में औद्योगिक विस्फोटक पदार्थों के कारखाने की स्थापना और रंग का बनाना तथा कालटैक्स कम्पनी द्वारा स्थापित किया जाने वाला पैट्रोल शोधक कारखाना जैसे औद्योगिक कारखाने आते हैं । निर्धारित पूंजी में नई औद्योगिक इकाइयां, कुल धन विनिमय और गैर-सरकारी तथा सरकारी-उद्योग में विस्तार की योजनायें औद्योगिक विकास के लाभदायक देशनांक हैं । गैर

[श्री नन्दा]

सरकारी उद्योगों के लिये ऐसे प्राक्कलन बनाने में कठिनाइयां हैं । प्राप्य सर्वोत्तम प्राक्कलनों के अनुसार, योजना के प्रथम दो वर्षों में ५२ करोड़ रुपये लगाये गये, और तृतीय वर्ष में ४४ करोड़ रुपये लगाये गये, अर्थात् कुल ९६ करोड़ रुपये । सरकारी उद्योगों में ९४ करोड़ रुपये के उपबन्ध पर, प्रथम तीन वर्षों में, लगभग ३१ करोड़ रुपये का विनिमय हुआ । यह आशा है कि दोनों प्रकार के उद्योगों में ३२७ करोड़ रुपये के विनियम के आधार पर, योजना काल में विनिमय लगभग ५० करोड़ रुपयें की कमी होगी ।

सभा को उन कठिनाइयों का जो हमारी रेलों को युद्ध के पश्चात् उठानी पड़ीं, प्राचीन तथा टूटे-फूटे सामान की मात्रा, जिस से रेलों में रुकावटें आईं, का भली प्रकार ज्ञान है, और सरकार को उस के स्थान पर नया सामान लाने की बहुत बड़ी योजना का सामना करना पड़ा । इस के लिये आरम्भ में १,०३८ इंजिन, ४९,१४३ माल के डिब्बे और ५,६७४ यात्री-यान प्राप्त करने की इच्छा थी । इन लक्ष्यों में बाद में वृद्धि हो गई और अधिक मात्रा के लिये क्रयादेश दिये गये । वास्तव में, हम ने प्रथम तीन वर्षों में इंजिन, डिब्बों आदि में ५१० लोको-मोटिव, २६,२७० माल के डिब्बे, और २,७३४ यात्री-यानों की वृद्धि की है । रेलों से सम्बद्ध अन्य योजनाओं. जैसे नई लाइनों का डालना, नये सिलीपरों का डालना आदि में भी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है । कुछ टूटी हुई लाइनें फिर से डाली गई ह और कुछ नई लाइनें भी बनाई गई हैं ।

योजना की इन तत्कालिक प्राथमिकताओं पर—कृषि, सिंचाई तथा विद्युत्, और परिवहन—विकास सम्बन्धी व्यय का दो तिहाई भाग निर्धारित किया गया है ।

योजना के तृतीय वर्ष के प्रगति प्रतिवेदन में केन्द्र तथा राज्यों में व्यय में हुई कुछ कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । इस पर इस सभा में और अन्य स्थानों पर पर्याप्त टीका-टिप्पणी हुई है, और मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं । प्रथम तीन वर्षों के लिये लगभग ८८५ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया था, अर्थात् अन्तिम योजना में निश्चित व्यय के ४० प्रतिशत से कुछ अधिक, और शेष चौथे व पांचवें वर्ष के लिये था । विकास सम्बन्धी व्यय के आंकड़े योजना की पूर्ति के संगत देशनांक हैं, परन्तु उचित अनुदर्शन की प्राप्ति के लिये उन पर वास्तविक प्राप्तियों के साथ विचार करना चाहिये । यह स्मरण करना भी आवश्यक है कि प्रथम दो वर्षों के अधिकतर भाग में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों ने प्रारूप योजना के आधार पर कार्य किया था । प्रथम वर्ष के लिये योजनायें, लगभग आय-व्ययक, जो उस वर्ष के लिये बनाया गया था, के आधार पर थीं । उस समय, सरकार के वित्तीय व्यय को कम करने पर साधारण जोर दिया गया था । बहुत से भाग ख तथा ग राज्य जब भी अपने कार्यों में व्यस्त थे, और पंजाब, पश्चिमी बंगाल, पेप्सू और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था । योजना के द्वितीय वर्ष के आरम्भ में, साधारण निर्वाचन के पश्चात्, राज्यों में नई सरकारें बनीं और योजना को अन्तिम रूप देने पर ध्यान दिया गया । अतः यह आवश्यक था कि प्रथम दो वर्षों में योजना की प्रगति मंद रहती ।

तृतीय वर्ष से केन्द्र में और राज्यों में योजना में निर्धारित कार्यों को कार्य-रूप

देने के लिये निर्धारित कार्यवाही होनी आरम्भ हुई । योजना के आरम्भ में बहुत से राज्य वे योजना चला सके, जो उन्हों ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण काल में आरम्भ की थी । अतः वे योजनां के अनुसार व्यय में वृद्धि कर सके ।

राज्यों के लिये समष्टि रूप में, १९५२ में जो योजना बनाई गई थी उस का ५० प्रतिशत कार्य प्रथम तीन वर्षों में पूरा किया गया है । जहां प्रशासन व्यवस्था अच्छी थी वहां कृषि तथा छोटे छोटे उद्योगों की अपेक्षा सिंचाई तथा विद्युत् और यातायात के क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ । मैं यह कह सकता हूं कि हमारे देश में हर भाग में जो विकास हो रहे हैं और प्रायः प्रत्येक राज्य ने योजना के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिये जो व्यवस्था की है उस का कारण योजना ने जो अब तक प्रगति की है उस की प्रगति का सच्चा देशनांक है । विकास कार्यों पर केन्द्र ने जो व्यय किया है उस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योजना का लगभग एक तिहाई भाग पहले इन तीन वर्षों में पूरा हो गया है । राज्य सरकारों की अपेक्षा केन्द्रीय मंत्रालयों को व्यय की गति बढ़ाने के लिये जो अधिक समय की आवश्यकता पड़ी, उस के दो कारण थे । उस का पहिला कारण तो यह था कि राज्य सरकारों द्वारा कुछ कार्यक्रमों पर जैसे अधिक अन्न उपजाओ, अनुसूचित आदिम-जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, कुटीर तथा छोटे छोटे उद्योग, बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा, तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर केन्द्रीय सरकार का काफी व्यय हुआ । राज्यों में इन कार्यक्रमों की प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था को दृढ़ करने तथा विस्तृत कार्यवाही के सम्बन्ध में रूप रेखा निश्चित करने में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का काफी समय लग गया । दूसरा कारण यह था कि कुछ परि-योजनाओं को जैसे, उद्योग तथा यातायात, जिन को केन्द्रीय सरकार स्वयं चलाना चाहती थी, चलाने से पूर्व उन के बारे में प्रविधिक अध्ययन एवं परामर्श आदि करने में समय लगा । इन दोनों के बारे में अब स्थिति काफी सुधर गई है और अब केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकार इन कार्यों को करने के लिये भली प्रकार से तत्पर हैं । मैं यह दावा तो नहीं करता कि योजना मूलतः जिस प्रकार से बनाई गई थी, विस्तृत रूप से वह उसी रूप में पूरी हो जायेगी किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि योजना की मुख्य मुख्य बातें अवश्य ही पूरी कर ली जायेंगी, और जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का समष्टि रूप से सिंहावलोकन होगा तो आप देखेंगे कि कमियां बहुत ही कम, और किसी खास महत्व की नहीं होंगी ।

योजना की अन्तिम रूप रेखा के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की उत्पादक पूंजी बढ़ कर १,१९० करोड़ रुपये हो गई है । दूसरी ओर पहिले तीन वर्षों में ५५५ करोड़ रुपये का विनियोग हुआ है जो कि कुल पूंजी का लगभग आधा है । सामाजिक पूंजी पर व्यय भी अनुपात की दृष्टि से लगभग आधा है । हालांकि योजना के उस क्षेत्र में काफी अन्तर है जिस का उद्देश्य कृषि, उद्योग तथा यातायात में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा उत्पादक पूंजी का निर्माण कराना था । इस पर योजना में निहित आंकड़ों की एक चौथाई से कुछ थोड़ा ही अधिक व्यय हुआ है । इन क्षेत्रों में जैसे, कृषि, सिंचाई तथा विद्युत् और यातायात, जिन के बारे में योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है, पहिले तीन वर्षों तक काफी सफलता मिली है ।

सड़क निर्माण कार्यक्रम पर भी योजना में निहित आंकड़ों का, पहिले तीन वर्षों में, लगभग ६० प्रतिशत धन व्यय हुआ है । समाज-सेवा कार्यक्रम के बारे में तो केन्द्रीय

[श्री नन्दा]

सरकार ने राज्य सरकारों के कार्यक्रम में हाथ बटाया है और उन को दृढ़ बनाने में सहायता दी है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, औद्योगिक आवास, अनुसूचित आदिमजातियों, तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण, मलेरिया नियंत्रण, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संभरण, प्रारम्भिक शिक्षा का विकास, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन तथा अन्य बहुत से कार्यक्रमों में जैसे, उन राज्यों को जिन के यहां व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा नहीं है, प्रशिक्षित करने में सहायता दी है।

तृतीय वर्ष इस योजना को क्रियान्वित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस वर्ष जो एक विकास हुआ उस के कारण तो योजना को सुदृढ़ करने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी पड़ी। नगरों में जो बेरोजगारी बढ़ी उस की ओर १९५३–५४ के आरम्भिक महीनों में जनता का ध्यान आकर्षित हुआ। सभा को वे उपाय स्मरण होंगे जो कि इस योजना को लगभग १० प्रतिशत बढ़ाने के लिये किये गये थे।

अब हम इस बात की समीक्षा करते हैं कि इस अवधि में देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति पर इस सारी कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ा। यह स्पष्ट है कि आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई है और हम बड़े बड़े कार्यक्रम पूरे करने को तैयार हैं। युद्ध तथा युद्धोत्तर काल की कमियां दूर हो चुकी हैं, कीमतें गिर गई हैं, और खाद्य पदार्थों का आयात घटने से भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक हो गई है। यद्यपि हर तरह से वर्तमान वर्षों के परिणाम उत्साहवर्द्धक हैं, किन्तु कुछ कठिनाइयां भी हैं। इन में से, सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न संसाधनों का है, जिस का मैं ने अपने प्राक्कलन में पहले ही निर्देशन किया है।

किन्तु स्थिति यह है कि यदि अधिक विकास करना है तो सरकार के आय-व्ययक के सामान्य संसाधन बढ़ाने ही पड़ेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने हाल ही में इस प्रश्न पर विचार किया था और यह प्रस्ताव रखा था कि अगले आय-व्ययक के लिये राज्यों को यह चाहिये कि वे विकास हेतु अपने संसाधनों में वृद्धि करने, उदाहरणार्थ सुधार कर बढ़ाने, पानी की दरें बढ़ाने, राजस्व-पुनर्निर्धारित करने, अधिक आय वालों से भूमि का अधिकर लेने, वाणिज्य सम्बन्धी उपक्रमों से आय करने की संभावनाओं का पूरा पता लगावें। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने उन नये क्षेत्रों पर, जो कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत आ रहे हैं, सुधार कर लगाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रत्येक सम्भव तरीके से लोगों के बचे धन को इकट्ठा करने पर ही सारी विकास-समस्या निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में हम से जितनी आशा थी, उतना नहीं हो पाया।

यदि कोई अपने देश में योजना के क्षेत्र का सर्वेक्षण करे और गत तीन या चार वर्षों के अनुभव का यथार्थ रूप से पुनरीक्षण करे, तो उसे कुछ अच्छाइयां और कमजोरियां स्पष्ट हो जायेंगी। मैं ने अपने प्राक्कलन में इस बात का उल्लेख कर दिया है कि किन किन बातों से हम को प्रोत्साहन मिलेगा और किन किन कमजोरियों से, जिन को दूर करने का हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं, हम को सदैव सावधान रहना है। किन्तु अभी इस के लिये कुछ समय लगेगा। जो चित्र हमारे सामने उपस्थित है, उस में आशा और उत्साह और साथ ही साथ चेतावनी के भी चिह्न हैं। जो कुछ थोड़े

से परिणाम प्राप्त हुए हैं, वे भले ही बड़े प्रतीत होते हों, किन्तु हमारी समस्या के आकार की तुलना में वे छोटे हैं। राष्ट्रीय त्याग और प्रयत्न की अब पहले से अधिक आवश्यकता है और राष्ट्र सफलता की आशा तभी कर सकता है, जब यह योजना राष्ट्र के लिये आशा और सेवा का प्रतीक बन सके और साधारण नागरिक के लिये अवसर की वृद्धि का एक साधन बन सके ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि पंच वर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन पर विचार किया जाये ।"

कुछ संशोधन रखे गये हैं। इस शर्त के साथ कि यदि मुझे किसी संशोधन का कोई भाग नियमित नहीं जान पड़ा, तो मैं उस विशिष्ट भाग को निकाल सकता हूं, मैं इन संशोधनों की स्वीकृति देता हूं ।

[**श्री रघुवीर सहाय** (जिला एटा--उत्तर पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व) ने अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत किया ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (करनूल) ने अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत किया ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) ने अप संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किया ।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद--दक्षि ने अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत किया :]

**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर रख दिय जाये :

> "This house, having consi d the Progress Report of the Five Year Plan for the year 1953-54, is of the opinion that--
>
> (a) considering the magnitude of the difficulties that had to be encountered, the progress of the First Five Year Plan, has been generally satisfactory, and
>
> (b) for the fulfilment of the plan, it is necessary to accelerate the tempo of progress for the remaining period of the Plan and to implement more vigorously the measures of reorganisation in Agriculture, Industry and other fields recommended in the Plan"

"[पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि--

(क) सामने आने वाली सारी कठिनाइयों पर विचार करते हुए, पहली पंचवर्षीय योजना की प्रगति सामान्य रूप से संतोषजनक रही है, और

(ख) योजना को पूरा करने के लिये, योजना के शेष काल की प्रगति की गति को तीव्र करना और योजना में सिफा-

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

रिश किये गये कृषि उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में पुनर्संगठन के उपायों को और अधिक तेजी के साथ क्रियान्वित करना आवश्यक है ।"]

[**श्री वीरस्वामी** (म्यूरम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) ने अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत किया ।]

**पंडित ठाकूर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तावित स्थानापन्न प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"(c) in the essential interests of rural welfare it is necessary to devote special attention to animal husbandry in respect of which the progress has been extremely unsatisfactory."

["(ग) ग्रामीण कल्याण के हेतु पशुपालन पर, जिस की प्रगति अत्यन्त सन्तोषजनक रही है, विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है ।" ]

(उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन संख्या ९, ११, १२, १४ और १६ प्रस्तुत किये ।)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि एक स्वीकृत हो जाय तो बाद को अन्य संशोधन प्रतिषिद्ध हो जायेंगे ।

अब मूल प्रस्ताव और संशोधन चर्चा के लिये सभा के समक्ष हैं ।

**श्री एस० एन० दास** (दरभंगा--मध्य) : मैं एक निवेदन करता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान किया जाये, जो आर्थिक मामलों की चर्चा में भाग नहीं ले पाये हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल दो या तीन सदस्यों को छोड़ कर, जो कि अपने दलों के प्रवक्ता के रूप में हैं और जिनका बोलना अनिवार्य है, मैं उन्हीं सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा, जिन्होंने आर्थिक मामलों की चर्चा में भाग नहीं लिया और यदि समय रहा तो अन्य सदस्यों को भी अवसर दूंगा ।

इस चर्चा के लिये आठ घंटे नियत किये गये हैं । हम ने अपना काम ठीक १२-०१ बजे प्रारम्भ किया है । इस प्रकार आज ५ घंटे चर्चा हो सकती है और तीन घंटे कल । किन्तु माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि इस के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा होने वाली है । इस चर्चा के लिये छः घंटे नियत किये गये हैं । शुक्रवार के दिन हमें केवल २ १/२ घंटे ही मिल सके थे । अतः यदि माननीय सदस्य आज और कल ६ बजे तक बैठने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस सत्र में चर्चा समाप्त नहीं हो सकेगी । किन्तु परेशानी तो यह है कि ४ बजे ही गणपूर्ति नहीं होती है । माननीय सदस्य आज आध या एक घंटा अधिक बैठने की कोशिश करें, ताकि कार्य पूरा हो सके :

मेरे पास लगभग ३६ सदस्यों के नाम आ गये हैं । यदि सारे सदस्य यह चाहते हैं कि उन को बोलने का अवसर मिले तो, प्रत्येक सदस्य को यह चाहिये कि वह अपने भाषण के लिये १५ मिनट से अधिक न ले ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : पंचवर्षीय योजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये १५ मिनट बहुत कम हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : साम्यवादी दल के लिये, मैं २५ मिनट देता हूं ।

**श्री रेणु चक्रवर्ती** : यह बड़ा हास्यस्पद है कि ८ से केवल २५ मिनट ही दिये जायें ।

**उपाध्यक्ष महोदय**: इस में हास्यस्पद कुछ नहीं है । यदि ८० घंटे नियत किये गये होत, तो मैं प्रत्येक को एक घंटा तक दे देता ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह मामला राजनैतिक न हो कर आर्थिक है अतः संख्या के अनुसार कांग्रेस दल को अधिक समय देना चाहिये ।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं सुझाव देता हूं कि विरोधी सदस्यों को आधा समय दिया जाय ।

**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : नहीं, नहीं । सारे सदस्यों को बराबर अवसर मिलना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । कुल आठ घंटे हैं । प्रत्येक सदस्य के भाग में एक मिनट आता है । यदि एक दल के ३३ सदस्य हैं तो वे ३३ मिनट ले लें और आपस में बांट लें । मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है । इस योजना में हरेक की रुचि है । मेरे विचार में वह अपना एक सदस्य चुन लें जो यह सारा समय ले ले ।

इसी प्रकार से स्वतन्त्र दल वाले भी करें ।

**श्री अशोक मेहता** (भंडारा) : यह आवंटन ठीक नहीं है । आखिर हमें इस बात पर चर्चा करनी है । मैं यह प्रार्थना करूंगा कि उन्हीं सदस्यों को अवसर दिया जाय जिन्होंने नयी और महत्वपूर्ण बातें कहनी हों चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्धित हों । यह वाद-विवाद सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिये नहीं होता, किन्तु जनता की सन्तुष्टि के लिये होता है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : प्रत्येक सदस्य को अवसर दिया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप लोग मेरे काम को बहुत कठिन बना रहे हैं । यह सच है कि प्रतिनिधियों की राय सभा, सरकार और जनता के लाभ के लिये यहां व्यक्त की जानी चाहिये । किन्तु दलों के नेता यहां पर स्वयं बोलना चाहते हैं और अपने अनुयायियों को अवसर दिलाना चाहते हैं ।

पंडित एस० सी० मिश्र का विचार है कि मैं बोलने में सक्षम और असक्षम सदस्यों के आधार पर विभेद कर रहा हूं । किन्तु यह बात गलत है । मैं जहां उचित समझूंगा समय बढ़ा दूंगा, किन्तु अब हमें आगे चलना चाहिये ।

**श्री रघुरामैया** (तेनालि) : श्री अशोक मेहता ने जो यह कहा है कि कुछ सदस्य महत्वपूर्ण बातें कहने वाले हैं और उन्हें ही अवसर दिया जाय, यह दूसरों पर एक लांछन है और इस का हम सब को विरोध करना चाहिये ।

**श्री अशोक मेहता** : मैं ने यह कहा था कि विभिन्न विषयों पर बोलने के हेतु प्रत्येक सदस्य सक्षम नहीं होता और मैं इसी सम्बन्ध में यह बात कह रहा था ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता ।

**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर-चूरू) : स्वतन्त्र भारत का नागरिक होने के नाते मुझे पंचवर्षीय योजना

[श्री कर्णी सिंह जी]

में भारत द्वारा की गई उन्नति पर गर्व है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री तुलसी दास और श्री कर्णी सिंहजी स्वतन्त्र प्रतिनिधि हैं। श्री कर्णी सिंहजी अब व्यापारियों की कठिनाइयां बतायेंगे ।

**श्री कर्णी सिंहजी** : किसी योजना की आलोचना करना बड़ा आसान है, किन्तु मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हम इस को रचनात्मक दृष्टिकोण से देखें । हम ने विभाजन के बाद इतने अन्य कष्टों को पार करते हुए, इतने थोड़े समय में पर्याप्त प्रगति की है, किन्तु हमें ध्यान रखना चाहिये कि केवल इतना ही काफी नहीं है । अभी हमें और भी प्रगति करनी है और हम ऐसी दो तीन योजनाओं के बाद आत्मनिर्भर हो जायेंगे । इन के लिये हम सभी लोगों को एक होकर प्रयास करना होगा । अपने इस कार्य के लिये प्रधान मंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य बधाई के पात्र हैं ।

इस थोड़े से समय में हम ने बड़े बड़े बांध बना लिये हैं । इन्हें देख कर विदेशी भी विस्मित होते हैं । यह हमारे देश को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है ।

हमारे देश में जल-विद्युत का जाल फैल रहा है । यहां तक कि राजस्थान की मरुभूमि में भी छोटे छोटे गांवों में विद्युत् जा रही है । इस से हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकेंगे । हमारी खाद्यान्न स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है ।

आज हमारे विमान सारे विश्व में उड़ने लगे हैं ।

इन सब बातों के होते हुए भी अभी कुछेक बातों की कमी है । सब से बड़ी कमी तो भ्रष्टाचार की है । यहां लगभग सभी यह अनुभव करते हैं कि भ्रष्टाचार प्रगति के मार्ग में बाधा डालता है । मुझे पता लगा है कि आज जो व्यक्ति घूंस नहीं लेता उसे मूर्ख समझा जाता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु घूस देने वाला मूर्ख है ।

**श्री कर्णी सिंहजी** : खैर, लेने और देने वाले दोनों ही भारतीय हैं इसलिये हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिये ।

दूसरी बाधा जो हमारे मार्ग में है वह लाल-फीताशाही है । आज भारत में गरीबों को शीघ्र न्याय नहीं मिलता । एक मामले पर कई साल लग जाते हैं । अतः इस बात को भी हमें ठीक करना होगा ।

दूसरी जो बुराई है, और विशेषतया राजस्थान अथवा कुछ भाग ख राज्यों में ही है, वह है प्रादेशिकता की भावना । जब तक यह भावना बनी रहेगी तब तक पंचवर्षीय योजना को ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

जहां तक राजस्थान का और पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, हमें प्रगति प्रतिवेदन से पता चलता है कि राजस्थान अभी बहुत पीछे है । मैं यह समझता हूं कि वहां के प्रशासन के कान खींचने पड़ेंगे । एक तो वहां पर स्थायी मंत्रिमंडल नहीं है । अभी पिछले छै वर्षों में वहां पर छै मंत्रिमंडल बदल चुके हैं । मेरा विचार है कि हमारी स्थिति बिल्कुल फ्रांस के समान हो गई है । मुझे प्रसन्नता है कि अब हाई कमान ने कह दिया है कि और परिवर्तन सहन नहीं किये जावेंगे ।

मैं चाहता हूं कि नये मंत्रिमंडल को सफलता प्राप्त हो, किन्तु यदि और परिवर्तनों की आशंका है, तो केन्द्रीय सरकार को

चाहिये कि हमारे यहां राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर दे, हम उस से बहुत लाभ उठा सकेंगे ।

मुख्य मंत्री श्री सुखाडिया ने हमें राजस्थान के औद्योगीकरण की आशा दिलाई है । मुझे आशा है कि वे अपने वचन पर स्थिर रहेंगे । राजस्थान में उद्योग खुलने बहुत आवश्यक हैं । ताकि वहां के हजारों बेरोजगार लोगों को नौकरियां दी जा सकें ।

अब १९५६ तक राजस्थान के उत्तरी भाग में बहुत जल विद्युत् हो जायेगी और यह आवश्यक है कि हम ठीक ढंग से योजना बना कर उस का प्रयोग करें । हम यह समझते हैं कि बड़े उद्योग तो एक दम वहां चालू नहीं हो सकते, किन्तु यह बात मैं ने पहले भी कही थी और हुआ कुछ भी नहीं ।

उत्तरी राजस्थान में उद्योग खोलने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये हैं । पहला सुझाव अमोनियम सलफेट का कारखाना खोलने का है । हमें आशा है कि कम से कम एक कारखाना राजस्थान में खोला ही जायेगा । इस में लगभग १००० व्यक्ति लग जायेंगे । एक सीमेंट व गन्धक का कारखाना बीकानेर में खोला जा सकता है । इस में २००० आदमी काम पर लग सकते हैं । इसी प्रकार से पुर्जे जोड़ कर कारें बनाने का कारखाना वहां लगाया जा सकता है । उस में हम १०,००० व्यक्तियों को खपा सकते हैं ।

बीकानेर के वर्तमान डिब्बे बनाने के कारखाने को दुगना किया जा सकता है जिस से और १००० व्यक्ति काम प्राप्त कर सकें ।

नवीनतम योजना राजस्थान नहर की योजना है । यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा चुकी है । इस के बन जाने पर १,२५,००० परिवारों की बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी ।

मुझे आशा है कि हम भारत की उन्नति के लिये एक हो कर प्रयत्न करेंगे ताकि कम से कम समय में भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच जाये ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कल अर्थव्यवस्था के वाद-विवाद में पंडित नेहरू ने कुछेक ऐसी बातें कहीं थीं जो उचित नहीं थीं । उन्होंने कहा कि जो लोग योजना की आलोचना करते हैं, वे वास्तव में लोगों के हितों का विरोध करते हैं । मेरे विचार में इस का कारण यह था कि डा० साहा ने सरकार की कमियों का वर्णन किया था जिस से यह सब हुआ । और कुछ कहने से पूर्व मैं यह कहना चाहती हूं कि एक योजना का समर्थन करना इस बात का द्योतक नहीं है कि आप जनता के हितचिन्तक हैं । हमें देखना है कि आज भारत के लोगों को किन किन बातों के विरुद्ध लड़ना पड़ा है जिन से उन्हें हानि हुई है । इसी कारण से हम लोगों की सराहना करते हैं ।

अब मैं मुख्यतया प्रथम पंचवर्षीय योजना के विषय अर्थात् कृषि को ही लूंगी । श्री सी० डी० देशमुख तथा श्री नेहरू ने कहा है कि बेरोजगारी की समस्या औद्योगीकरण के बिना हल नहीं होगी और उद्योग अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही हैं । यदि हम ने रोजगार देना है, तो हमें बहुत से ग्रामीण लोगों का भी ध्यान रखना होगा यह देखना होगा कि किसानों को उन के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि से बेदखल न किया जाय । हमें उन की रक्षा करनी होगी ।

जो आंकड़े हमें वित्त मंत्री ने दिये हैं उन पर हमें पुनः विचार करना होगा । हम देखें कि हमें कितने व्यक्तियों के लिये रोजगार उपलब्ध करना है । आंकड़ों के अनुसार १५० लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं । यदि हम यह कल्पना करें कि आगे और बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी--तो यदि हम इस में १९ लाख

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

और जोड़ें जितने कि प्रति वर्ष काम करने वाले बढ़ते हैं, तो १० वर्षों में यह संख्या ३४० लाख बनती है—इसलिये मैं समझती हूं कि माननीय वित्त मंत्री के आंकड़े गलत हैं ।

२४० लाख की संख्या बहुत बड़ी है । किन्तु जब यह ३४० लाख हो जाती है, तो मैं समझती हूं कि पूंजी विनियोग और भी ज्यादा होना चाहिये । इसलिये यह आवश्यक है कि हम देखें कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय के इस महान क्षेत्र में हम उस संख्या को खपा सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

इसी विषय में हमें देखना है कि सरकार ने क्या किया है । आश्वासनों के होते हुए भी हम देख रहे हैं कि आज बहुत सी बेदखलियां हो रही हैं । आज सब से बड़ी समस्या भारत में यही है और हमें इस का सामना करना है । यदि आप प्रतिकर दिये बिना किसानों को भूमि नहीं दे सकते, तो कम से कम बेदखलियों को तो आप को रोकना ही चाहिये । आन्ध्र में तमाम कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है, किन्तु आन्ध्र सरकार उस का वितरण नहीं करना चाहती । आज "राजनैतिक पीड़ितों" के नाम पर बहुत से किसानों को उन की भूमियों से बेदखल किया जा रहा है । बहुत से किसानों को तो यह भी स्मरण नहीं कि उन की कितनी पीढ़ियों से वह भूमि उन के अधिकार में चली आ रही है । उन को भी बेदखल किया जा रहा है । पंचवर्षीय योजना में इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि आखिर ऐसा करने से किसान तथा मजदूर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा । इस से बेकारी बढ़ेगी अथवा रोजगार कुछ भी नहीं बताया गया है ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आन्ध्र में जो कृषि करने योग्य बेकार भूमि पड़ी हुई है वह किसानों को क्यों नहीं दे दी जाती इसी प्रकार मलाबार में भी तमाम भूमि सरकार के अधिकार में पड़ी हुई है किन्तु किसानों को नहीं दी जाती है । यह प्रश्न केवल बेकार तथा अनुपजाऊ भूमि के सम्बन्ध में ही नहीं उठता वरन् रैयतवाड़ी प्रथा जहां है, वहां भी यही हाल है । मेरे राज्य में भूमि सुधार का बहाना ले कर किसानों को भूमि नहीं दी जा रही है । इतना ही नहीं वरन् बेदखली में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जिस के परिणामस्वरूप कृषक-वर्ग में बेकारी उत्तरोत्तर बढ़ रही है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है अतः सदस्यों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । क्या माननीय सदस्या का तात्पर्य यह है कि जो बेकार भूमि बड़े बड़े जमीदारों के पास है, उन से ले कर किसानों को दे दी जाये ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं कृषि मजदूरों के विषय में विशेष रूप से उल्लेख कर चुकी हूं । मुझे कुछ और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । मैं यह जानना चाहूंगी कि देश के किन किन भागों में बेदखली बिल्कुल बन्द कर दी गई है ? क्या वास्तव में इस के लिये प्रयत्न किया गया है ? हम कृषि मजदूर वर्ग को, जो सब से अधिक निर्धन है, भूमि देने की व्यवस्था करना चाहते हैं । आज हम काम दिलाने की चर्चा करते हैं । किन्तु उन्हीं लोगों के विषय में, जिन्हें हम काम दिलाना चाहते हैं अर्थात् कृषक वर्ग के लिये किन्तु जमींदारों के विषय में हम कुछ नहीं सोचते । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस ओर उचित ध्यान दिया जाय जिस से उन्हें बेदखल न किया जा सके ।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह है कि जब भूमि पर किसान अपना अधिकार समझता है तो वह उत्पादन बढ़ाने के लिये यथाशक्ति

प्रयत्न करता है। अधिकतम कितनी भूमि दी जाये, इस का विरोध राज्य के कुछ मंत्रियों ने किया है जिस का परिणाम यह निकला है कि केवल कुछ लोगों के अधिकार में बहुत सी भूमि रह जाती है। मेरे विचार से यह अधिकतम सीमा इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिये कि जिस से कृषकों को अधिकाधिक भूमि मिल सके। यह कहना गलत होगा कि अधिक लोगों में भूमि का वितरण करने से उत्पादन में कमी हो जायेगी। अतः पहला कार्य भूमि सुधार तथा अधिकाधिक लोगों में भूमि का वितरण करना है और दूसरा कार्य है सहकारी समितियों की इस प्रकार स्थापना करना जिस से लोगों में असमानता न रहे। सहकारिता के सफल न हो सकने का कारण यह है कि हमारे यहां जो अधिकाधिक सीमा निर्धारित की गई है वह बहुत ही कम है और हमें अभी बहुत सी भूमि को बांटना है। इन चीजों पर हमें विशेष ध्यान देना है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जिस का कारण कहीं अच्छा मौसम और कहीं अधिक भूमि में खेती किया जाना बताया जाता है। किन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश तथा बम्बई जैसे राज्यों का उत्पादन राजस्थान जैसे क्षेत्र को देखते हुए कम रहा है। योजना बनने से पहले भी उत्पादन में वृद्धि होती रही है। अतः हमें देखना यह है कि भूमि सुधार तथा वितरण की दृष्टि से योजना से वास्तविक लाभ क्या हुआ है।

ग्रामीणों को ऋण देने की योग्यता का प्रश्न उन लोगों के सम्बन्ध में उठता ही नहीं है जिन का भूमि पर अधिकार सुरक्षित नहीं है। अतः ऋण देने की योग्यता के साथ भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर भी ध्यान देना होगा। मैं जानना चाहूंगी कि समिति की सिफारिशों तथा ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना करने से वास्तव में क्या लाभ होगा।

दूसरा प्रश्न मूल्य सम्बन्धी है। आज चीनी, पटसन, काली मिर्च, तम्बाकू तथा टेपिओका आदि सभी चीजों के दाम गिरते चले जा रहे हैं और दूसरी ओर निर्माताओं के मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। अतः जब तक कृषि पदार्थों के मूल्यों के स्थायित्व के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता तब तक उत्पादन में स्थायी रूप से वृद्धि नहीं हो सकती। इस कारण इस के लिये एक स्थायी मूल्य नीति होनी चाहिये जिस से उत्पादकों की रक्षा हो सके। इस के साथ ही कृषि मजदूरों की समस्या आती है। निम्नतम मजदूरी उन्हें बहुत कम क्षेत्रों में मिल पाती है। इस कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इस का तथा मूल्यों के गिरने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब पर भली भांति विचार करना होगा।

प्रगति प्रतिवेदन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के जो आंकड़े दिये गये हैं वे वास्तविक नहीं हैं। श्री मेघनाद साहा ने बताया है कि यदि १९४९ से १९५४ की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, उसे ध्यान में रखा जाये तो यह वृद्धि नगण्य होगी। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय आय कृषि तथा औद्योगिक दोनों प्रकार की आयों का योग होता है। यदि हम स्थायी मूल्य के रूप में कुल आय की गणना करें और फिर १९५३–५४ की जनसंख्या देखें तो यह वृद्धि बहुत ही कम जान पड़ेगी। राष्ट्रीय आय देखते समय हमें लोगों के रहन सहन के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिये किन्तु केवल अनुपात से राष्ट्रीय आय निकाल लेने से हमारा निष्कर्ष गलत होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू ने औद्योगिक उत्पादन के गलत आंकड़े उद्धृत किये थे। १९५३ में उन्होंने बताया कि देशनांक १११ था जब कि मेरे विचार से यह संख्या १३५ थी। औद्योगिक उत्पादन के लिये १९४६ अच्छा वर्ष नहीं था। जैसा कि 'ईस्टर्न एकोनोमिस्ट' में दिया गया है और श्री मेघनाद साहा ने बताया है कि योजना के तृतीय वर्ष में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

उत्पादन में जो वृद्धि हुई वह युद्ध-काल के सब से अधिक उत्पादन से कुछ ही अधिक है ।

हम हिंसा नहीं चाहते यदि सारी चीज शांतिपूर्ण ढंग से होती जाय तो, किन्तु बेदखली, भूमि सुधार तथा भूमि वितरण आदि की समस्यायें अभी अछूती ही पड़ी हैं । औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि मेरे राज्य के मध्यम श्रेणी के उद्योग बन्द हो गये हैं । हमें ऐसे उद्योगों की रक्षा करनी है । एकाधिकार पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाये तथा सरकारी क्षेत्र में पूंजी निर्माण को किस प्रकार बढ़ाया जाये इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है । बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को हर प्रकार की छूट और सुविधा दी जा रही है और उन का लाभ बढ़ता जा रहा है किन्तु वस्तुओं का मूल्य कम नहीं होने पाता । वस्त्र तथा चीनी उद्योग में छंटनी होती जा रही है । समिति की स्थापना हो चुकी है । आगे क्या होगा यह तो ईश्वर ही जाने ।

शान्तिपूर्ण ढंग से कार्य करने का उद्देश्य होता है असमानता को दूर करना जिस से निम्न वर्ग के लोग जैसे मजदूर तथा किसानों के साथ न्याय किया जा सके । धनियों की सुविधायों आदि में कुछ कमी करनी होगी और उन पर नियंत्रण रखना होगा । हम यही चाहते हैं । इस में समाजवाद की कोई बात नहीं है, उस से तो हम बहुत दूर हैं । पूंजीवादी प्रणाली में भी हम कुछ सुधार कर सकते हैं और हम चाहते भी यही हैं कि सरकार ऐसा करते हुए आगे बढ़े ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था कि कम से कम कोई ऐसा सुझाव आयेगा कि हिन्दुस्तान में कर का जो बोझ बहुत ज्यादा हो रहा है उस में कमी की जाये । लेकिन वैसा कोई सुझाव नहीं आया, इसलिये मुझे कुछ कहना है ।

मेरा संशोधन बहुत मामूली है, और वह इस प्रकार है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, यह रखा जाये, अर्थात् :—

> "पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि कृषि जन्य पदार्थों के मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना के कारण बढ़ाये गये सिंचाई तथा अन्य कृषि करों में उसी अनुपात से कमी की जाये ।"

यह प्रस्ताव मैं इस लिये रखता हूं चूंकि अभी नन्दा जी ने जो भाषण दिया या प्लैनिंग कमीशन वगैरह से बाज बाज मौकों पर जो वक्तव्य दिये जाते हैं, उन से यह ज्ञात होता है कि उन लोगों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं है । अभी नन्दा जी ने कहा कि हाल ही में जो डैवेलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई थी उस में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर वगैरह थे । उस में उन लोगों ने बताया कि हर प्रकार के टैक्सेज बढ़ाये जायें और उस का नाम उन्हों ने रक्खा एन्हैन्समेन्ट आफ दि बैटरमेन्ट टैक्स, वाटर टैक्स, सरचार्ज आन लैंड रेवेन्यू, वगैरह वगैरह । ऐसी बातों को उन्होंने कहा । अभी बीकानेर के महाराज ने जिस बात को यहां कहा अर्थात् यह कि घूसखोरी बहुत बढ़ गई है और शायद प्लैनिंग कमीशन का ध्यान इस तरफ कम गया है, मैं इस बात का पूर्णतया समर्थन करता हूं । जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई उस में यह शामिल है कि यहां के उन अफसरों को तरक्की न दी जाय बल्कि उन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये

जो घूसखोरी या और प्रकार के भ्रष्टाचार के लिये जवाबदेह हों । लेकिन इस रिपोर्ट में अब तक मुझे इस की कोई चर्चा नहीं मिली । आज यहां पर एक सवाल आया था उस सवाल के जवाब में उपमंत्री महोदय ने कहा था कि उन को ऐसी बातों का पता नहीं है । इसलिये मैं कहता हूं कि प्लैनिंग कमीशन को मौजूदा वस्तुस्थिति का, वास्तविकता का पता नहीं है ।

जब मैं टैक्स के बारे में यह कहता हूं कि टैक्स को कम किया जाना चाहिये तो मैं यह भी कहता हूं कि टैक्स में वृद्धि स्थिति की जानकारी किये बगैर की गई । यदि प्लैनिंग कमीशन को इस बात का पता होता कि हिन्दुस्तान की किन किन नहरों में उतना पानी नहीं मिलता है जितना पानी मिलना चाहिये, या किन किन क्षेत्रों में जहां पर ट्यूब वैल्स सरकार की ओर से या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगाये गये उन में कितने वर्ग फुट पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिये थी और कितने वर्ग फुट पानी किसानों को मिलता है, यदि इन सब बातों का पता उन अफसरों को होता या दूसरे लोगों को चाहे वह मंत्री हों या प्लैनिंग कमीशन के मैम्बर हों, पता होता तो वे लोग इस कर को न बढ़ाते । मैं अपने यहां की बात कहता हूं । हमारे यहां जहां एक घंटे में २८,००० वर्ग फुट पानी मिलता था अब वहां केवल १८,००० वर्ग फुट पानी मिलता है । तो योंही बिना किसी बात को जाने हुए कर की वृद्धि हो गई है । इसी प्रकार वाटर रेट्स की भी वृद्धि इतने प्रतिशत हो गई क्योंकि पानी कम मिलता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में कहीं २०० प्रतिशत और कहीं ३०० प्रतिशत इस टैक्स की वृद्धि की गई १९५१, १९५२, और १९५३ में । उस के साथ किसानों पर और भी तरह तरह के टैक्स लगाये गये । हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, जो यहां से इस समय चले गये हैं, हर साल एक चिट्ठी पढ़ते हैं कि फलां किसान ने बहुत खुशी से ५ रु० भेजे हैं । लेकिन यदि वे मुझ से पूछते और यदि वे कार्यवाही करने को तैयार होते, वे कुछ समय हम लोगों को देते तो मैं उन को हजारों चिट्ठियां जिन का सरोकार फाइनेन्स मिनिस्टर के अफसरों और तम्बाकू बोने वाले किसानों से है दिखाता कि किस प्रकार से उन अफसरों द्वारा हिन्दुस्तान भर के किसानों को सताया जाता है और वे किस प्रकार से घूस लेने के लिये किसानों को तबाह और बरबाद करते हैं । इस के अलावा और भी अफसर हैं । जहां तक पानी देने अर्थात् पम्पिंग सेट्स का सवाल है, वहां पर कितना पानी मिलना चाहिये या किस को ट्यूब वेल लगाना चाहिये, इन बातों का पता उन लोगों को नहीं होता । प्रोग्रेस रिपोर्ट में खर्चे के सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि केवल ४० प्रतिशत रुपया ही खर्च हुआ । मंत्री महोदय ने भी कहा कि इस पर उन को भरोसा है कि हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है और बहुत कम खर्चा हुआ है । हम को भी दो, चार कम्युनिटी प्रोजैक्ट्स के देखने का मौका मिला है । ज्यादा खर्चे का हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट पर जाता है उन को आंकना चाहिये कि उस खर्चे का ऐचीवमेंट क्या है । हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर या नन्दा जी यदि ऐचीवमेंट बतलाते कि कितना प्रतिशत वहां के लोगों को सन्तोष हुआ तो अच्छा होता । यदि वह यह बतलाते कि उन के काम में, उन के कार्यक्रम में कितनी तरक्की हुई तब तो हम को कुछ सन्तोष हो सकता था लेकिन उन का आंकड़ा यह है कि हम ने ४० प्रतिशत खर्च किया और खर्च करने की मशीनरी हमारी बहुत सन्तोष-जनक रूप से काम किये जा रही है । हम उन के इस सन्तोष को बहुत नागवार मानते हैं,

[डा० राम सुभग सिंह]

क्योंकि उन्हीं सब आदमियों के कारण हमारे ऊपर कर का बोझ इतना बढ़ जाता है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

अब आज जो हमारा प्रस्ताव है उस के अनुसार ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज में जो कमी हुई है उस अनुपात को मैं लेना चाहता हूं। आज नन्दा जी ने कहा था कि हम को अब फूड नहीं इम्पोर्ट करना पड़ रहा है और हमारी उपज बढ़ गई है। खाना अब बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है इस का श्रेय तो किसी दूसरे व्यक्ति को है और इस के लिये भी कि हमारे कल्टिवेटर्स इतना सहयोग देते रहे हैं। प्लैनिंग कमीशन इस के लिये अपनी पीठ नहीं ठोंक सकता कि क्यों हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा। हां, इतना जरूर है, उन लोगों ने नदियों को बांधा और कुछ और कार्यबाहियां भी कीं। लेकिन इसका ज्यादा श्रेय किदवई साहब को है। इस का श्रेय प्रकृति को भी है, क्योंकि वर्षा ज्यादा हुई।

मैं पहले टैक्सों को ही लेता हूं। इन से कल्टिवेटर्स पर बहुत बोझ पड़ गया। ऊख का ही सवाल ले लीजिये। पहले जहां इस के लिये ८ या ९ रुपये प्रति एकड़ सिंचाई के देने पड़ते थे अब १५ रुपये देने पड़ते हैं। इस के इलावा लैंड रेवेन्यू और बैटरमेंट चार्जेज भी देने पड़ते हैं। इस तरह से इस की कौस्ट आफ प्रोडक्शन पांच गुना बढ़ गई है।

तो मैं कह रहा था कि किस तरह से ऊख की कौस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और इस में चार या पांच गुना की वृद्धि हो गई है। वाटर रेट बढ़ कर ४५ रुपया हो गया है और बैटरमेंट चार्जेज और लैंड रेवेन्यू इस के अलावा हैं। इसी तरह से धान की सिंचाई के लिये पहले ८०,००० गैलन पानी देने के ८ रु० ८ आने लिए जाते थे, लेकिन अब १५ रुपये लिये जाते हैं। और बैटरमेंट चार्जेज और लैंड रेवेन्यू अलग लिया जाता है। इतना ही नहीं, जैसा कि महाराजा साहिब ने अभी कहा, अफसर भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां करते हैं और बगैर रिश्वत लिये बात ही नहीं करते। मैं एक छोटी सी मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं। एक किसान को अपनी जमीन की सिंचाई के लिये एक रुपया प्रति एकड़ ओवरसियर को और आठ आना प्रति एकड़ ओपरेटर को देना पड़ता है। ओवरसियर की तरफ से यह भी हुक्म हो जाता है कि एक बीघा जमीन में जो भी धान पैदा हो वह उस के घर पर पहुंचा दिया जाय। यदि वह ऐसा नहीं करता तो कई तरीकों से हैरान किया जाता है, उस को समय पर पानी नहीं दिया जाता और किसान देखता है कि उस के खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और उस के खेत सूख रहे हैं तो उसे स्वभावतः बड़ा दुःख होता है। उस पर भी उस से कहा जाता है कि तुम्हें कानून के अनुसार पैनल्टी देनी होगी। इन सब बातों की तहकीकात कराई जानी बहुत जरूरी है। आज हमारे किसानों की हालत क्या है।

यू० पी० की रिपोर्ट मेरे सामने है और उस में दर्ज है कि पांच प्रतिशत को खाना पीना मिलता है और बाकियों की हालत बहुत खराब है। उन पर जो कर्जा है उस का भार वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई एक गाय बेचने के लिये जाता है तो उस को इस के १०० रुपये ही मिलते हैं जबकि पहले उस की कीमत लगभग ३०० रुपये थी। अगर आज वह साढ़ी या धोती खरीदने जाता है तो उस को एक धोती के पीछे तकरीबन तीन आने या चार आने टैक्स देना पड़ता है। इन के अलावा लैंडलैस लेबरर्ज जो हैं और जिन के पास सिर्फ एक बैलगाड़ी ही होती है, उन की हालत और भी खराब है। कृषि पदार्थों के भाव गिरते जा रहे हैं, परन्तु जो टैक्स उन को देने पड़ते हैं उन के

रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और कहीं कहीं तो यह आठ या नौ गुना बढ़ गये हैं। इस के विपरीत कृषि पदार्थों के भाव १६ और १८ रुपये से गिर कर ६ रुपये प्रति मन पर आ गये हैं। अभी तक इन सब चीजों की ओर प्लैनिंग कमीशन का ध्यान नहीं गया है और यदि जल्दी ही कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में न की गई तो स्थिति खराब हो जायेगी। इन मामलों में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ प्लैनिंग कमीशन के हाथ में सभी चीजें ह। उस के हाथ में हैल्थ है, ऐजुकेशन है और एक दो और चीजें हैं। वैल्फेयर स्टेट में यह माना जाता है कि हम हर आवश्यक सुविधा साधारण आदमी को दें। साधारण आदमी का हमारे देश में ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, हैल्थ का भी स्तर हमारे यहां गिरा हुआ है। अभी हाल में यहां पर जब झा साहब ने उस सम्बन्ध में सवाल किया तो तरह तरह के उत्तर मिलते हैं। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हैल्थ की कम से कम सुविधा गरीबों को मिले। आज जब प्लैनिंग कमीशन इतना रुपया खर्च कर रहा है तो इतना तो होना ही चाहिये कि एक गरीब आदमी बिना घूस दिये कम से कम अस्पतालों में भरती हो सके। हम देखते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्टैण्डर्ड भी उसी अनुपात में गिरा है जिस अनुपात में कि हमारे यहां टैक्स बढ़े हैं। इन बातों की तरफ हमारा और सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक अनइम्पलायमेंट का सवाल है हमें अभी यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि २४ मिलियन जौब्स सरकार क्रिएट करने वाली है। और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर शायद काफी जौब्स दे भी चुके हैं।

लेकिन उस के चलते ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि एक नौजवान आदमी भी गांव में नहीं रहना चाहता और जो जैसा काम करने लायक होता है वह उसी दिन गांव से उड़ कर सरकारी नौकरी का दरवाजा खटखटाने के लिये उड़ जाता है, और वह नौकरी के लिये दरवाजा क्यों न खटखटाये। प्लैनिंग कमीशन द्वारा श्रम को महत्व नहीं दिया जाता, कागज पर सिर्फ आब्जेक्टिव में दर्ज है लेकिन वास्तव में उस पर अमल नहीं होता। हमारे मिनिस्टरों को और प्लैनिंग कमीशन के मेम्बरों को अपने पीछे चलने वाले चपरासी की जो फाइल ले कर उन के पीछे पीछे चलता है, उस की आर्थिक दशा की ओर भी ध्यान देना चाहिये और जब तक हम श्रम को उचित महत्व नहीं प्रदान करेंगे तब तक हम इस देश से बेकारी की समस्या को सफलतापूर्वक दूर नहीं कर सकेंगे। आज जिस तरह की नीति पर चला जा रहा है उस से अनइम्पलायमेंट की प्रालबम हल नहीं हो सकती, क्योंकि आज की हालत में किसान काहे को हल चलायेगा, वह तो सरकारी नौकरी की तरफ भागेगा। किसी साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि अगर कुछ आदमी मोटर पर चलें तो और दूसरों को भी मोटर चढ़ने को मिले, लेकिन आज हमारे यहां क्या हालत हो रही है। आज एक आदमी बड़ी शान से दूसरे तमाम आदमियों को तबाह कर के मोटर पर चलता है, तो हमें इस आर्थिक शोषण को समाप्त करना होगा। मैं चाहूंगा कि जीवन के हर क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में मजदूरी का एक न्यूनतम वेतन स्तर स्थिर किया जाय कि उतनी मजदूरी अवश्य दी जाय और एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें गरीबों को इतनी आर्थिक सुविधायें प्राप्त हों ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें और ताकि यहां के बसने वाले गरीब लोग नौकरी करने के वास्ते यहां दौड़ दौड़ कर न आयें। मैं यह नहीं मानता कि किसान हिन्दुस्तान के पिछड़े हुए हैं या जैसा कि कहा जाता है कि वे रीऐक्शनरी हैं। आज हिन्दुस्तान

[डा० राम सुभग सिंह]

में जो कुछ प्रोग्रैस है वह किसानों और मजदूरों की बदौलत ही हुई है क्योंकि यदि किसान नहीं होते तो शायद हम लोग और कोई भी यहां इस पार्लियामेंट में नहीं होते और न कोई आन्दोलन ही सफल हुआ होता । किसी भी पार्टी की जो कुछ जड़ है वह किसानों अथवा मजदूरों के ही बल से है, पार्टी इन्हीं के ऊपर चलती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चरल जनता के ऊपर जितने टैक्सेज हैं, वे उसी अनुपात में कम किये जायें जिस अनुपात में कृषि पदार्थों का मूल्य गिरा है ।

**श्री रघुरामैया** : योजना मंत्री ने, आज अपने भाषण में, योजना के सम्बन्ध में की गई प्रगति के उल्लेख के साथ ही साथ, योजना की प्रगति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की ओर भी, बड़े विनीत शब्दों में, निर्देश किया है । इन में सर्वप्रमुख समस्या बेकारी की है । एक समाजवादी राज्य का चरम उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, अपितु जनता का जीवन-स्तर ऊंचा करना है, और उस के लिये जनता को रोजगारी प्रदान करना अत्यावश्यक है । परन्तु हम ने तो देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रखा है कि नवयुवक निजी कार्यों की अपेक्षा सरकारी नौकरी को ही अधिक पसन्द करते हैं । अतः आवश्यकता अब इस बात की है कि नवयुवकों के हृदयों से सरकारी नौकरी की लालसा के विचारों को निकाल कर उन्हें देश के नये नये महान उद्योगों की ओर प्रवृत्त किया जाये । परन्तु जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, नवयुवकों को केवल १०० रुपये के लगभग वेतन दे कर हम उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकेंगे । बड़े बड़े मंत्रियों तथा पदाधिकारियों को चार चार, पांच पांच हजार रुपये प्राप्त करते हुए देख कर उन की अशान्ति तथा निराशा और अधिक बढ़ जायेगी । अतः जहां तक हो सके, वेतनों के इस भारी अन्तर को मिटाने का प्रयत्न किया जाये ।

आज, सारे देश में महाराजाओं के निजी थैली के विरुद्ध असन्तोष की लहर सी दौड़ रही है । जनता नहीं चाहती कि इन लोगों को इतने भारी वेतन दिये जायें । अतः आवश्यकता इस बात की है कि ये भारी वेतन या तो स्वेच्छा से कम कर दिये जायें, अथवा इस के लिये कोई विधान बनाया जाये । और इस बचे हुए धन से, बेकार नवयुवकों को रोजगार में लगाया जाय ।

परन्तु केवल अधिक नौकरियां दिला देने से ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती । विभिन्न योजनाओं के लिये निर्धारित धन का अधिकांश भाग पदाधिकारियों तथा शासकों की निजी थैली में चला जाता है । अतः इस भ्रष्टाचार को भी उन्मूलित करने के लिये हमें शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्यवाही करनी चाहिये, नहीं तो हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकेगी । इस के लिये भ्रष्टाचार करने वालों को कठोरतम दण्ड देना चाहिये और उन्हें जनता में अपमानित करना चाहिये । जब तक सरकार भ्रष्टाचार के उन्मूलन के कार्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं देती, तब तक कोई भी योजाना सफल नहीं हो सकती ।

नवयुवकों में निराशा और अनुशासनहीनता के विषय में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । श्री भोंसले द्वारा संगठित कस्तूरबा निकेतन के छात्रों के अनुशासन तथा आदर्श रूप को देख कर हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं । मैं चाहता हूं कि सारे देश में विद्यार्थियों को इसी प्रकार की एक अनुशासित प्रणाली के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाये । इस प्रजातन्त्रात्मक राज्य में एक आदर्श प्रशिक्षण द्वारा ही नवयुवकों को अनुशासन में रखा जा सकता है ।

आर्थिक समानता के बारे में जनता की मांग के अनुसार सम्पदा शुल्क अधिनियम बना कर, सरकार, देश को एक समाजवादी राज्य बना रही है यह तो सराहनीय है । परन्तु केवल कृषि योग्य भूमि के अधिकार को सीमित कर देने से काम नहीं चलेगा, अन्य प्रकार की सम्पदा या सम्पत्ति के अधिकारों को भी सीमित करना होगा । तभी, हम आर्थिक समानता पैदा कर सकेंगे ।

खेती में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी हमें इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिये जिस से उन का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके । परन्तु यह मजूरी तब तक निर्धारित नहीं हो सकती जब तक कि हम कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित न कर लें ।

योजना-आयोग ने भारत के उत्थान तथा प्रगति के लिये बहुत कुछ किया है, परन्तु इस की प्रगति में रुकावट का यदि कोई डर है तो वह षष्ठांगी व्यक्ति से है । वे देश के हितैषी नहीं हैं और वे स्वभावत: विदेशों में जा कर भारत की योजनाओं की निन्दा करते हैं । परन्तु वास्तव में, भारत ने, गत कुछ वर्षों में आश्चर्यजनक प्रगति की है ।

**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना पूर्व): इस में कोई सन्देह नहीं कि भारत ने पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि तथा उद्योग की दृष्टि से सराहनीय प्रगति की है । अन्न के उत्पादन में तो इतनी अधिक प्रगति की है कि तीन वर्षों में ही हम ने पांच वर्षों के लक्ष्य को प्राप्त किया है ।

मैं हैरान हूं कि मेरी माननीया सखी ने किस प्रकार यह आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री द्वारा बताये गये औद्योगिक उत्पादन के देशनांक बिल्कुल गलत हैं । १९४८ में औद्योगिक उत्पादन का देशनांक १०५ था, और आज १९५४ में वही १४० तक पहुंच गया है । तो इस का स्पष्ट अर्थ है कि हम ने इस दिशा में अत्यधिक उन्नति की है । यद्यपि कुछेक वस्तुओं के भाव थोड़े से गिर गये हैं, तथापि इस में कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं ।

यद्यपि कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है, फिर भी इस प्रगति को स्थिर रखने के लिये, इस बात की आवश्यकता है कि अधिक धन लगाया जाय । वास्तव में, योजना के लिए २,०६९ करोड़ रुपये निर्धारित किये गए थे, तत्पश्चात बेकारी दूर करने के उद्देश्य से २१६ करोड़ रुपये और भी सम्मिलित कर दिये गये, परन्तु आज तक तीन वर्षों में केवल ८८५ करोड़ रुपया लगाया गया है । तो इस का यह स्पष्ट अर्थ है कि योजना को पूर्व निर्धारित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, और उस के अनुसार धन नहीं लगाया गया । अत: भविष्य में योजना के प्रत्येक अंग पर पहले ही अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिये और तब, उसे कार्य रूप में उसे परिणत करना चाहिये ।

योजना के प्रतिवेदन में योजना की प्रगति की मंद गति का कारण यह बताया गया है कि विशेष प्रकार के साधन तथा सामान उपलब्ध नहीं हैं । मुझे आश्चर्य है कि तीन वर्षों के इस लम्बे समय के उपरान्त भी आज तक हम वे साधन प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

फिर यह कहा गया है कि प्रशासन गतिशील नहीं है । मैं इस से भी सहमत नहीं । यह तो योजना-आयोग का कर्तव्य है कि प्रशासन की ढिलाई दूर कर दे, और सारी शासन व्यवस्था का सहयोग प्राप्त करे । मैं चाहती हूं कि सरकार इस की ओर भी ध्यान दे ।

संसाधनों की कमी के सम्बन्ध म भी मैं कुछ कह देना चाहती हूं । केन्द्र की अपेक्षा

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

राज्य इस बारे में अधिक दोषी ठहरते हैं। केन्द्र ने ५ वर्ष के लिये ७२६ करोड़ रुपया देना था, और उस ने तीन वर्षों में ३२४ करोड़ दिया है, इस प्रकार से ५ वर्षों में वह ५४० करोड़ तक दे सकेगा। परन्तु राज्यों ने जहां ५३२ करोड़ देना था, वहां २१२ करोड़ दिया है, और ५ वर्षों में क्या वे ३५३ करोड़ दे सकेंगे। केन्द्रीय सरकार पर अनेकों और उत्तरदायित्व भी हैं फिर भी उस ने वचन पूरा किया है, परन्तु राज्य अपने प्रण के अनुसार सहयोग नहीं देते। राज्य अब तक केन्द्र से १२२ करोड़ रुपये तक की सहायता ले चुके हैं, किन्तु योजना के २५ प्रतिशत व्यय के लिये उन्हें संचित नकदी और अल्पकालीन ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा है। यह बात बहुत चिन्ताजनक है। मैं आशा करती हूं कि व्यय की इस कमी को दूर करने के लिये योजना बनाने वाले पूरा प्रयत्न करेंगे।

**श्री एस० एस० मोरे** (शोलापुर) : पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में वास्तविक प्रश्न यह है कि इस से जो फल प्राप्त होने की आशा थी, वे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। उदाहरणतया भ्रष्टाचार को लीजिये। पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि इस के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करना पड़ेगा। किन्तु इस रिपोर्ट में हमें कुछ नहीं बताया गया कि यह संघर्ष किस प्रकार का है।

दूसरी बात जनता का सहयोग प्राप्त करना है। क्या लोग स्वेच्छा से और उत्साह से अपना सहयोग दे रहे हैं? हम देखते हैं कि योजना को क्रियान्वित करने का काम नौकरशाही पर छोड़ दिया गया है, जो कि अक्षम, अयोग्य और अपव्ययी है। इसे जनता के सहयोग से नहीं चलाया जा रहा। इस का परिणाम यह है कि भ्रष्टाचार और अक्षमता बढ़ती जा रही है।

मैं अपना भाषण देश की कृषि सम्बन्धी स्थिति तक सीमित रखना चाहता हूं। कृषि के विकास और विशेषकर खाद्य समस्या के हल के सम्बन्ध में योजना में एक अध्याय है, इस में कहा गया है कि उत्पादकों के हित के लिये मूल्यों को बहुत अधिक गिरने से रोकना चाहिये और मूल्यों को स्थिर करने के लिये और अन्तःराज्य असमानताएं दूर करने के लिये सरकार को निश्चित मूल्यों पर कृषि-उत्पाद खरीदना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना के इस भाग को क्रियान्वित किया गया है। जब नियंत्रण हटाये जा रहे थे, तो हमें डर था कि कृषि मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। दुर्भाग्यवश वृद्धि की बजाय बहुत कमी हुई है। ऐसा होने से कृषकों की क्या दशा हुई है? देश के ३६ करोड़ लोगों में से २४ करोड़ कृषि पर निर्भर हैं और उन में से अधिकांश छोटे छोटे किसान हैं। उन की क्या दशा है? यदि आप नवम्बर, १९५४ के मूल्यों के देशनांक आंकड़े देखें, तो आप को मालूम होगा कि चावल, गेहूं और चने के मूल्य गिर गये हैं। केवल चाय के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। इसी तरह औद्योगिक कच्चे माल---रूई, पटसन और मूंगफली के मूल्य भी गिर गये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने मूल्यों को स्थिर करने के लिये क्या किया है? आप जानते हैं कि किसान अपनी फसल को रोके नहीं रख सकता। कटाई के तुरन्त बाद ही उसे अपना उत्पाद मंडी में ले जाना पड़ता है। एक या दो मासों में यह दलालों के हाथ में होता है और आप की योजनाओं से केवल उन्हें लाभ पहुंच सकता है। मूल्य एक दम गिरते जा रहे हैं। फिर भी सरकार आत्म संतुष्ट है और समझती है कि उस के ' स्थिर करने की व्यवस्था

है । एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन वस्तुओं को खरीदने के लिये जिन के मूल्य अत्यधिक गिरते जा रहे हैं, आवश्यक हिदायतें जारी कर दी गई हैं । किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं जिस का उल्लेख किया जा सके और यह ऐसी स्थिति नहीं जिस से संतोष हो सके ।

क्या हम इन छोटे छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या हमें उन का कुछ ख्याल है ? चाहे कांग्रेस सत्तारूढ़ हो या कोई और, हमें इस तथ्य का सामना करना है कि गिरते हुए मूल्य उन्हें नष्ट कर देंगे । सदन के सब विभागों के लिये यह अत्यावश्यक है कि वे एक हो कर किसानों के हितों की रक्षा करें । पूंजीपतियों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत हैं, किन्तु किसानों का कोई भी नहीं है ।

मूल्य उप-समिति ने, जिस के अध्यक्ष श्री वी० टी० कृष्णमाचारी थे, यह सिफारिश की थी कि मूल्य निश्चित करने में हमें न केवल उत्पादन व्यय को बल्कि जीवन-यापन व्यय को भी ध्यान में रखना चाहिए । किन्तु जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है, उत्पादन व्यय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । सरकार के पास विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन-व्यय के सम्बन्ध में आंकड़े भी नहीं हैं ।

मूल्य उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट १९४६ में प्रस्तुत की थी । उस की सिफारिश को ८ साल हो चुके हैं किन्तु इतने समय में हम किसानों के लिये लाभदायक मूल्य निश्चित करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सके । इस का परिणाम यह है कि किसानों की दशा की देखभाल करने वाला कोई नहीं है । मैं कहता हूं कि ये गिरते हुए मूल्य एक ऐसी निशानी हैं जो इस बात का पता देती हैं कि देश पर एक विपत्ति आने वाली है, क्योंकि किसान यदि अपना उत्साह खो बैठें, तो उन के लिये क्या रह जाता है । केवल निराशा । पिछले दो तीन वर्षों में हमें जो लाभ हुआ है, वह सब बेकार हो जायेगा । मैं खाद्यान्न नीति समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं, इस समिति ने हर मामले में यह सिफारिश की है कि उत्पादक को अधिक मूल्य मिलने चाहिएं । यह सिफारिश किस आधार पर की गई थी ? कारण यह था कि सरकार ने जो मूल्य निश्चित किये थे वे उत्पादक के लिये पर्याप्त उत्साहजनक नहीं थे । मैं एक उदाहरण देता हूं । आप गुड़ के मूल्य लीजिये । गन्ने की प्रति एकड़ कृषि पर १९०० रुपये लागत आती है किन्तु किसान को केवल १४०० या १५०० रुपये मिलते हैं और उसे प्रति एकड़ ४०० रुपये की हानि होती है । क्या इस से देश की स्थिति में सुधार होगा । यदि चीनी का उत्पादन कम हो जाये, तो क्या होगा ? सरकार को आयात करना पड़ेगा और दूसरे देशों के उत्पादकों को अधिक मूल्य देने पड़ेंगे । मैं फिर कहता हूं कि सरकार को छोटे छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिये । केवल उन्हीं के द्वारा स्थिति में सुधार हो सकता है । बड़ी बड़ी योजनाओं से कुछ नहीं होगा ।

**चौ० रणवीर सिंह** (रोहतक) : मैं पहले प्लानिंग कमीशन को और श्री गुलजारी लाल नन्दा जी को बधाई देता हूं कि अब तक उन्हों ने इस तरह से इस प्लैनिंग को प्लैन किया । और जो काम हुआ है उस के लिये वह बधाई के पूरे मुस्तहक हैं । इस के साथ साथ मैं देश के किसानों को भी बधाई देता हूं ।

इस प्लैन के अन्दर अन्दाजन ८५० करोड़ रुपया किसानों की पैदावार को बढ़ाने

[चौ० रणवीर सिंह]

के लिये रक्खा गया था। प्लैन का नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के पहले पांच सालों में जो अन्दाजन ८०० करोड़ रुपये का अनाज बाहर से आया, इसी प्रकार से अन्दाजन २५० करोड़ रुपये का पटसन बाहर से आया, और १५० करोड़ रुपये की कपास बाहर से मंगानी पड़ी, जिस का अन्दाजा कोई १२०० करोड़ रुपया बैठता है। प्लैन पर करीब ८५० करोड़ रुपया खर्च करने का नतीजा यह होगा कि आने वाले पांच सालों के अन्दर देश को १२०० करोड़ रुपये का सामान बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिये यह जो प्लैनिंग का काम है उस के लिये मैं प्लैनिंग कमीशन और किसानों को फिर बधाई देता हूं।

लेकिन इस के साथ साथ मैं कुछ अर्ज भी करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले १३ सालों के अन्दर कंज्यूमर को बचाने के लिये कंट्रोल लगाया गया और हिन्दुस्तान की सरकार ने अन्दाजन ३०० करोड़ रुपया हर साल इन्वैस्ट किया ताकि कन्ज्यूमर के मफाद सुरक्षित रहें और कंज्यूमर की खर्च करने की ताकत के मुताबिक उस को इतना सस्ता अनाज मिल सके कि उस की जरूरत पूरी की जा सके। लेकिन आज हिन्दुस्तान में कृषि संसार के अन्दर एक अजीब हालत है। आप चाहे यू० पी० के अन्दर जाइये या बिहार के अन्दर जाइये, वहां कहीं गन्ने की कीमत गिरने के खिलाफ, कहीं गेहूं की कीमत के गिरने के खिलाफ आवाज है तो कहीं मकई की कीमत गिरने के खिलाफ आवाज है। कहीं रबर की कीमत के गिरने के खिलाफ आवाज है। सभापति महोदय, एक जमाना था जिस जमाने के अन्दर एक नारा था, बड़ा असर रखने वाला नारा था : "लैंड टु दी टिलर"। लेकिन आज हमारे प्रधान मंत्री और कांग्रेस की कृपा से वह नारा तकरीबन कार्य रूप में परिणत हो चुका है। और आज जमीन तकरीबन काश्तकार के पास है। लेकिन आज एक और सवाल पैदा हो गया है। पहले जिस वक्त भाव बढ़ाने की बात कही जाती थी तो लोग कहा करते थे कि यह बड़े बड़े जमींदारों का सवाल है। आज यह ६० और ७० फी सदी लोगों का सवाल है। अगर उन की पैदावार की कीमत जितना कि उन का खर्च है उस के मुताबिक नहीं दी जाती है तो आप यकीन रखिये कि आने वाले जमाने में कोई भी ताकत चाहे वह कितनी ही ब मजबूत क्यों न हो, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वह कितनी ही मजबूत क्यों न हो, किसानों की इस आवाज को दबा नहीं सकेगी और इस का नतीजा यह होगा कि यह जो प्लैन की कामयाबी हमें दिखाई देती है वह नाकामयाबी में तबदील हो जायेगी, चूंकि अगर किसानों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी तो आप की जो इंडस्ट्री है चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में है और चाहे वह पब्लिक सैक्टर में है, वह धरी की धरी रह जायेगी। कई दोस्त हैं जो यह समझते हैं कि यह बहुत मुश्किल सवाल है और हमारी कुछ दिन हुए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के एक बड़े अफसर के साथ बात हुई और उन्हों ने भी कहा कि यह एक बड़ा कठिन सवाल है। मैं समझता हूं हूं कि यह उस मिनिस्ट्री के लिये जिस ने किदवई साहब के होते हुए इतनी बड़ी खाद्य समस्या को हल किया यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। वे समझते हैं कि इस में कोई खतरा है, लेकिन इस में कोई खतरा नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप ने पीछे देखा है कि किदवई साहब के सेक्रेटेरियेट ने एलान करवाया था पंजाब सरकार और यू० पी० सरकार से कि गेहूं के भाव अगर १० रुपये फी मन से गिरे तो यह दोनों सरकारें गेहूं को खरीदने के लिये बाजार में आ जायेंगी। इस ऐलान का असर यह हुआ कि गेहूं के भाव

१० रुपये से नीचे गिरने से रुक गये । इसी तरह का एक एलान सरकार की तरफ से आज भी शाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि वह मकई (मेज़), बाजरा इत्यादि के भाव एक खास कीमत से नीचे नहीं गिरने देगी और यदि ये भाव गिरे तो सरकार खुद बाजार में आयेगी और ये चीजें खरीदेगी । मेरा ख्याल है कि इस से कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, गो यह मैं मानता हूं कि जो कीमतें रखी गई हैं वह किसानों के साथ एक मजाक है ।

**सभापति महोदय** : क्या यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद मूल्य है ?

**चौ० रणवीर सिंह** : मैं अर्ज कर रहा था कि आज के जमाने में जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है उस के हिसाब से अगर हम सोचें तो यह इकोनोमिक प्राइस नहीं है । लेकिन बहरहाल सरकार ने एक कदम उठाया है और उस कदम के उठाने के लिये मैं श्री जैन और श्री देशमुख को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता । मैं समझता हूं कि आगे को भी अगर सरकार की दूसरी मैशीनरी उन के रास्ते में रोड़ा न बनी और प्लेनिंग कमीशन ने कोई रोड़ा न अटकाया तो शायद जो एक तरफ उन का कदम बढ़ा है किसानों की भलाई के लिये इसे और आगे बढ़ाया जायेगा ।

**रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : किसानों की उन्नति में कोई रोड़ा नहीं अटका सकता ।

**चौ० रणवीर सिंह** : हां, मेरा तो विश्वास है कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी उन के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती, क्योंकि फौज में जो आदमी काम करते हैं वे उन्हीं के बाल बच्चे हैं जिन के हाथ में हमेशा हल ही होता है और अगर उन के दिल को आप ने आज दुखाया तो आप यकीन रखिये कि आप की डिफैंस मिनिस्ट्री जो है वह एक कागजी मिनिस्ट्री रह जायेगी ।

मैं अर्ज कर रहा था कि किसानों ने इस देश की तरक्की के लिये एक बहुत आसान रास्ता बना दिया है । देश के अन्दर अनाज की, कपास की और दूसरी चीजों की पैदावार बढ़ा कर देश को और प्लैनिंग कमीशन को एक ताकत दी कि अगर उन के दिल में कुछ हिम्मत है, गुर्दा है तो इस देश को वे आगे बढ़ा सकते हैं । इस बात को कहते हुए मेरा इशारा डैफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ है । आज शांति से और बगैर किसी किस्म की गड़बड़ी के ज्यादा से ज्यादा डैफिसिट फाइनैंसिंग के जरिये देश की जितनी आप तरक्की करना चाहें, कर सकते हैं ।

इस के अलावा अब मैं कुछ अपने इलाके के बारे में भी कहना चाहता हूं । दिल्ली के पास से एक नदी गुजरती है जिस का नाम यमुना है और जिस में काफी पानी आता है और कई दफा तो लोगों को यह खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं दिल्ली डूब न जाये । देश में बड़े बड़े बांध बनाये जा रहे हैं और कई सौ करोड़ रुपये इन पर खर्च किये जा रहे हैं । यमुना नदी पर बांध बनाने के लिये सिर्फ १५ करोड़ रुपये की जरूरत है । आज मैं ने यू० पी० असेम्बली की कार्यवाही अखबार में पढ़ी है । बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा सूबा होते हुए बजाय इस बात के कि वह यह कोशिश करता कि यमुना के ऊपर बांध बनाने के लिये कुछ रुपया देता या प्लैनिंग कमीशन से पंजाब सरकार की तरह रुपये की मांग करता ताकि यमुना का पानी किसानों की भलाई के लिये इस्तेमाल में आ सके, आज वह कहता है कि इस पानी का बटवारा ठीक तौर पर कर दिया जाय और यू० पी० को ज्यादा पानी दिया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध के हो जाने से यमुना की वादी में जो भी किसान बसते हैं उन का बहुत फायदा हो सकता है और इस में यू० पी० के किसान भी आ

[चौ० रणवीर सिंह]

जाते हैं। चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल पर न चलते हुए मेरा निवेदन है कि यमुना पर बांध बनाने के वास्ते जो कि दिल्ली के कैपिटल के पास से गुजरती है पंजाब सरकार की १५ करोड़ रुपये की मांग को पूरा कर देना चाहिये। यह डर है कि पंजाब सरकार को भाखड़ा वगैरह के लिये काफी रुपया कर्ज के रूप में दिया जा चुका है। इसी डर से १५ करोड़ रुपये दूसरे पांच साला प्लैन में दिये जायें जिस की पंजाब सरकार ने मांग की है। मैं अर्ज करूंगा कि यमुना पर बांध बनाना बहुत जरूरी है और यह रुपया पंजाब सरकार को इसी पांच साला प्लैन में दे दिया जाना चाहिये।

अब मैं थोड़ा सा लोकल वर्क्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अफसर देश की तरक्की उतनी तेजी से नहीं कर सके हैं जितनी तेजी से प्लैनिंग कमीशन या सरकार चाहती थी। और मेरे ख्याल से इस की वजह यह है कि उन के सोचने और कम करने का तरीका ही अजीब है। अब हम ने ४ करोड़ रुपया पिछले साल के लिए और ६ करोड़ रुपया इस साल लोकल वर्क्स पर खर्च करने के लिये रखा है जो कि उन लोगों को दिया जायेगा जो अपनी मर्जी से काम करना चाहेंगे बशर्ते कि वे इस खर्चे का आधा हिस्सा खुद बरदाश्त करें। इस काम में भी अफसरों को फंसा दिया गया है जिन के पास आगे ही २००० करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा रुपया खर्च करने को है। लोकल वर्क्स के कामों के लिये रुपया खर्च करने के लिय इन अफसरों से मंजूरी लेना जरूरी रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस बात की रोक थाम तो होनी चाहिये कि इस रुपये का नाजायज इस्तेमाल न हो। लेकिन जो अफसर अपना फर्ज पूरी तरह अदा नहीं कर सकते उन से इस रुपये को खर्च करने के लिये मंजूरी लेने की शर्त लगाना ठीक न होगा। मेरी अर्ज है कि पांच साला प्लैन की प्रोग्रेस के प्रचार से जिन लोगों के दिलों में जोश पैदा हो गया है और वे काम करना चाहते हैं और उन की उन्नति में कोई रोड़ा न अटकाया जाय और जितना रुपया वे खर्च करना चाहें उस का आधा यानी ५० फीसदी उन को जल्दी से जल्दी दिया जा सके, इन स्कीमों के लिये अफसरों की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होना चाहिये।

**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी) : मैं मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में, आलोचना की जा सकती है और मतभेद भी हो सकता है, किन्तु जो सफलतायें हम ने प्राप्त की हैं, उन की निन्दा करना और योजना के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न करना बिल्कुल अनुचित है। आप को याद होगा खाद्य के मामले में दो वर्ष पहले देश को किस संकट का सामना हुआ था। किन्तु सरकार ने उत्साह से काम लिया और उस ने जो योजना अपनाई थी, उस के फलस्वरूप और देश में समर्थन के फलस्वरूप हम ने इस संकट को दूर कर लिया है। मुझे यह देख कर हर्ष होता है कि हमारा लक्ष्य खाद्यान्न में ७०·६ लाख टन की वृद्धि करने का था, किन्तु योजना के तीसरे वर्ष में वास्तविक वृद्धि ११०·४ लाख टन है। रुई के उत्पादन में भी कुछ वृद्धि हुई है। किन्तु चीनी और पटसन के उत्पादन में कमी हुई है। चीनी के उत्पादन में कमी, गन्ने के मूल्यों में कमी होने के कारण हुई है। अब दक्षिण भारत में और चीनी मिलें खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। बम्बई और मैसूर में सहकारी समवायों को लाइसेंस दिये गये हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इन समवायों को यथासंभव अधिक से अधिक वित्तीय सहायता दे।

सिंचाई और विद्युत् के सम्बन्ध में भी काफी प्रगति हुई है। बड़े बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। मेरे अपने जिले में तुंगभद्रा परियोजना शुरू की गई है और नहरें खोदी गई हैं। हमें चाहिये कि हम छोटी नहरें बनाने और खेतों को समतल बनाने के काम की ओर तुरन्त ध्यान दें, ताकि उन में सिंचाई हो सके। इस प्रयोजन के लिये किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने चाहियें।

ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने की सुविधायें देने के लिये वित्त मंत्री ने, एक वाणिज्यिक बैंकिंग संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये। मैं उद्योगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। १९५३-५४ का देशनांक १३६.३ तक बढ़ गया है। चित्तरंजन कारखाने ने १९५३-५४ में ६४ इंजन तैयार किये हैं। १९५१-५२ में इस ने १७ बनाये थे। १९५५-५६ का लक्ष्य १०० इंजिन है।

इस्पात के उत्पादन के बारे में इतनी प्रगति नहीं हो रही है। हमें हर्ष है कि रूरकेला में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से एक नया कारखाना लगाया जा रहा है और एक तीसरा कारखाना स्थापित करने के लिये रूसी विशेषज्ञ भी भारत आये हुए हैं। बेल्लारी में बढ़िया लोहे की कच्ची धातु मिल सकती है। मैसूर सरकार ने इस की सिफारिश की है और आशा है कि सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

वित्त, विपणन सुविधाओं और शिल्पिक सहायता के अभाव के कारण कुटीर उद्योगों, छोटे उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ है। योजना काल में कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों पर १५ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई थी, परन्तु वास्तव में १९५१-५२ में १४.३ लाख रुपया, १९५२-५३ में २९.३ लाख रुपया और १९५३-५४ में ७९.९ लाख रुपया व्यय किया गया था, इस के अतिरिक्त खादी और हथकरघा के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था उपकर निधि में से की गई है, वस्त्र जांच समिति के हाल ही में दिये गये प्रतिवेदन में हथकरघा उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। हमारे देश में लगभग १५ से २८ लाख हथकरघे हैं जिन पर १५० से २०० लाख लोग निर्भर करते हैं : कारखानों में केवल ७,५०,००० लोग काम कर रहे हैं।

यदि वस्त्र जांच समिति की सिफारिशें मान ली जायें तो हथकरघा उद्योग जिस में मिलों से २० गुणा अधिक लोग काम कर रहे हैं, नष्ट हो जायगा। हथकरघों के स्थान पर बिजली के करघे लगाने की सिफारिश की गई है, परन्तु ऐसा करने से बहुत से लोग बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसा करने की बजाय हमें हथकरघों में सुधार करना चाहिये ताकि उत्पादन बढ़े। हमें श्रम की बचत करने वाली नहीं, बल्कि श्रम का प्रयोग करने वाली मशीनों की आवश्यकता है।

फोर्ड प्रतिष्ठान अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल ने छोटे उद्योगों के उत्पादन के तरीके और प्रबन्ध को सुधारने के हेतु चार टैक्नालोजी के प्रादेशिक इंस्टीच्यूट स्थापित करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। हम कई वर्ष से चरखे में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। पिछली प्रदर्शनी में चार तकलों वाला चरखा दिखाया गया था। ऐसे चरखे बनाने का काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये क्योंकि हमारे लिये यह बड़े महत्व का विषय है। इस से उत्पादन भी अधिक होता है और कातने वालों की क्रय शक्ति भी बढ़ती है।

**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : सब भाषण सुनने के पश्चात् मेरा यह विचार हुआ है कि हमें राष्ट्रवाद की अत्यधिक आवश्यकता हमारी योजना राष्ट्रवादी भावना पर आधारित है परन्तु देखना यह है कि इसे कहां तक कार्यान्वित किया गया है । यह ठीक है कि एक कल्याणकारी राज्य में सब सुविधायें प्राप्त करने और इस प्रक की उन्नति के लिये धन की आवश्यकता है और धन तभी प्राप्त हो सकता है जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । रूस और चीन से हमें यह बात सीखनी चाहिये कि जैसे अपने राज्यों का निर्माण करते समय उन्हों ने दूसरे देशों से सहायता ली इसी प्रकार हम भी सम्मानपूर्ण शर्तों पर विदेशी सहायता प्राप्त करें और बाद में अपने व्यापार को उन्नत करें जो कि हमारा मूल उद्देश्य है ।

गैर सरकारी उपक्रमों के लिये भी काफी बड़ा क्षेत्र रह जाता है । औद्योगिक वित्त निगम और ऐसी अन्य संस्थाओं को इन की सहायता करनी चाहिये । इन में अधिक लोगों को रोजगार और इन से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है । इन गैर सरकारी उपक्रमों पर पहले ही लगभग १६० लाख लोग निर्भर कर रहे हैं ।

पंचवर्षीय योजना में भी गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये हर प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये । विधान द्वारा श्रमिक सुधार करना चाहिये और कर इतने बढ़ाने चाहियें कि राजस्व भी बढ़ जाये और उद्योगपति को भी उचित लाभ मिलता रहे । उद्योगपतियों के राष्ट्रविरोधी होने का कारण मेरी समझ में नहीं आता । सम्भव है कि उन में से कुछ लोग बुरे हों परन्तु राष्ट्र निर्माण के कार्य में वे अवश्य अपना सहयोग देंगे ।

प्रगति प्रतिवेदन से पता चलता है कि हम लगभग १९९.३ लाख रुपये के मशीनों के पुर्जों का आयात कर रहे हैं । देश में इनके १४ कारखाने हैं । इस महत्वपूर्ण उद्योग को ठीक प्रकार स्थापित करने के हेतु इन कारखानों को अधिक सहायता दी जानी चाहिये ।

चाय उद्योग की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है । इस में अधिकतर विदेशी पूंजी लगी हुई है जिस के स्थान पर भारतीय पूंजी लगनी चाहिये । सरकार को भी आदेश देते समय अपने कारखानों को प्राथमिकता देनी चाहिये ।

कार्मिक संघों को भी अपने हितों का ध्यान रखते हुए उचित ढंग में काम करना चाहिये ।

सरकार की नीतियों और पंचवर्षीय योजना का प्रचार हमारे देश के प्रेस को इस प्रकार करना चाहिये कि लोग इसे भली भांति समझ सकें । पंचवर्षीय योजना का प्रचार मेरे विचार में प्रसारण मंत्रालय अच्छी प्रकार कर सकता है क्योंकि पुस्तिकायें हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता ।

पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों के लिये ३२ करोड़ रुपया दिया गया है परन्तु यह काफी नहीं है । ऋण और अनुदानों के अतिरिक्त उन की कुछ और आवश्यकतायें भी होंगी क्योंकि कई स्थानों पर ३० एकड़ में वे निर्वाह न कर सकेंगे । रूस और चीन की अंधाधुंध नकल करने से काम नहीं चल सकता ; अपनी नीतियों, योजनाओं और प्रशासन में हमें अपनी समझ से काम लेना चाहिये ।

**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिंडा) : योजना आयोग ने देश की भलाई के लिये काफी कुछ किया है और फिर श्री नन्दा ने इस ढंग से भाषण दिया है कि उन की कटु आलोचना करना निर्दयतापूर्ण होगा । परन्तु फिर भी कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं जो उन के सामने रखनी पड़ेंगी । वह मैं

साथ सहमत हैं कि योजना की मशीनरी में, अधिक सुधार नहीं हुआ है जो कि अत्यन्त आवश्यक है । योजना चाहे कितनी ही अच्छी हो परन्तु अधिक महत्व तो उसे कार्यान्वित करने का है । इस में बड़ी लूट खसोट चल रही है । जैसे कि लोग कहते हैं :

लूट पड़ी में जो लूटे न, वह भी नामाकूल ।

माननीय मंत्री को इस की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि यह कार्य सक्षमता और कुशलता से हो सके । जिला दण्डाधिकारियों को यह काम सौपा गया है जिन के पास इतना समय नहीं होता कि वे इन बैठकों में आ सकें इसलिये यह मन्त्रणा बोर्ड ठीक प्रकार अपना कार्य नहीं कर सकते हैं । संसद् तथा विधान-मण्डलों के सदस्यों को भी इन मन्त्रणा परिषदों में भाग लेने को कहा गया था परन्तु इस में भी बड़ी कठिनाइयां हैं और मैं निवेदन करता हूं कि इन मन्त्रणा निकायों में भारी परिवर्तन करना आवश्यक है तभी यह कोई लाभदायक काम कर सकेंगे । मैं जागीरदारी के पक्ष में नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि भूमि को समान मात्रा में फिर बांटा जाये परन्तु इस के अतिरिक्त एक और भी समस्या है । पंजाब में बहुत से लोग एक या दो एकड़ के पोषणक्षम भू-भागों में खेती करते हैं और वे पहले अपने पड़ोसी से कुछ भूमि ले कर अपने परिवार के निर्वाह के लिये कृषि कर लिया करते थे परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार अब कोई व्यक्ति केवल उतनी भूमि रख सकता है जिस की वह स्वयं काश्त करे । अतः अब उस बेचारे को जमीन नहीं मिलती और न ही वह एक दो एकड़ से अपना निर्वाह कर सकता है । हम भूमिहीन श्रमिकों की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं ; वह ठीक है परन्तु हमें इन लोगों के लिये भी कोई व्यवस्था करनी चाहिये जो न केवल भूमिहीन श्रमिक हैं और जिन के पास काफी भूमि भी नहीं है । उसे नई भूमि नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह भूमिहीन मजदूर नहीं हैं ।

**सभापति महोदय** : क्या आप यह चाहते हैं कि उस के पास पोषणक्षम भूमिखण्ड होना चाहिये ?

**सरदार हुक्म सिंह** : अवश्यमेव ! जिन के पास पोषणक्षम भूमिखण्ड हैं उन्हें भूमिहीन किसानों के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिये । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने पिछले सत्र में वचन दिया था कि वह मोटर गाड़ी उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में अगले सत्र में कुछ बता सकेंगे । मैं अब योजना मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कुछ वास्तविक कार्य हुआ है या नहीं ।

मोटर गाड़ी उद्योग की न केवल शान्ति के समय में अपितु युद्ध काल में भी आवश्यकता है । इस की प्रगति नितान्त आवश्यक है परन्तु १२ जोड़ने वाले संयंत्रों के होते हुए भी स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश में मांग कम है । प्रशुल्क आयोग ने इस की जांच करने के उपरांत कुछ सक्रिय सुझाव दिये थे कि राज्यों को यातायात के राष्ट्रीयकरण में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये, परन्तु राज्य राष्ट्रीयकरण पर तुले हुए हैं । हम राष्ट्रीयकरण का स्वागत करते हैं । परन्तु इस के लिये भी एक नियमित योजना होनी चाहिये, ताकि इस उद्योग से संबंधित व्यक्तियों को यह ज्ञान रहे कि उन्हें कब अपनी मोटर गाड़ी सरकार को सौंपनी पड़ेगी ।

सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण की नीति के कारण, सप्ताह और महीने के अन्दर लाइसेंस पुनर्नवीकृत होते हैं, इस कारण भी मोटर गाड़ियों की मांग कम है । अब दिनों के अन्दर लाइसेंस पुनर्नवीकृत किये जाने लगे हैं । इन परिस्थितियों के अधीन मोटर गाड़ी उद्योग का विकास सर्वथा असंभव है ।

[सरदार हुक्म सिंह]

पंजाब सरकार कहती है कि उस ने परिवहन के राष्ट्रीयकरण का निश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु योजना आयोग इस की प्राप्ति से इन्कार करता है। अब इन दोनों में से किसे सच माना जाय। यदि सरकार सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण चाहती है तो इसे अपने निश्चित कार्यक्रम की घोषणा कर देनी चाहिये ताकि संबद्ध नागरिकों को कष्ट न उठाना पड़े और इस उद्योग में लगाई हुई पूंजी भी नष्ट न होने पाये।

देश में बहुत से संयंत्र सिंगर तथा सिलाई की अन्य मशीनें बना रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यदि हम एक निश्चित कार्यक्रम बना लें तो हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहां की बनाई हुई मशीनें आयात की गई मशीनों से मुकाबला करती हैं और इस उद्योग में पर्याप्त पूंजी लगी हुई है।

प्रशुल्क आयोग ने हाल में इस उद्योग को दिये जाने वाले संरक्षण को वापिस लेने की सिफारिश की है। देश में लगभग ७,७०० मशीनें बनाई जा रही हैं और ९० प्रतिशत पुर्जे यहीं बनाये जाते हैं जब कि केवल १० प्रतिशत पुर्जे जापान से मंगवाये जाते हैं। यदि आयोग संरक्षण हटाना अनिवार्य समझता है तो मैं इस का विरोध नहीं करता।

इस १० प्रतिशत आयात की अनुज्ञप्ति वास्तविक उपयोक्ताओं को मिलनी चाहिये, न कि आयात व्यवसायिकों को, क्योंकि ये व्यवसायिक कई गुना मूल्य पर इन पुर्जों को बेचते हैं और अत्यधिक लाभ उठाते हैं। अतः सरकार को वास्तविक उपयोक्ताओं को ही अनुज्ञप्ति देनी चाहिये, अथवा यह व्यवस्था करनी चाहिये कि आयातक ठीक लाभ ले कर इन पुर्जों को बेचें। अन्यथा इस उद्योग के नष्ट हो जाने की संभावना है। मुझे आशा है कि योजना मंत्री इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

---

## परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक

**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी परीसीमन आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां सदस्यों को ४ बजे टेबल आफिस से मिल सकेंगी।

---

## पंचवर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव----जारी

**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : दो रोज से हमारे यहां पर इस बात पर बहस हो रही थी कि प्राइवेट सैक्टर के जरिये हमारे देश की इकानामी बने या स्टेट के जरिये। इसी बात के ऊपर बहस हो रही थी। हम लोगों के सामने मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा माल बने और उस का फायदा सब को मिले। यानी जितने भी लोग हैं सभी में जो प्रोड्यूस हो और जो उस से धन निकले उस का वितरण हो। यही उद्देश्य होना चाहिये और यही उद्देश्य हमारी गवर्नमेंट के सामने है तथा इसी उद्देश्य की दृष्टि से सब बातें होनी चाहियें। जिस रास्ते से अधिक प्रोडक्शन हो वही रास्ता अख्तियार करना चाहिये। किसी डोग्मा (मत) को ले कर बैठना ठीक नहीं।

कल जब हमारे वित्त मंत्री जी बोल रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा

था कि हम लोग जो बातें यहां पर कर रहे हैं प्राइवेट सैक्टर की और स्टेट इन्डस्ट्रीज की, उस से यहां पर लोग यह समझते हैं कि थोड़े ही से प्राइवेट सैक्टर और थोड़े से मिल ओनर हैं और यही लोग हैं जिन के ऊपर उन का ध्यान चला जाता है। लोग समझते हैं कि यही लोग हैं जो कि धन पैदा करते हैं और अगर उसी धन को किसी तरह से बांट लिया जाय तो यहां पर उन का काम खत्म हो गया और देश का भी काम खत्म हो गया। और अगर उन की तरक्की होती है तो हमारे देश की भी तरक्की होती है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि लोगों को यह नहीं समझना चाहिये। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। परन्तु हम देखते हैं कि हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री यह बात कहते हैं फिर भी उन के कहने से यह मालूम होता है कि हमारी सरकार का भी ध्यान इन्डस्ट्री की जो थोड़ी बहुत बढ़ी है ओर ही है, उसी के ऊपर ध्यान रखती है और उसी के प्रति ज्यादा विचार करती है। और असल में जो करोड़ों के रूप में हमारे यहां प्राइवेट सेंक्टर हैं उस के प्रति उन का भी ध्यान इतना अधिक नहीं जाता है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, यह तो गलत बात होगी, यह बात नहीं है कि सरकार उन लोगों की ओर नहीं देखती है। मैं नहीं कहता कि अभी तक पांच वर्षों में जो उन्नति हुई है वह कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमारे विरोधी दल वाले कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। मैं उस मत का नहीं हूं। परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार का ध्यान जैसा उन लोगों के प्रति जाना चाहिये जो कि हमारे यहां करोड़ों के रूप में हैं वैसा नहीं जाता है। जो हमारे विरोधी दल वालों ने और अशोक मेहता साहब ने भी कल कहा, या जो आंकड़े दिये वह भी उन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान दे कर दिये जो थोड़े से बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद आदि जगहों के प्राइवेट सक्टर के लोग हैं। उन्हीं के प्रति उन लोगों ने इतनी बातें कहीं और उन्हीं के प्रति उन्हों ने कहा कि अगर उन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, उन का नेशनेलाइजेशन कर दिया जाये तो उस राष्ट्रीयकरण से कैसी सफलता होगी इस के लिये कुछ सुझाव भी दिये। उन में से एक सुझाव ऐसा था जो कि नेशनेलाइज्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर जो काम करने वाले होते हैं वे केवल आई० सी० एस० के ग्रेड के रखे जाते हैं इसलिये इतनी सफलता सरकार को नहीं होती जो कि होनी चाहिये। मैनेजीरियल स्टाफ को छोड़कर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जिस प्रकार के लोग काम करते हैं उस प्रकार के लोग उन नेशनेलाइज्ड इन्डस्ट्रीज में रखे जायें इस के प्रति सरकार का ध्यान नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, मेरा यह कहना भी नहीं है कि आई० सी० एस० के लोग जो काम करते हैं वे सभी इस प्रकार के काम नहीं कर सकते हैं, परन्तु हां, वे लोग मुद्दत से ला एंड आर्डर रखने का काम करते आये हैं इसलिये वास्तविक रूप में उन को इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से काम करना चाहिये, इस की आदत उन को नहीं है। अतएव यदि सरकार इस ओर ध्यान रखती तो अच्छा होता।

अब मूलतः जो मुझे कहना है वह यह है कि हमारे नन्दा साहब ने बताया कि यह जो फाइव इयर प्लैन है वह दो चीजों को दूर करने के लिये है। एक तो यह कि जो हमारे यहां अनएम्पलायमेंट है, बेरोजगारी है, उस को हम लोग दूर करें, और दूसरे यह कि अभी जो धन पैदा हो रहा है उस में एक आदमी के पास अरबों रुपया है और एक आदमी के पास खाने को नहीं है, एक आदमी तो करोड़ों रुपया अपने शादी विवाह में खर्च करता है और दूसरा आदमी दो शाम के लिये खाना भी नहीं जुटा सकता है, यह जो भेद उन दोनों में है उस को हम दूर करना

[श्री झुनझुनवाला]

चाहते हैं। परन्दु जैसी कि उन्होंने हमारे सामने रिपोर्ट पेश की है उस से तो हम को कुछ सन्तोष नहीं हुआ कि वह जरासा भी उस को दूर करने में सफलीभूत हुए हैं। उन्होंने तो सिर्फ अनएम्पलायमेंट बढ़ाने का ही काम किया है। उन्होंने अनएम्पलायमेंट के बारे में जो बातें कहीं उस से तो यही पता चलता है कि जो अनएम्पलायमेंट था उस में वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई है। जो अनएम्पलायमेंट है वह रोज रोज बढ़ती ही जाता है, कम नहीं होता है। यह उन का कहना है। जब उन का ही यह कहना है तो जो हम कहते हैं वह साबित हो जाता है। हम लोग जो बराबर देहातों में जा कर देखते हैं उन को कोई फर्क नहीं मालूम होता है। इस के अलावा जैसी हमारी पापुलेशन बढ़ रही है उस में यह पता चलता है कि १·५ मिल्यिन लोग जैसा कि उन का भी फिगर है, हर साल काम करने के लायक तैयार होते हैं। एक तरफ तो जितने हमारे बेरोजगार लोग हैं उन को काम नहीं मिलता और दूसरी तरफ रोज रोज हमारी आबादी बढ़ रही है, उसे तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। जो रिपोर्ट अब तक हमारे सामने पेश की गई है उस से पता नहीं चलता है कि कहीं पर कोई कमी हुई हो।

अब मैं आप लोगों को जो बात बतला रहा था कि सरकार उस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं देती जो सेक्टर करोड़ों के रूप में है, उस पर आता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहां पर जो थोड़े से लोगों का सेक्टर है उसी के ऊपर लोगों का ध्यान जाता है लेकिन इस बड़े सेक्टर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हमारे नन्दा साहब ने बतलाया कि हमारे यहां बहुत कुछ तरक्की हो गई है, बहुत सी इन्डस्ट्री उन्होंने बतलाई कि इन इन इन्डस्ट्रीज में तरक्की हो गई है। उन्होंने बनस्पति का नाम लिया कि आजकल हमारे देश में बनस्पति की इन्डस्ट्री में इतनी तरक्की हो गई है कि बहुत सी बनस्पति इनडस्ट्रीज हो गई हैं और सब जगह बनस्पति घी मिलने लग गया है। मैं इस को एक आइडियालोजी के रूप में आप को नहीं बतलाता हूं, मैं यह नहीं कहता कि यह जो बनस्पति है उस से राष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तथा हमारे स्वास्थ्य की क्या हानि होती है। परन्तु मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर देहातों में काम करता है उस के घी के आउटपुट की कीमत १००० करोड़ रुपये आंकी गई है। अब अगर हमारे नन्दा साहब इस बात में खुश होते हैं और यह कहते हैं कि हमारी तरक्की हो गई और हम ने बनस्पति इन्डस्ट्री को सब जगह कायम कर दिया है और सब जगह बनस्पति घी मिलता है तो हम को देखना चाहिये कि उस का असर हमारे देहातों के प्राइवेट सैक्टर पर क्या पड़ता है जिन के प्रति हमारे वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान आकर्षित किया जो १००० करोड़ रुपये का घी जो नापा गया बतलाया गया है इस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और यह कहां गया। कई लोग गो हत्या बन्द करो के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं उन से पूछूंगा कि उन्होंने ठोस काम क्या किया है या वे सिर्फ बातें ही करना जानते हैं।

मेरा कहने का मुद्दा यह था कि हम लोगों का जो प्राइवेट सैक्टर है वह देहातों में है और वहीं पर वह काम करता है। वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलती हैं और मेरे विचार में हमें उन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहिये। जब जब मिनिस्टर साहब यह कहते हैं कि मैं फुल एम्पलायमेंट देता हूं और मैं इकोनोमिक इक्वैलिटी के हक में हूं तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किस तरह से वह

कुल एम्पलाय मेंटदेंगे और किस तरह से वह इकोनोमिक इक्वैलिटी लायेंगे जब कि' बनस्पति के कारखाने कायम कर के जिन में कुछ ही लोगों को काम मिला, करोड़ों घी बनाने वाले प्राइवेट सैक्टर को खत्म कर दिया। यह भी कहते हैं कि खादी के लिये हमारी गवर्नमेंट ने तीन करोड़ रुपया दिया है और हर पये में तीन आने हम ने दिये हैं। मैं कहता हूं कि इस से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा जो प्राइवेट सैक्टर है वह देहातों में काम करता है, गांवों में काम करता है और जब तक हम इस सैक्टर की उन्नति नहीं करेंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हम ने कोई उन्नति की है। शहरों के प्राइवेट सैक्टर या पब्लिक सैक्टर की उन्नति या अवनति को देख कर हम लोग यह कह देते हैं कि हमारे देश में इतनी उन्नति हो गई, इतनी प्रोड्यूस हो गई, इतने आदमी काम पर लगाये गये, यह यार्ड स्टिक उन्नति को नापने का नहीं होना चाहिये, यह गलत यार्ड स्टिक है। जब तक देहातों के प्राइवेट सैक्टरों के लिये जन का खात्मा हमारी विदेशी सरकार ने तो कर ही दिया था, हम लोग भी इतनी बात तो करते हैं पर कार्यवाही कोई ऐसी नहीं करते हैं जिस से वे पनप सकें और अपनी खोई हुई रोजगारी को फिर जीवित कर सकें। यह तभी संभव है जब कि सब लोग जो गांवों में करोड़ों की तादाद में हर प्रकार के काम करने वाले हैं उन की बनी चीजों का व्यवहार करें कम से कम जब तक कि उन को दूसरा काम न मिल जाये। इस के लिये हमें अधिक कीमत देनी हो तो दें।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा रक्षित-अनुसूचित जातियां) : पिछले पांच या छः महीनों में योजना की प्रशंसा और आलोचना में बहुत से व्यक्तियों के भाषणों को सुन कर म इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस योजना के सब से बड़े आलोचक प्रधान मंत्री स्वयं हैं, जिन्होंने विकास परिषद् की बैठक में योजना आयोग की कार्यवाही और इस की प्रगति की कड़ी आलोचना की है।

पंच वर्षीय योजना एक प्रकार की साम्राज्यवाद और शोषण की अर्थ व्यवस्था पर आधारित होने के कारण देश की जनता के लिये विशेष लाभकारी नहीं हो सकती। कल प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि देश की जनता के लिये योजना का उद्देश्य एवं दृष्टिकोण समाजवादी होना चाहिये। यदि सत्तारूढ़ दल के विचारों में अस्पष्टता न होती तो यह योजना अनियमित न होती। प्रधान मंत्री कह रहे थे कि एक वर्ग ऐसा है जो देश की प्रगति के मार्ग में बाधायें पैदा कर रहा है। पिछले सात वर्षों में हम ने राष्ट्रीय जागृति की दिशा में जो प्रगति की है, मुझे उस का गर्व है और ऐसी प्रगति चीन को छोड़ कर, यूरोप या रूस या किसी अन्य देश में नहीं हुई हैं। मैं इस का श्रेय कांग्रेस दल या सरकार को नहीं दे सकता। हम जिस स्थिति में हैं वह इस राष्ट्रीय प्रगति का मुख्य कारण है। योजना आयोग और कांग्रेस को इस अवसर का लाभ उठा कर एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये शीघ्रता पूर्वक पग बढ़ाना चाहिये था।

वित्त मंत्री ने कारोबार के लक्ष्य की पूर्ति के लिये दस वर्ष की अवधि निश्चित की है। जहां लाखों व्यक्ति भूखे मरते हैं, और जहां लाखों करोड़ों मजदूर और किसान बसते हैं, वहा कारोबार के लिये दस वर्ष तक प्रतीक्षा करना असंभव है।

देश में न साधनों की कमी है, न सहयोगी की और न ही, शिल्पिकों की। परन्तु फिर भी योजना आयोग शिल्पिकों का अभाव बताता है, यह आश्चर्य की बात है। हमें, प्रधान मंत्री के कथनानुसार, उपलब्ध साधनों का पूर्ण लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना

[श्री वेलायुधन]

चाहिये । हम अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ।

त्रावनकोर-कोचीन में भीषण बेकारी फैली हुई है । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस का देश की भावी राजनैतिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । योजना आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिये गये अनुदान के ४३ प्रतिशत का उपयोग किया गया है । उस राज्य के बजट में २$\frac{2}{3}$ करोड़ रुपये का घाटा है । इस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जोरों पर है । हमें किसान या मजदूर को आर्थिक विकास की योजना का आधार बनाना चाहिये ।

हमारे राज्य में राजनीतिक अस्थायिता है और यह अस्थायिता कांग्रेस दल द्वारा उत्पन्न कीं गई है । वहां कांग्रेस दल का कोई मान नहीं है और कांग्रेस दल सत्तारूढ़ नहीं हो सकता ।

**श्री मुरारका** (गंगानगर–झुंझुनूं) : पिछले दो दिनों के वाद विवाद के दौरान कहा गया है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सर्वथा पृथक और भिन्न नहीं हो सकता । परन्तु मैं चाहता हूं कि आधारभूत या मूल उद्योगों पर पूर्णतया सरकार का अधिकार होना चाहिये । १९४८ के संकल्प में स्पष्टत: कहा गया था कि भविष्य में समस्त नवीन उपक्रमों का आरंभ और विकास सरकार द्वारा किया जायेगा और वर्तमान उद्योगों के बारे में भी कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर भी सरकार अधिकार कर सकती है । इंगलिस्तान में भी राष्ट्रीयकरण की नीति इसी आधार पर बनाई गई थी कि आधारभूत उद्योगों और आवश्यक कच्चे माल पर समस्त जनता का स्वामित्व होना चाहिये, न कि किसी विशिष्ट गैर सरकारी क्षेत्र का ।

सरकारी क्षेत्र में हम ने संतोषजनक प्रगति की है और हम ने ५० करोड़ रुपया विभिन्न परियोजनाओं में लगा दिया है और राज्यों ने १० करोड़ रुपये की आतरिक्त राशि लगाई है ।

सरकारी संस्थाओं या निगमों का प्रबंध अच्छा है, परन्तु हमें कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये । पहला सिद्धान्त यह है कि सरकारी निगमों को संसद् की विस्तृत जांच पड़ताल से मुक्त होना चाहिये । दूसरे, इन निगमों के कर्मचारियों को असैनिक सेवा से कड़े नियमों से भी मुक्त होना चाहिये। तीसरे, सरकारी निगमों का समाज-सेवा का उद्देश्य होना चाहिये, और केवल लाभ प्राप्ति का नहीं । चौथे, इन निगमों को वित्त की दृष्टि से स्वावलम्बी होना चाहिये ।

इन निगमों के प्रबन्ध निदेशकों या अधिकारियों का सेवा-काल कुछ सुरक्षित होना चाहिये, क्योंकि अल्प काल के अन्दर किसी भी व्यक्ति से श्रेयपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती । म आशा करता हूं कि औद्योगिक पदालि की स्थापना की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

एकाधिकारवाद, वह निजी हो अथवा सरकारी, बहुत ही खतरनाक है, इसलिये इन निगमों में उपभोक्ताओं के हितों को बचाने के लिये उपभोक्ताओं की समितियां होनी चाहिय । इन निगमों में पांच या सात वर्ष के बाद लेखा-परीक्षा के लिये एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिये ताकि ये उद्योग विभिन्न निगमों की प्रगति के विषय में संसद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें, और उन्नति के लिये सुझाव भी दे सकें । इन निगमों को व्यापारियों और जनता के नेताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिये । इन निगमों के प्रबन्धकों में विधि और व्यवस्था बनाये रखने या राजस्व एक करने के अतिरिक्त कुछ अधिक योग्यता भी

होनी चाहिये। हमारे देश के असैनिक सरकारी कमचारी बहुत योग्य हैं तथा प्रशासनीय कार्यों में बहुत चतुर ह किन्तु यह देखना है कि वह आर्थिक विकास की मांग को कहां तक पूरा करते हैं। मैं ऐसा सुझाव इसलिये देना चाहता हूं क्योंकि ऐसे उपक्रमों की सफलता अथवा असफलता पर ही राष्ट्रीयकरण का भविष्य निर्भर है यदि हम इन निगमों में असफल हो जायगे तो दूसरे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर भी रवैया प्रतिकूल होगा।

निजी क्षे के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि यद्यपि निजी क्षेत्रों की प्रगति सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में असंतोषजनक नहीं है तथापि जनता के हृदय में, इस से असंतोष है तथा सरकार भी इस की प्रगति से बहुत संतुष्ट नहीं है। इसलिये श्री ए० डी० श्रॉफ की अध्यक्षता में, निजी क्षेत्र की धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई। विस्तृत जांच के पश्चात् सामति कुछ परिणामों पर पहुंची जो इस कार हैं।

समिति ने पहला कारण यह बताया कि इस देश की सामाजिक-आर्थिक हवा इस कार की है कि जनता निजी उपक्रमों को निरुत्साहित कर रही है। यह कारण उतना वास्तविक न ीं जितना मनोवैज्ञानिक है। मैं नहीं जानता कि इसको दूर करने के लि क्या ोस कार्यवाही की गई है।

समिति के अनुसार दूसरा कारण राष्ट्रीयकरण का भय था। य पि योजना में निजी क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया है तथापि इस देश को जनता ने उसे विकास के साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया है, इस पर मेरा सुझाव यह है कि सरकार उन को भी वह प्रत्या ूति दे जो उस विदेशी तेल शोधक कारखानों को दी है।

तीसरा कारण सरकार की श्रमिक नीति है जिस से बहुत सी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं। श्रॉफ समिति का यह मत है कि सरकार ने इत` श्रमिक विधान पारित कर दिये है कि इस से निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। निस्सन्देह हम ने सामाजिक न्याय का वचन लिया है किन्तु इस को देश के आर्थिक विकास से संतुलित होना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि अब तक सरकार ने सार्वजनिकहित की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। सार्वजनिक हित के लिये ही उस ने उद्योग पर नियंत्रण किया है तथा उत्पादन के साधनों का विनियमन किया है। किन्तु सरकार ने इस के दूसरे पहलू पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। यह है उपक्रमों में आर्थिक कुशलता। जब सरकार किसी उपक्रम को विनियंत्रित तथा विनियोजित करे तो उसे दो चीजों पर ध्यान देना चाहिये पहला सार्वजनिक हित तथा दूसरा आर्थिक कुशलता।

**श्री मेघनाद साहा** (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम) : कल योजना आयोग की प्रगति के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। मुझे बतलाया गया था कि मेरे आंकड़े ठीक नहीं हैं। मैं उसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। श्री जी० एल० मेहता ने न्यूयार्क में कहा कि पंचवर्षीय योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में १३ से १४ प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। यह कहना गलत है, क्योंकि वास्तविक मापदण्ड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। चार वर्षों के दौरान, प्रति व्यक्ति आय में केवल ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस प्रकार व्यावहारिक रूप में एक वर्ष में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरी धारणा यह है कि यह सारी योजना, योजना नहीं, बल्कि एक घोटाला है।

इन आंकड़ों पर भी हमें सन्देह है। पिछले वर्ष औसत प्रति व्यक्ति आय २५१·७

[श्री मेघनाद साह]

रुपये थी । इस वर्ष यही बढ़ कर २६१.२ रुपये हो गई है । योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार लगभग यह सभी वृद्धि कृषि की आय में हुई है। यह दावा किया गया है कि १९५०–५१ से हमारा कृषि-उत्पादन १८ प्रतिशत बढ़ गया है अर्थात् यह उत्पादन ८१० करोड़ रुपयों का हुआ । कुल राष्ट्रीय आय में १,१०० करोड़ रुपये की वृद्धि कही गई है, अर्थात केवल ३०० करोड़ रुपये उद्योगों तथा दूसरे कारणों से प्राप्त हुए । कुल औद्योगिक उत्पादन लगभग १,५०० करोड़ रुपये का है । अर्थात् औद्योगिक उत्पादन में दस से बारह प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई । ३० अथवा ४० प्रतिशत का दावा करना बिल्कुल गलत है । मैं ने केवल यही बात कही थी जिस पर प्रधान मंत्री बौखला गये, यदि प्रधान मंत्री ने संसदीय वाद-विवाद को ध्यान में रख कर जवाब दिया होता तो उन्होंने ऐसी गलती कदापि न की होती ।

कृषि-उत्पादन में इस उन्नति का कारण भी नहीं बताया गया है । उन के कथनानुसार निरन्तर अच्छी मानसून भी इस का एक कारण है । यदि अगले वर्षों में मानसून न बरसे तो प्रति व्यक्ति आय २६१ से भी कम हो जायेगी । इसलिये इस योजना के सम्बन्ध में जो बड़े बड़े दावे किये गये हैं, वे सब निराधार हैं ।

हमारे समक्ष दूसरी पंचवर्षीय योजना का बड़ा आकर्षक चित्र खींचा जा रहा है । भारतीय सांख्यकीय संस्था में कई विदेशी विशेषज्ञ इस काम पर लगे हुए हैं । मैं ने उन्हें 'रीथिन्किंग आवर फ्यूचर' [भविष्य पर पुनर्विचार] की एक एक प्रति समादर के रूप में दी और डा० रुबीन्सटीन, डा० बेटलहीम, तथा तीन अन्य विशेषज्ञों ने मेरे दृष्टिकोण को बिल्कुल सही बताया ।

वे निःसंदेह एक अच्छी योजना बना रहे हैं। तथा इस के लिये प्रो० महालनेवीस तथा उन के सहयोगी धन्यवाद के पात्र हैं । किन्तु अभी इस योजना को कई अन्य हाथों में जाना होगा जो इस पर अपने अपने विचारानुरूप परिवर्तन करेंगे और अन्तिम रूप में पहुंचने पर यह केवल एक काला धब्बा मात्र रह जायेगी ।

पिछली राष्ट्रीय योजना समिति में हम ने जो योजना बनाई थी वह बहुत अच्छी थी । अब हम एक विस्तृत योजना बना रहे हैं । इस के पूर्ण होने पर सरकार इस पर विचार कर सकेगी ।

हम वित्त इकट्ठा करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के मुंह से सुन चुके हैं। यह केवल पूंजी लगाने का ही प्रश्न नहीं है किन्तु पूंजी उचित रूप से लगाई जाये तथा वह ऐसे क्षेत्रों में लगाई जाये जहां से तुरन्त लाभ हो । केवल एक क्षेत्र जिस से अच्छा लाभ हो सकता है तथा जिस की देश को आवश्यकता भी है, औद्योगिक क्षेत्र है ।

१९४७ से किसी ने भी इस बात पर तनिक भी विचार नहीं किया कि उद्योगों में उचित रूप से किस प्रकार पूंजी लगाई जाये । यह १९४८ की नीति भी जिस पर कि सरकारी पक्ष के सदस्य इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उन के दिमाग की उपज नहीं है । मैं भली प्रकार जानता हूं कि यह योजना भारत सरकार के तत्कालीन योजना मंत्री स्वर्गीय सर अर्देशिर दलाल ने प्रस्तुत की थी । यह योजना सरकार द्वारा अपना ली गई किन्तु किसी ने भी इस पर अग्रेतर विचार नहीं किया :

१९४९ में सर अर्देशिर दलाल की नीति को कांग्रेस सरकार ने हमारे समक्ष रखा । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह नदी घाटी योजनाओं का सारा श्रेय लेन

चाहती है। भारत सरकार से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के दिनों में भी सम्बन्धित व्यक्ति के रूप में मैं कह सकता हूं कि सरकार को इस का किंचित श्रेय नहीं मिलना चाहिये। जहां तक सिंद्री उर्वरक कारखाने का सम्बन्ध है इस दृष्टिकोण को देश के समक्ष लाने का श्रेय मुझे है।

मैं ने इस के सम्बन्ध में साइंस और कल्चर (विज्ञान तथा संस्कृति) में एक लेख लिखा था। जो कि वायसराय के मंत्रिमंडल के सम्मुख आया और श्री रामास्वामी मुदालियर ने उस का समर्थन किया यद्यपि एक बड़े कांग्रेसी नेता ने उस का इस आधार पर विरोध किया था कि देश में गोबर की कमी नहीं है, और श्री श्याम प्रसाद मुकर्जी के प्रयत्नों से इस पर कार्य प्रारम्भ हो सका।

यह सिंद्री उर्वरक की कहानी है। यही हाल दामोदर घाटी परियोजना तथा भाखड़ा नांगल परियोजना का है, यदि किसी को इन का श्रेय मिलना चाहिये तो वह डा० अम्बेडकर हैं।

मैं इस बात की कलई खोल देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने सामुदायिक परियोजना तथा अन्य बातों में धन व्यय करने के अलावा कुछ नहीं किया। सरकार के किसी व्यक्ति ने भी उद्योगीकरण के मामले पर गहरा विचार नहीं किया। हमें वह करना चाहिये जो कि चीनी अपने देश में कर रहे हैं उन के यहां कुल ३६ मंत्रियों में से बारह उद्योगीकरण के प्रभारी हैं। जब कि हमारे यहां केवल एक मंत्री उद्योग तथा वाणिज्य दोनों के प्रभारी हैं। मेरे विचार से उद्योग में पांच या छः मंत्री होने चाहियें।

इसलिये यदि हमें देश की योजना बनानी है तो हमें इस पर बड़ी सक्रियता से विचार करना होगा तथा मैं यह भी समझता हूं कि मेरा रीथिंकिंग इन फ्यूचर (भविष्य पर पुनर्विचार) इस सम्बन्ध में उचित रीति से पथ प्रदर्शन करेगा।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार** (जालन्धर): पिछले दो तीन दिन में हम ने अपनी आर्थिक नीति के सम्बन्ध में बहस की है . . .

**सभापति महोदय**: इस अवसर पर यह घोषणा कर दूं कि कल इस प्रस्ताव के समाप्त हो जाने के पश्चात् परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक को लिया जायेगा।

**श्री ए० एन० विद्यालंकार**: किसी भी चीज को लाने के लिये यह जरूरी है कि हमारे सामने ध्येय और नीति बिल्कुल साफ हो। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है और मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक तौर पर एक महत्व की बात है कि कल इसी हाउस में अपने ध्येय के सम्बन्ध में हम ने बिल्कुल साफ निर्णय किया है कि हमारा ध्येय एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां जो हमारे प्लानिंग में और हमारी आर्थिक नीति को अमल में लाने के सम्बन्ध में रही हैं, इस ध्येय के साफ हो जाने के बाद दूर हो जायेंगी। जिस आर्थिक नीति के ऊपर हम चलाते हैं या जिस प्लान पर हम कार्य करते हैं उस में बहुत महत्व की बात यह है कि हमारा एटिच्यूड या हमारा दृष्टिकोण क्या है। भले ही आप अच्छे से अच्छा प्लान बनायें लेकिन उस को चलाने वालों का और उस पर काम करने वालों का दृष्टिकोण न बदले तो अच्छे से अच्छा प्लान और अच्छी से अच्छी योजना भी असफल हो जाती है।

प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर के सम्बन्ध में हम ने काफी सोच विचार किया और आखिर यह हमने तय किया कि व्यवसाय के अन्दर प्राइवेट सैक्टर से काम ले कर पबलिक सैक्टर के पास आ जाय। आखिर

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

यह भी आप ने सोचा कि हम पबलिक सेक्टर क्यों चाहते हैं ? उस का कारण साफ है कि पबलिक सेक्टर से हम यह आशा करते हैं कि उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील है। उस के अन्दर ह्यूमन आउटलुक या सोशल आउटलुक, सामाजिक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया जाता है जब कि प्राइवेट सैक्टर में प्राफिट मोटिव होता है अर्थात नफा कमाने का ध्येय, और उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में इस बात का ख्याल नहीं किया जाता कि नफा कमाने वालों के अतिरिक्त जो लोग काम करते हैं, जो लोग बस्तुतः सम्पत्ति पैदा करते हैं, उन की क्या दशा है। लेकिन पबलिक सेक्टर से हम यह आशा करते हैं कि वह इन तमाम चीजों को सामने रख कर तमाम इकोनोमिक और आर्थिक नीति के अन्दर एक तरह का समन्वय उत्पन्न करेगा, बैलंस उत्पन्न करेगा जिस से जो लोग मेहनत करने वाले हैं और जो लोग फायदा या नफा उठाने वाले हैं उन के हितों में परस्पर विरोधी भाव न रहे। अगर हमारे पबलिक सेक्टर में भी वह दृष्टिकोण नहीं आता और पबलिक सेक्टर में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी काम चलते ह, उन के अन्दर वह ह्यमन एलीमेंट, मानवी भावना काम नहीं करती तो हमारा उद्देश्य असफल हो जायेगा। मुझे इस बात का दुःख है कि पबलिक सेक्टर के अन्दर भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर वालों पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। हमारे अन्दर एक तरह का इनफीरियारिटी कमप्लैक्स है, हीन भावना है। हम समझते हैं कि हम लोगों को गवर्मेंट के काम करने वालों को, इन कारोंबारों को चलाना नहीं आता है और इस लिये हम जो लीड लेनी है, इनिशियेटिव लेना है और दूसरी जो बहुत सी चीजें करनी हैं, वह हमें प्राइवेट सेक्टर वालों से लेनी हैं। अभी कल भी बातचीत हुई, परसों भी इसी बारे में बातचीत हुई और आज भी इस बारे में चर्चा हुई कि हमें एक इंडस्ट्रियल कैडर की जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो इन कारोबारों को चलाना जानते हों। अभी तक हमारी जितनी भी कमेटियां बनती हैं, जो भी सलाह मशविरा करना होता है वह प्राइवेट सेक्टर से होता है। उन्हीं से सलाह ली जाती है। हम ने कभी उस कैडर से सलाह मशविरा करने की कोशिश नहीं की जो प्राइवेट सैक्टर के प्रोप्राइटर्स और जो बिल्कुल नीचे दर्जे के मजदूरों का है, इन दोनों के बीच में एक और भी कैडर काम करने वाला है जो मैनेजीरियल कैडर होता है, वे लोग तमाम चीजों को चलाते हैं, हम ने उन को अपने विश्वास में लेने की और उन का भी सहयोग हासिल करने की कोशिश नहीं की। हमें उन का भी सहयोग और विश्वास प्राप्त क रना ाहिये और हम बहुत ज्यादा भरोसा प्रोप्राइटर्स जो मालिकान होते हैं उन पर न करें। अगर हम ऐसा करें तो हम काफी फायदा उठ सकते हैं। इस चीज को सामने रखते हुए मैनेजीरियल कैडर का आप लोग उपयोग करिये और वे नेशनल भावना से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं बनिस्बत मालिकान के। मैं यह चाहता हूं कि जहां पर पबलिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर को हम मिला कर काम करते हैं, जो ज्वाइंट कंसर्न हैं उन के अन्दर हम हीन भावना को छोड़ दें, इनफीरियारिटी कम्पलैक्स को छोड़ दें और पबलिक सैक्टर के अन्दर इनिशैटिव हम अपने हाथ में रखें, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के अन्दर हम अपना डौमीनेशन रखें। कल हम ने यह प्रस्ताव पास किया है और यह निश्चय किया है कि हमारा ध्येय सोशलिस्ट स्टेट बनाने का है। हमें इस बात को साफ कर देना चाहिये कि जितने भी इंडस्ट्रियल

या ऐग्रीकल्चर कंसर्न हैं उन के अन्दर डौमीनेशन, ऊपरी हाथ, अथवा कंट्रोल और नीति का संचालन पूरी तरह से स्टेट के हाथ में या पबलिक सैक्टर के हाथ में रहेगा, प्राइवेट सैक्टर के हाथ में नहीं रहेगा । मैं चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर का यह डौमिनेशन खत्म होना चाहिये । मैं अनुभव करता हूं कि जब हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमें उन चीजों को सामने रखना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आखिर हमारी जो प्रगति होती है वह कुछ पहले की ऐतिहासिक अवस्थाओं से कंडीशैंड होती है, कुछ पहले की ऐतिहासिक अवस्थायें हमें प्रभावित करती हैं । यह बिल्कुल ठीक बात है लेकिन साथ ही हमें अपनी सोसायटी को पुरानी अवस्थाओं के चंगुल अथवा पुरानी शृंखलाओं से जकड़े नहीं रखना है, उन से कुछ अपने को आजाद रखना है, पुरानी शृंखलाओं से हमें कुछ अपने को बहुत बांध कर नहीं रखना है । अभी हमारे दोस्त श्री मोरारका ने अपनी स्पीच के दौरान में श्राफ कमेटी की रिपोर्ट से कोटेशन दिया और प्राइवेट सैक्टर में तरक्की की धीमी रफ्तार के बारे में यह वजह बतलायी कि इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लाज़ बना दिये हैं, और नेशनेलाइजेशन का खौफ है, उस ने इंडस्ट्री को इन कानूनों में इतना जकड़ दिया है कि वह तरक्की नहीं कर पाते । यह जो एक मैन्टेलिटी है कि हम पुरानी चीज से अपने को रिकंडिशन नहीं करते, हमें उस को भी दूर करना है । हमारे सामने आज जो कंडीशन है यानी इस समय जो हमारी जनता है, निर्धन जनता है, हम से वह कुछ डिमान्ड करती है । उस के अन्दर अपनी अवस्था को सुधारने की ख्वाहिश है । मैं जानता हूं कि वह एक दिन में नहीं सुधर सकती, हम तमाम जनता के लिविंग स्टैंडर्ड को एक दम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यह कहना काफी नहीं है । आज जो लोग ४०, ४५ रुपया महीना ले कर अपना गुजारा करते हैं, जिन को हम बहुत कम इन्क्रीमेंट दे कर काम लेते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट सर्विस में हो या किसी दूसरी जगह, यदि हम उन से कह दें कि तुम्हारी अवस्था एक दम नहीं सुधर सकती इसलिये तुम चुपके बैठो, या जो बेकार हैं उन से कह दें कि हम तुम्हारे लिये कुछ नहीं कर सकते इसलिये तुम कुछ समय तक सन्तोष करो और तुम को चुप बैठना चाहिये, तो यह चीज चल नहीं सकती है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि प्राइवेट सैक्टर में और पबलिक सैक्टर में हम रोज कहते हैं कि जो स्टैण्डर्ड आफ लिविंग आज है उस प्रकार का स्टैण्डर्ड कुछ समय रहना ही है । आज लेबर की जो स्टैण्डर्ड आफ लिविंग है उस को हम रेज करेंगे तो हमारी तमाम इन्डस्ट्रीज रुक जायेंगी इस को मैं नहीं मानता हूं । यह ठीक है कि लिविंग का स्टैन्डर्ड हम बहुत नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस को बढ़ाना है । जिन लोगों का स्टैन्डर्ड नीचा है उन के स्टैन्डर्ड को ऊंचा करने के लिये मैं यह नहीं कहता कि जिन की तनख्वाहें ज्यादा हैं उन की तनख्वाहें एक दम कम कर दी जायें लेकिन उन पर तथा ज्यादा आदमियों पर हम कुछ रोक जरूर लगा सकते हैं । आपने यह चीज नहीं की है । आप यह कर सकते हैं कि प्राइसेज इस तरह रेगुलेट करें कि जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, आम लोग जिन चीजों को खरीदते हैं वह उन को सस्ती मिलें । भले ही लग्जरी गुड्स मंहगी हो जायें । लग्जरी गुड्स इतने मंहगे हो जायें कि जिन के पास दौलत है वह भी उन का उपभोग न कर सकें, वह अपनी दौलत का डिसप्ले न कर सकें । ऐसा आप कर सकते हैं । अगर आप आस्टेरिटी को चलाना चाहते हैं, अगर आप जनता के वेटरमेन्ट का इन्तजाम करना चाहते हैं और जनता की आमदनी को

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसी नीति पर चलना होगा कि आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें सस्ती हों लेकिन जो और लग्जरी गुड्स हैं वह मंहगे हों । मैं यह नहीं कहता कि रेशम ऐसी चीजों पर अब बहुत टैक्स बढ़ा दें । परन्तु जो कि रोजमर्रा इस्तेमाल की शान शौकत की चीजें हैं उन पर आप कीमत बढ़ायें । ऐसी चीजें जो मामूली अवस्था के आदमी खरीद नहीं सकते, ऐसी चीजों की प्राइसेज में हम इजाफा कर सकते हैं । इस नीति को हम अवश्य वरतें । लेकिन अगर हम टैक्सेशन के जरिये इस को करते हैं तो वह आम लोगों को नजर नहीं आता है । जिस आदमी को २,००० रुपया महीना मिलता है उस से आप ४०० टैक्स के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वह इतने चुपके से चला जाता है कि किसी को इस का पता नहीं चलता है । आज जो हमारे गरीब भाई हैं जिन को २५ रुपया महीना मिलते हैं वह फर्क नहीं कर सकते हैं दूसरों की अवस्था में जो कि १६०० रुपये पाते हैं क्योंकि जो कुछ टैक्स के रूप में उन से लिया जाता है वह अलग से ही चला जाता है । आज जो आम मेन्टैलिटी है इस देश के अन्दर बिना कुछ रोकथाम और पाबन्दी लगाये आप उसे बदल नहीं सकते हैं । आज आप पैदावार के लिये, ज्यादा प्रोडक्शन के लिये लोगों के अन्दर उत्साह नहीं पैदा कर सकते हैं और लोगों की जो भावना है उस को भी ठीक नहीं कर सकते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि हम ऐसी नीति बनायें जिस से हम जो पुरानी ग्रूव्स हैं, जो पुरानी लकीरों के अन्दर सोचते हैं, उस से थोड़ा हट कर सोचें ।

अनएम्पलायमेंट के बारे में हम कहते हैं कि वह दूर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरी तरह से सोचें कि अनएम्पलायमेंट क्या चीज है, हम देखेंगे कि आज हमारे देश के अन्दर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो खाना न खाता हो । कोई भी आदमी भूखा नहीं रहता है । वह कुछ न कुछ खाता ही है । अगर वह कुछ न कुछ खाता है और अब तक बेकार है तो इस का मतलब है कि वह सोसाइटी पर किसी न किसी रूप में एक बोझ है कि है एक लायबिलिटी है । सिर्फ यह है कि हमारी प्लैनिंग इस तरीके की नहीं है कि जो काम करने वाले हैं उन के गुजारे की जो चीजें हैं हम उसे अच्छी तरह से इक्ट्ठा कर सकें । यह नहीं होना चाहिये कि वह खाये भी और काम भी न करे ।

मैं समझता हूं कि हमारी प्लैनिंग का यह काम है कि हम इस तरीके से सोचें और यह अनुभव करें कि जो आदमी देश के अन्दर रहता है और खाना खाता है वह जरूर कुछ न कुछ काम करे और उस के लिये एम्पलायमेंट ढूंढा जाय । यह ठीक है कि यह एक थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन थ्योरी को प्रैक्टिस के अन्दर हम ला सकते हैं अगर हम नई दिशा में सोचें और पुरानी ही दिशा में न सोचते रहें । इसलिये मैं चाहता था जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब हम ने एक नई दिशा और एक नया मार्ग कायम किया तो हमारे सोचने के तरीके के अन्दर भी अन्तर आना चाहिये और नई दिशा में हमें सोचना चाहिये । पुराने ढांचेके अन्दर जिस तरह से हमारी सोचने की आदत रही है जब तक हम उस से निकलेंगे नहीं, तब तक हम नई दिशा में नहीं सोच सकेंगे और तब तक हमारी तरक्की रुकी रहेगी और उस के अन्दर हमारे रास्ते में काफी दिक्कतें पैदा होंगी ।

**पंडित एस० सी० मिश्र** (मुंगेर उत्तर-पूर्व) : कल सभा में भारत के नाहर बड़े जोर से दहाड़े थे और मारे क्रोध के उन्हों ने अपनी पूंछ पटकी थी, तात्पर्य इतना ही

था कि जो कुछ भी पंडित जी तथा उन के सहयोगी कर रहे हैं वह सब भारतीय जनता का कार्य है किन्तु जब इलाहबाद के एक उपचुनाव में कांग्रेस को १७,००० तथा शरारती समाज-बादियों को ३०,००० मत मिले तो ज्ञात हुआ कि इन दोनों बातों की पटरी नहीं बैठी ।

हाल ही में उत्तरी भारत के गुरुद्वारा चुनावों में ८९ स्थानों में दो या तीन कांग्रेसी नाम-निर्देशितों को छोड़ कर कोई कांग्रेसी उम्मीवार नहीं चुना गया ।

अभी अभी इलाहबाद जंक्शन की २ या ३ तारीख की बात है कि एक पत्र वाला चिल्ला कर कह रहा था : "भारत के लिये पूर्ण समाजवाद" तथा दूसरा कह रहा था "निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा"। ये दोनों बातें हमारे नेता द्वारा कही गई थीं । यदि अपने कथनानुसार ही आप इस में से निजी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण को हटा दें तो समाजवाद में क्या बचा रहता है ?

आप को मेघनाद साहा पर बड़ा क्रोध आता है आप चाहे हमारे तर्कों को भले ही कुचल दें, किन्तु आप उस व्यक्ति अथवा आत्मा को नहीं कुचल सकते जो तर्क प्रस्तुत करती है :

उन्हों ने कहा था कि सरकारी धन को निकालने और उसे कुछ निजी व्यक्तियों को सौंपने के लिये हमारे देश में कूटनीतिक तरीके विकसित हो गये हैं । क्या यह गलत है ? मेरा कहना तो यह है कि आप गैरसरकारी धन, साधन, तथा उत्पादन के गैर सरकारी तरीकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं । मैं तो यही कहूंगा कि आप सार्वजनिक धन को निकाल कर गैर सरकारी व्यक्तियों को दे रहे हैं । ये निगम क्या क्या हैं ? हमारा मंत्रिमंडल एवं हमारे मंत्री छोटे छोटे अधिकार क्षेत्र बना रहे हैं और वे संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बच कर गैर-सरकारी अधिकार-क्षेत्र बनाना चाहते हैं । मैं तो कहूंगा कि समाजवाद का यह निराला ढंग है । आप निर्धनों पर तो बराबर कर लगाते जा रहे हैं और उस से जो आय होती है उसे गैर सरकारी व्यक्तियों को दे रहे हैं ।

पूंजीपति आपके मित्र हैं । आप ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि आगामी दस वर्षों में किसी भी चीज का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा । किन्तु वे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। हमारे देश में न तो किसान और न पूंजीपति ही अपने आप को सुरक्षित समझता है और वह यह भी नहीं जानता कि किस प्रकार उसे आगे बढ़ना है । आप कहते हैं कि आप उन्हें कुछ अधिकार देंगे किन्तु आप उन्हें कोई अधिकार नहीं देते । इन तीन वर्षों में सभी कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरते रहे हैं और अन्य वस्तुओं का मूल्य बराबर बढ़ता रहा है । यहां तक कि इनके मूल्य में १०० प्रतिशत की कमी हुई है । उदाहरण के लिये धान को ही लीजिये । धान का मूल्य कभी १६ रुपये प्रति मन था किन्तु अब उस का मूल्य केवल ८ रुपये प्रति मन रह गया है । मैं यह नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया है, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं । मेरा कहना तो यह है कि घाटी परियोजनाओं का कार्य जो आप ने शुरू किया है वह तीन वर्षों में पूरा हो जाना चाहिये था । आप बहुत से कार्य कर रहे हैं, किन्तु आप को इतने से ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये आप को इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि वह कार्य ठीक हो ।

**श्री एस० एन० दास** : आज प्लान की प्रगति के प्रतिवेदन पर जो बहस इस सदन में हो रही है उस के सम्बन्ध में मुझे कुछ आवश्यक प्रतीत होता है कि मैं भी अपने विचार यहां रखूं । चूंकि समय बहुत हो गया था इस वास्ते

[श्री एस० एन० दास]

मुझे कुछ निराशा सी हो गई थी कि आज शायद मुझे बोलने का मौका न दिया जाये और मैं ने अपने कागज पत्र भी सम्भाल लिये थे ।

**सभापति महोदय** : किसी न किसी को तो अन्त में बुलाया जाता ही ।

**श्री एस० एन० दास** : मैं इस की शिकायत नहीं कर रहा हूं । आर्थिक समस्या पर जो दो दिन इस सदन में विचार हुआ और उस के सिलसिले में पंच वर्षीय योजना की प्रगति के सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन हमारे सामने रखा गया है उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में इस योजना के अनुसार देश की आर्थिक दशा में और दूसरी दिशाओं में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है । इस प्लान की सफलता एक इसी बात में है कि हम ने सारे देश को प्लान-माइंडिड बना दिया है और गिरते और संभलते, गलत और सही तरीकों से कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिन माननीय सदस्यों ने जब यह योजना बनाई थी उस वक्त उन के सामने हिन्दुस्तान का सच्चा चित्र नहीं था ।

हिन्दुस्तान का सच्चा चित्र जानने वाले, मेरे मित्र मुझे माफ करेंगे क्योंकि उन में बड़े बड़े देश के सेवक हैं, जहां तक मेरा ख्याल है एकमात्र महात्मा गांधी थे । वही यह जानते थे कि हिन्दुस्तान कहां बसता है । वही यह जानते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है । अगर यह योजना हिन्दुस्तान के पांच लाख गांवों को सामने रख कर के बनायी गयी होती तो जो दृश्य हम आज देख रहे हैं बेकारी का, बीमारी का, और गरीबी का, वह न दिखाई देता ।

कहा गया है कि हम समाजवाद चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि कहना यह चाहिये कि हम ग्रामवाद चाहते हैं । हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारे यहां गावों का विशेष महत्व है । महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक हिन्दुस्तान के सात लाख गांव सात लाख प्रजातन्त्र नहीं हो जायेंगे तब तक हिन्दुस्तान का उद्धार नहीं होगा । लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्लान में जो आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक और समाजिक विकास के काम किये गये हैं उन में हिन्दुस्तान के गावों की समस्या को तो छुआ तक नहीं गाया है । अगर इस दिशा में सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विकास सेवा द्वारा कुछ करने का प्रयत्न किया भी गया है तो वह समुद्र में बूंद के बराबर है । इसलिये हमारी शिकायत वित्त मंत्री से रही है और योजना मंत्री से भी है और हमारी उन से प्रार्थना है कि वे अब भी आंख खोल कर असली भारत की ओर देखें । मैं ने अखबारों में पढ़ा है और मुझे यह देख कर खुशी हुई कि अब योजना कमीशन ने कहा है कि आगे जो भी योजना बनाई जायेगी वह गांवों से प्रारम्भ होगी । यह शुभ चिन्ह है कि योजना मंत्री ने यह बात देश के सामने रख दी है ।

बहुत समय नहीं है, इसलिये और बातों को छोड़ कर मैं एक ही विषय पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना कमीशन ने, योजना मंत्री ने और हमारी सरकार ने गांवों की उपेक्षा की है, और उस का प्रमाण यह है कि जहां एक ओर उन्होंने कुछ नदियों को बांधने की योजना के लिए अरबों रुपया खर्च किया है वहां उन्होंने गांवों के लिये एक छोटा सा परन्तु अत्यन्त आवश्यक कार्य नहीं किया है जिस से उत्पादन में जल्द से जल्द वृद्धि होती और करोड़ों किसानों की एक मात्र कठिनाई दूर होती । वह यह है कि उन्होंने यह प्रबन्ध नहीं किया

है कि हिन्दुस्तान के गावों के छोटे छोटे किसानों को और दस्तकारों को अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिये आसानी से, और कम ब्याज पर बिना तरद्दुद ऋण मिल सके ।

योजना में कहा गया है कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे देश में कोआपरेटिव कामनवैल्थ की स्थापना हो । मैं इस सहकारी कामनवैल्थ का अनुवाद सहकारी सर्वोदय के रूप में करता हूं । सहकारी का अर्थ तो यह है कि जिसे सर्वसाधारण मिल कर करें । और कामनवैल्थ का अर्थ सबों का कल्याण अर्थात् सर्वोदय है । यह कहा गया है कि हमारे मुल्क की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम सहकारिता को राष्ट्र के जीवन में नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन अगर कोई सहकारिता के कामों को देखे, उस के संगठन को देखे और राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से उस के सम्बन्धों को देखे तो उसे निराशा ही होगी । यह बात सही है कि गांवों में कोआपरेटिव सोसाइटीज की संख्या में कुछ वृद्धि हो गई है लेकिन हम गांव के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक समस्या को हल करने में इन सोसाइटीज ने कितना भाग लिया है । मैं मानता हूं कि इन कोआपरेटिव सोसाइटीज का उद्देश्य खराब नहीं है । लेकिन जो उन के चलाने वाले लोग हैं, चाहे वे सरकारी आदमी हों या गावों के रहने वाले लोग हों, उन्होंने इस उद्देश्य को ठीक से समझा नहीं है । खुशी की बात है कि अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा जो एक कमेटी बनाई गई थी उस ने सारे देश के देहाती क्षेत्र की आर्थिक अवस्था विशेषकर साख और ऋण व्यवस्था का सर्वे किया है और उन्हों ने अपनी रिपोर्ट देश के सामने रखी है । जहां तक मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गयी हैं वे गांवों के हितों को सामने रख कर ही की गयी हैं । जैसा कि उस रोज वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वह उस रिपोर्ट के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को मानते हैं, जैसे कि एक राज्य बैंक की स्थापना को; परन्तु उन्हों ने यह भी कहा कि उस पर पूरे तौर पर अमल करने में और सारे विवरण तै करने में उन को समय लगेगा । यह ठीक है, पर ऐसा न हो कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अत्यधिक समय लग जाये । मुझे खुशी है कि पार्लियामेंट में और बाहर इस बात पर इतने दिनों तक जोर देने के बाद देहातों और खेती के लिये वित्त और साख सम्बन्धी यह रिपोर्ट हमारे सामने आयी है । मैं अपने वित्तमंत्री जी से कहूंगा कि हमारी गांवों को छोटे छोटे काश्तकार और दस्तकार हमारे-राष्ट्र शरीर की रीढ़ की हड्डी हैं । अगर उन को अपना काम चलाने के लिये कम तरद्दद से और कम सूद पर ऋण देने का प्रबन्ध शीघ्र नहीं किया जायेगा तो यह हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जायेगी और देश की आर्थिक व्यवस्था चकनाचूर हो जायेगी । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी जबरदस्त बीमारी गरीबी है । हमने अपने संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में उस की दवा रखी है । प्लानिंग कमीशन वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें गांवों की उन्नति करनी चाहिये और पुरानी गरीबी को हटाना चाहिये । जब यहां उद्योग सम्बन्धी नीति पर विचार किया गया था उस समय भी यह स्वीकार किया था । मंत्री जी भी इस की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं किन्तु जब इस को अमल में लाने का अवसर आता है तो यह काम पीछे पड़ जाता है और गांवों की समस्या हल नहीं होती है और गांवों की आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है । मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । मैं केवल यही कहूंगा कि जो देश में आज सब से पीछे हैं, जो मूक हैं इन गांव वालों की ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाना चाहिये । हम को सहकारिता आन्दोलन को छोटे से छोटे

[श्री एस० एन० दास]

गांवों तक पहुंचाना चाहिये ताकि खेती की और ग्रामोद्योग की उन्नति हो । हम को इस भरोसे नहीं रहना चाहिये कि जब दूसरी कमेटी बनेगी तो वह इस काम को करेगी । एसा करने से तो दो तीन बरस और लग जायेंगे ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा । मुझे याद नहीं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह बात संसद् में कही थी या बाहर कही थी, परन्तु यह मुझे याद है कि विशेष प्रशिक्षण के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे अफसरों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिये जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है । उन्होंने आवेश के साथ कहा था कि हमारे अफसरों को प्रशिक्षण के लिये वर्धा जाना चाहिये, जिस का अर्थ यह है कि हमारे अफसरों को गांवों में जाना चाहिये और गांव वालों को समझना और उन के साथ काम करना चाहिये । यह सब से महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है । मैं यह मानता हूं कि पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में जितना सहयोग हम को देना चाहिये था वह हम ने नहीं दिया, लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिये जो सब से बड़ी चीज थी वह नहीं की गयी । आज जो हमारे अफसर हैं मैं उन की निन्दा नहीं करता हूं । मैं मानता हूं कि वे लोग मेहनती हैं और उन में से बहुत से लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारे गांवों में जो गरीबी की समस्या है, जो बेकारी की समस्या है, उस को हल करने के लिये जिस सहानुभूति और उदारता की और मिलनसारी की भावना की आवश्यकता है उस की उन में कमी रही है । हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि हमारे कर्मचारी कोट और टाई पहन कर जनता के साथ नहीं बैठ सकते हैं और उस के बीच अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं । में समझता हूं कि उन्होंने यह एक अच्छा मंत्र फूंका था कि वे साधारण जनता से मिलकर काम करना सीखें । लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे अफसरान उस मंत्र को सुनते तो हैं लेकिन कार्यरूप में परिणत नहीं करते हैं । मतलब यह कि हम को इस योजना को पूरा करने के लिये सरकारी अफसरों और कर्मचारियों में ऊपर से नीचे तक, उन की भावना में अमूल, परिवर्तन लाना होगा । उन की नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में इस बात पर काफी ध्यान रखना पड़ेगा । प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हम प्रशासन की नियुक्ति, प्रशिक्षण और निरीक्षण सम्बन्धी नियमों को बदलेंगे, उन का पुनर्संगठन करेंगे । लेकिन जो रिपोर्ट हमारे सामने है उस में मुझे इस के सम्बन्ध में कहीं भी जिक्र नहीं मिला है । हमारे योजना मंत्री भी इस बात को मानते हैं लेकिन हम को यह नहीं मालूम होता है कि हम सरकारी सेवा के प्रशिक्षण, नियुक्ति और निरीक्षण आदि में के नियम में परिवर्तन करने में कहां तक सफल हुए ह ।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं औद्यागिक विकास के सम्बन्ध में प्राइवेट सैक्टर और पबलिक सैक्टर के विषय में कहना चाहता हूं । हमारे मित्र जो इस विषय में बोले थे वह बाहर चले गये हैं । उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था । यह बात सही है कि यदि प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन करने वाले को नफा नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर काम ही क्यों करेगा । साथ ही नफे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना भी अधिक जरूरी है । बावजूद इस बात के कि हम लोग इस बात पर जोर देते आ रहे हैं पिछले पांच वर्षों में हम ने देखा है कि जब जब मौका आया है कि प्राइवेट सेक्टर अपना अपना पूरा पूरा पार्ट अदा करे और अपनी पूंजी के साथ विकास के काम में आगे आये, और बावजूद इस के कि उन को हमेशा कंसेशन,

रियायतें दी जाती रही हैं, प्राइवेट सेक्टर अपनी पूंजी को छिपाता रहा है और हमेशा उसी मुनाफे वाली भावना को ले कर औद्योगिक विकास के कार्यों में आगे आया है। मेरा ख्याल है कि अभी कुछ दिनों तक हमें प्राइवेट सेक्टर को अपने देश में काम करने का मौका देना है लेकिन नफे की जो प्रवृत्ति है उस पर सख्त नियंत्रण रखना है और साथ ही उन के अन्दर काम करने वाले व्यवस्थापक एजेन्सियों कमीशन वगैरह तथा उन के बड़े बड़े कर्मचारियों के वेतन पर भी प्रतिबन्ध लगाना है। मैं इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि जो भी योजना आगे बनेगी वह गांवों के अधिकतम कल्याण के आधार पर बनेगी और गांवों के अन्दर आज जो गरीबी, बीमारी, और बेकारी आदि की समस्यायें हैं उन्हें हल करने की अगली योजना द्वारा पूरी कोशिश की जायेगी।

**सभापति महोदय :** मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हो गया है। कल परीसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक पर प्रश्न काल के बाद ही विचार किया जायेगा ताकि इस के पारित हो जाने के बाद इसे दूसरी सभा को भेजा जा सके।

## राज्य-सभा से संदेश

**सचिव :** राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि "१७ दिसम्बर १९५४ को लोक सभा द्वारा पारित किये गये विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

**इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**